Par. S. 17. II. 33. 53
285

अंक २ शुक्रवार
संख्या ३३ १५ मई, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग ४५८७—४६४८]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग ४६४८—४६८६]

(मूल्य ४ आने)

290 P.S.D.

लोक सभा

शुक्रवार, १५ मई, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

शिक्षा सम्बन्धी मंत्रणादाता

*२१८९. **श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि शिल्पिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत को १९५२–५३ में कितने शिक्षा सम्बन्धी मंत्रणादाता प्राप्त हुये ?

(ख) इन मंत्रणादाताओं को प्राप्त करने पर कितना व्यय हुआ है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) चार ।

(ख) मार्च १९५३ तक लगभग २३,३०० रुपये ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : श्रीमान्, मंत्रणादाताओं के विषय में जो व्यय होता है, क्या यह टी० सी० ए० कार्यक्रम में से किया जाता है ?

श्री के० डी० मालवीय : हां, श्रीमान् ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या सरकार ने इन मन्त्रणादाताओं की उपयोगिता का अनुमान लगाया है ?

श्री के० डी० मालवीय : हां, श्रीमान्, हमारी दृढ़ धारणा यह है कि वह हमारे लिये उपयोगी हैं ।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : शिक्षा विभाग में विदेशी मंत्रणादाताओं की कुल संख्या कितनी है ?

श्री के० डी० मालवीय : सूची से पता चलता है कि चार शिक्षा सम्बन्धी मंत्रणादाता हैं जो हमें विभिन्न विषयों के विषय में मंत्रणा दे रहे हैं । इन के अतिरिक्त दस बारह और शिल्पिक कर्मचारी हैं जो विभिन्न कार्यों में हमारी सहायता कर रहे हैं ।

श्री वैलायुधन : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि शिल्पिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत हम को प्रदान किये गये चार मंत्रणादाता किन विषयों के सम्बन्ध में काम कर रहे हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : उन में से एक टी० सी० ए० के शिक्षा कार्यक्रम के सम्बन्ध में शिक्षा सम्बन्धी परामर्शदाता की हैसियत से काम कर रहे हैं । दूसरे भारत सरकार को भारतीय शिल्प विधान संस्था, खड़गपुर, के संघटन के विषय में मंत्रणा दे रहे हैं । शेष दो इस देश की माध्यमिक शिक्षा पद्धति की जांच करके उसके पुनर्संघटन के विषय में सिफारिशें करने के लिये भारत सरकार द्वारा स्थापित माध्यमिक शिक्षा आयोग में काम कर रहे हैं ?

श्री पी० टी० चैको : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं यदि यह मंत्रणादाता किसी संस्था से सम्बन्धित हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : इन में से एक खड़गपुर संस्था से सम्बन्धित हैं।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या हम जान सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार की मंत्रणा दी है और उन की मंत्रणा पर क्या सुधार किये गये हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : उन्होंने किस प्रकार की मंत्रणा दी है इसका विशिष्ट निर्देश करना मेरे लिये कठिन है। साधारणतः हमें जो मंत्रणा उनसे मिलती है हम उससे प्रभावित हैं और लाभ उठा रहे हैं।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : कितनों का सम्बन्ध सचिवालय से है ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरा विचार है कि टी० सी० ए० के साधारण कार्यक्रम विषयक शिक्षा सम्बन्धी मंत्रणादाता का प्रधान कार्यालय से सम्बन्ध है।

मद्रास को सहायता

*२१९०. **श्री टी० एस० ए० चेट्टियार** : (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मद्रास सरकार ने क्या भारत सरकार से सहायता की मांग की है ताकि वह इस वर्ष का घाटा पूरा कर लें ?

(ख) उन्होंने कितनी सहायता की प्रार्थना की है ?

(ग) भारत सरकार ने कितनी राशि की सहायता देने का वचन दिया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) तथा (ख) चालू वर्ष के लिये नहीं, अपितु गत वर्ष के लिये १० करोड़ तक की सहायता मांगी थी।

(ग) कुछ नहीं।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या माननीय वित्त मंत्री ने अपने सहकारी, वाणिज्य मंत्री, श्री टी० टी० कृष्णमाचारी से बात चीत की है और क्या उस बातचीत के दृष्टिगोचर वह इस मामले पर विचार करेंगे ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैंने उन से अनियमित रूप से बातचीत की है परन्तु अभी तक मुझे उन से स्थिति का परिमाण सम्बन्धी निर्धारण प्राप्त नहीं हुआ है। जब वह मिल जायें तो हम यह देखने का प्रयत्न करेंगे कि मद्रास के दक्षिण में अभाव की हालत को दूर करने के लिये अपेक्षायें कैसे पूरी की जायें।

श्री रघुरामय्या : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं यदि मद्रास के उत्तर में, विशेष कर आन्ध्र की हालत को भी उस समय ध्यान में रखा जायेगा जबकि इस प्रश्न पर विचार किया जाये और एक नये राज्य के स्थापित होने पर भी ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह तो एक भिन्न विषय है।

उपाध्यक्ष महोदय : उनका अभिप्राय है कि आन्ध्र में भी अकाल-ग्रस्त क्षेत्र हैं।

श्री सी० डी० देशमुख : आंध्र के अकाल ग्रस्त क्षेत्रों का तो गत वर्ष में विन्यास किया गया। सिवाय इसके कि अभाव को स्थायी रूप से हटाने के लिये उपाय किये जायें, मुझे और किसी अनिर्णीत समस्या का ज्ञान नहीं। इस सम्बन्ध में एक प्रकार का वक्तव्य सदन के सम्मुख रखा जायेगा।

श्री ए० एम० टामस : दक्षिण भारत के दैनिक समाचार पत्रों विशेषकर "मद्रास मेल" में लिखा गया है कि केन्द्रीय सरकार सहायता विषयक योजनाओं पर अन्तिम विनिश्चय नहीं कर सकती क्योंकि राशि का व्यय करने के माध्यम तथा निश्चित धननिधियों के

नियन्त्रण के बारे में दो सरकारों के बीच मतभेद है । क्या माननीय मंत्री कृपया स्थिति का स्पष्टीकरण कर के जनता की भय की भावना दूर करेंगे ?

श्री सी० डी० देशमुख : माध्यम अथवा नियन्त्रण के विषय में कोई मतभेद नहीं ।

श्री वैलायुधन : माननीय मंत्री ने कहा कि उन्हें अभी स्थिति का परिमाण सम्बन्धी निर्धारण प्राप्त नहीं हुआ है । क्या इसका अभिप्राय यह है कि मद्रास सरकार ने उनको जानकारी नहीं भेजी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने कहा कि श्री टी० टी० कृष्णमाचारी से प्राप्त नहीं हुई है । क्या यही नहीं कहा गया ?

श्री सी० डी० देशमुख : ठीक है, श्रीमान् ।

श्री राघवाचारी : क्या सरकार जानती है कि इस वर्ष भी रायल सीमा, विशेष कर अनन्तपुर ज़िले में अभाव की स्थिति है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मैं इस बात से इंकार नहीं करता कि अभाव की स्थिति अभी जारी है । परन्तु प्रश्न यह है कि इस स्थिति को संभालने के लिये क्या कार्यवाही की जाये जहां तक उत्तरी क्षेत्र में अभाव के लिये तात्कालिक सहायता का प्रश्न है, मुझे यह विदित नहीं कि यदि अभी कुछ आंशिक सहायता देना बाकी है ।

श्री वैलायुधन : श्रीमान् क्या मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि दक्षिण भारत की जनता को इस बात का भय है कि केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्री और राज्य के बीच इस बात पर विरोध है कि .....

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी कल्पना क्यों की जाती है ?

श्री वैलायुधन : यह बात समाचार पत्रों में छपी है, सब स्थानों में फल गई है और जनता को इस विषय में सारी बात जानने का हक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न अवसर का उपयोग इस प्रयोजन से किया जाना चाहिये कि मतभेद का निवारण हो और जानकारी प्राप्त हो यह सुझाने में क्या लाभ है कि इस राज्य और उस राज्य के बीच या संघ और अमुक राज्य के बीच मतभेद है ?

श्री वैलायुधन : क्योंकि जनता दो के बीच मतभेद होने के कारण कष्ट उठाती है ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस धारा पर चलने में कोई लाभ नहीं ।

श्री पी० टी० चाको : हाल ही में माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ने एक वक्तव्य में कहा कि मद्रास सरकार का जो अभाव की स्थिति का चित्र है उसमें बहुत रंग चढ़ाया गया है । क्या मैं जान सकता हूं यदि सरकार को इस वक्तव्य के बारे में कुछ कहना है—कि यह सच है या नहीं ?

श्री सी० डी० देशमुख : मेरे सहकारी द्वारा दिये गये यथा कथित वक्तव्य के लिये मैं उत्तरदायी नहीं हूं । परन्तु जहां तक मेरा ज्ञान है, उन्होंने कोई ऐसा वक्तव्य नहीं दिया और यदि ऐसा कोई वक्तव्य समाचारपत्रों में प्रकाशित हुआ है तो उनको गलत रूप में प्रकट किया गया है ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : श्रीमान् क्या मैं जान सकता हूं कि चालू तथा गत वर्ष में मद्रास सरकार ने कितने उधार तथा अनुदान की मांग की थी और भारत सरकार ने कितने की मंजूरी दी है ?

श्री सी० डी० देशमुख : स्थिति यह है कि मद्रास सरकार ने १७ अप्रैल, १९५३ को खाद्य तथा कृषि मंत्रालय द्वारा एक पत्र भेजा । इस में १-१०-५१ से २९-२-५३ तक मद्रास राज्य के जल के अभाव से अभिभावित

क्षेत्रों में की गई सहायता की व्यवस्था की लागत का लेखा दिया गया था। कुल लेखा ९१६ लाख रुपये की राशि का था। इसमें ऐसे पद भी सम्मिलित हैं जिन के बारे में केन्द्र से अनुदान अथवा उधार के रूप में अंशदान दिया जा सकता है और कुछ ऐसे पद भी हैं जिनका भार केवल राज्य पर ही है। पहली प्रकार के पद जो हैं उनकी कुल राशि लगभग ५ करोड़ है। इसम से ३२० लाख रुपये सहायता के कार्य पर व्यय हुये हैं और लगभग १०० लाख दलिया वितरण केन्द्र, चारे के प्रबन्ध आदि पर व्यय हुये हैं। यह दूसरी राशि जो है, इस के बारे में लगभग आधी राशि उपदान के रूप में दी जा सकती है। और मद्रास राज्य को १ करोड़ ४७ लाख रुपये उपदान के रूप में दिये गये हैं।

सहायता के कार्य में हुय ३२० लाख रुपये के विषय में केन्द्र ने मद्रास राज्य की सरकारी प्रतिभूतियां क्रय करके २ करोड़ रुपये तक का प्रबन्ध किया है। और यह राशि कुल राशि के ५० प्रतिशत से अधिक है यद्यपि केन्द्रीय सरकार केवल ५० प्रतिशत की ही सहायता देती है।

श्री केलप्पन: क्या सरकार जानती है कि पश्चिमी तट के मछुवे लोग लगभग अकाल की स्थिति में पड़े हुये हैं क्योंकि मछलियों का अभाव है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे खेद है कि मुझे इस बात का ज्ञान नहीं, परन्तु मैं माननीय सदस्य द्वारा बताये गये ऐसे क्षेत्रों का पता लगाने के लिये कार्यवाही करूंगा जहां अभाव हो या अकाल की सी स्थिति हो।

श्री रघुरामय्या : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर के दृष्टिगोचर क्या मैं यह समझ लूं कि मद्रास राज्य ने भारत सरकार को रायलासीमा तथा विशेष कर पूर्वी गोदावरी जैसे तटवर्ती जिलों की अकाल की स्थिति से सूचित किया है ?

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान, मद्रास राज्य ने वह सारी जानकारी हमें भेजी है जो उनके पास है। यदि कोई मतभेद है तो वह इस बात पर है कि केन्द्रीय सहायता का क्या रूप हो। और ऐसे मामले में तो मतभेद होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि केन्द्र की अपनी जिम्मेदारियां हैं और मद्रास सरकार की भी अपनी जिम्मेदारी है। हमें यह प्रयास करना चाहिये कि एक मध्यम पथ निकालें जिससे कि दोनों की राय का समन्वय हो सके ताकि जो लोग सहायता के हक़दार हैं, उन्हें सहायता मिले।

पाषाण काल के स्मृतिशेष

*२१९१. **श्री माधव रेड्डी** : क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि सागर विश्वविद्यालय के पुरातत्व ज्ञानी ने सागर से २२ मील दूर पारी के गांव में पाषाणकाल के कुछ स्मृतिशेष खोद निकाले हैं जिनके विषय में अनुमान यह है कि वे २००,००० वर्ष पुराने हैं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : पाषाण काल की लाल रेतली चटानों के कुछ शिल्पावशेषों का पता चला है। परन्तु, यह कितने वर्ष पुराने स्मृतिशेष हैं, यह बात तभी बतलाई जा सकती है जबकि इन का भूतत्वीय परीक्षन हो जाये।

श्री माधव रेड्डी : क्या मैं जान सकता हूं यदि इस मामले को पुरातत्व सम्बन्धी केन्द्रीय मन्त्रणादाता मंडल को सौंपा गया है ताकि पुरातत्व सम्बन्धी स्थानों की उचित देख भाल की जाये ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे इस बात का ज्ञान नहीं कि यह मामला मंत्रणादाता मंडल को सौंपा गया था या नहीं। परन्तु

विभाग सब बातों से सूचित है और इस मामले में प्रत्येक बात को जानता है।

श्री माधव रेड्डी : क्या मैं जान सकता हूं यदि सरकार को उस क्षेत्र का प्रकृष्ट परिमाप तथा उन अवशेषों की खोज कराने का विचार है ?

श्री के० डी० मालवीय : हां, श्रीमान्, यदि आवश्यकता हो तो पुरातत्व सम्बन्धी विभाग के निदेशक से परामर्श करके परिमाप का कार्यक्रम बनाया जायेगा।

भारतीय सेना में विदेशी व्यक्ति

***२१९२. श्री वी० पी० नायर:** (क) क्या रक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय सेना में विदेशी नागरिकों को अवैतनिक पदवियां दी गई हैं और यदि हैं तो कितने और उनकी पदवी क्या है ?

(ख) यदि भाग (क) का उत्तर "हां" हो तो किन कारणों से और किस अर्हता के आधार पर ऐसे अवैतनिक पदवियां दी जाती हैं ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र): (क) तथा (ख) भारतीय सेना में तीन व्यक्ति ऐसे हैं जिनको अवैतनिक पदवियां दी गई हैं और जो भारतीय नागरिक नहीं हैं। वह हैं, तत्त महान् नेपाल के महाराजा जिनको जनरल की अवैतनिक पदवी दी गई है और दो भूतपूर्व नेपाली प्रधान मंत्री हैं जिन को लेफ्टनंट जनरल की पदवी दी गई है।

यह पदवियां इस लिये दी गई हैं कि नैपालियों का हमारी सेना के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है।

श्री वी० पी० नायर : क्या ऐसे मामलों में नेपाल के साथ कोई पारस्परिक प्रबन्ध किया गया है ? क्या किसी भारतीय नागरिक को भी नेपाली सेना में अवतनिक पदवी दी गई है ?

डा० राम सुभग सिंह : जरनैल करियाप्पा

श्री सतीश चन्द्र : इसमें पारस्परिकता का कोई प्रश्न नहीं। भारत सरकार कुछ पदवियां प्रदान करती है और उसके बदले में कुछ नहीं मांगती।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत सरकार की यह नीति है कि भारत से जिन देशों का घनिष्ट सम्बन्ध हो वहां की व्यक्तियों को अवैतनिक सैनिक पदवियां प्रदान की जायें ?

श्री सतीश चन्द्र : जैसा कि मैंने अभी कहा, तीन ही कुल महिमाशाली व्यक्ति हैं जिनको तीन पदवियां प्रदान की गई हैं और जो उनको इस समय भी प्राप्त हैं। यह बातें विशेष मामलों में विशेष विचार तथा गुण पर निर्भर हैं।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या सरकार उन भारतीय नागरिकों को भी अवैतनिक पदवियां देने पर विचार कर रही ह, जिन को प्रति रक्षा विभाग अथवा प्रतिरक्षा संघटन में रुचि हो ?

श्री सतीश चन्द्र : ऐसा पहले से ही हो रहा है माननीय मित्र की जानकारी के लिये मैं कहना चाहता हूं कि देश में ९० व्यक्ति हैं जिनको अवैतनिक पदवियां दी गई हैं।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या सरकार यह पदवियां उन्हीं व्यक्तियों को प्रदान करेगी जो पहले पदवियों पर थे परन्तु जिनको इन पदवियों से हटाया गया था ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह क्रिया का सुझाव है।

श्री सतीश चन्द्र : मैं नहीं समझा कि माननीय मंत्री के कथन का क्या अभिप्राय है। यदि वह विशेषनिर्दिष्ट प्रश्न पूछ तो शायद उत्तर दिया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । सदन में बहुत शोर है । सब सदस्य शान्त होकर बैठें ।

श्री वी० पी० नायर : क्या मैं यह जान सकता हूं कि इन अवैतनिक पदवियों के लिये कोई दक्षिणा दी जाती है ? क्या यह अवैतनिक पदाधिकारी भारतीय सेना पर अपना कुछ अधिकार चला सकते हैं ? यदि चला सकते हैं, तो क्या अधिकार ?

श्री सतीश चन्द्र : पदवियां अवैतनिक हैं तो इसका मतलब यही है कि उनको कुछ नहीं दिया जाता ।

श्री वी० पी० नायर : मुझे अन्तर का ज्ञान है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने भी वही बात बताई है ।

श्री वी० पी० नायर : मैंने कहा था "दक्षिणा" ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने आप के प्रश्न का उत्तर दिया है ।

श्री सतीश चन्द्र : स्वाभाविक ही है कि नेपाल के महाराजा को इस पदवी के लिये कुछ नहीं दिया जाता । उत्तर का यही अभिप्राय था । केवल इतनी बात है कि जब वह हमारी सेना को देखने आते हैं तो उन्हें यथोचित आदर सत्कार किया जाता है ।

श्री वी० पी० नायर : मैंने और कुछ भी पूछा था । मैं चाहता हूं कि उसका भी उत्तर दिया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : उसका उत्तर नहीं दिया जायेगा । माननीय सदस्य कभी उत्तरों से सन्तुष्ट नहीं होते ।

श्री वी० पी० नायर : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो अवैतनिक पदवियां उनको प्रदान की जाती हैं, उन में निहित शक्ति के बल से क्या वह कुछ अधिकार चला सकते हैं ? मैंने यही प्रश्न पूछा था ।

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति प्रश्न अंग्रेजी में पूछा गया है और सब माननीय सदस्य उसे समझ सकते हैं । उत्तर भी दिया गया है । जो कुछ उत्तर में नहीं मिला हो, उसके बारे में माननीय जो चाहे समझ लें । परन्तु वह इस प्रकार प्रतिपरीक्षण नहीं कर सकते जिस प्रकार न्यायालयों में किया जाता है ।

श्री वी० पी० नायर : मैं कह रहा हूं...

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, मंत्री चाहे उनका उत्तर दे या न दे । परन्तु मैं प्रतिपरीक्षण की अनुमति नहीं दे सकता ।

मनीपुर के गांवों में अर्थदण्ड का एकत्रीकरण

*२१९३. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि मनीपुर की सरकार ने वहां १९५१ तथा १९५२ में कुछ समाज विरोधी तत्वों की कार्यवाहियों के कारण कई गांवों में बिना किसी अपवाद के प्रत्येक परिवार पर ३५ रुपये के हिसाब से सामूहिक अर्थदण्ड लगाया था; और

(ख) यदि हां, तो कितने गांवों और घरों (परिवारों) पर इस का प्रभाव पड़ा है और कितना अर्थ दण्ड इकट्ठा हुआ है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) नहीं; अर्थदण्ड की राशि ३० रुपये से १ रुपये तक भिन्न भिन्न थी और अर्थदण्ड १९५१ में लागू किया गया था और १९५२ में नहीं ।

(ख) इसका प्रभाव २० गांवों तथा १५२२ परिवारों पर पड़ा था । कुल २२,६३३ रुपये इकट्ठे हुए थे ।

श्री रिशांग किशिंग : अर्थ दण्ड के लिये लोगों को किस आधार पर चुना गया था ?

डा० काटजू : सामूहिक अर्थदण्ड लगाने का अर्थ यह होता है कि सामूहिक अर्थदण्ड लगाने वाला अधिकारी गांवों में जाता है और प्रत्येक परिवार के अर्थदण्ड देने के समार्थ्य को आंकता है और उस पर अर्थदण्ड लगा देता है इसमें किसी आधार पर कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं जान सकता हूं कि क्या अर्थदण्ड लगाने से पूर्व गांव के प्रत्येक परिवार के उस कार्य में भाग लेने के सम्बन्ध में पूरी जांच कर ली गई थी ?

डा० काटजू : मैं समझता हूं कि ऐसा ही हुआ होगा । माननीय सदस्य देखेंगे कि यह १९५१ की बात है ।

श्री वैलायुधन : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत के किसी अन्य गांव में किसी अन्य स्थान में भी अर्थदण्ड लगाया गया था?

डा० काटजू : मैं समझता हूं कि सामूहिक अर्थदण्ड अब साधारण-सी बात हो गई है ।

श्री रिशांग किशिंग : इन गांवों पर यह अर्थदण्ड लगाने की किस कारण आवश्यकता हुई ?

डा० काटजू : समाज विरोधी कार्यवाहियों के कारण और मैं समझता हूं कि विध्वंसात्मक कार्यवाहियों के कारण । मैं इतना और बता दूं कि उपयुक्त मामलों में बाद में, १,४६८ रुपये लौटा भी दिये गये थे ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या यह सत्य नहीं है कि ग्रामीणों पर ये अर्थदण्ड इसलिये लगाये गये थे क्योंकि वे भगोड़े साम्यवादी नेताओं के ठिकाने के सम्बन्ध में सूचना नहीं दे सके थे ?

डा० काटजू : मैं समझता हूं कि इस को दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि सम्भवत: इन लोगों पर अपराधियों को आश्रय देने का अपराध लगाया गया था— मैं साम्यवादी शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं ।

श्री एन० आर० एम० स्वामी : क्या किन्हीं परिवारों ने इस विषय में कोई विरोध प्रकट किया था कि वे सामूहिक अर्थदण्ड नहीं देंगे ?

डा० काटजू : मुझे ज्ञात नहीं ।

श्री रिशांग किशिंग : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन ग्रामीणों की बहुसंख्या का समाज-विरोधी तत्वों की कार्यवाहियों से कोई सम्बन्ध नहीं था, जो कि गत चुनावों के परिणाम से सिद्ध हो चुका है, क्या वह अर्थदण्ड को लौटाने पर विचार करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह सब क्या हो रहा है ? क्या हम इस विषय पर वाद विवाद कर रहे हैं ? अर्थदण्ड को वापिस लेने के लिये कहना एक अलग बात है ।

अगला प्रश्न ।

श्रेणी २ के पत्र

*२१९४. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय के प्रारम्भिक गठन के समय श्रेणी २ के ३०० स्थायी पदों की स्वीकृति दी गई थी ;

(ख) क्या अब तक ये सभी भरी जा चुकी हैं ;

(ग) यदि नहीं, तो कितने पद खाली पड़े हैं और उन के खाली रहने का कारण क्या है ;

(घ) क्या यह सत्य है कि अन्तरंग मंत्रि-मंडल ने १९४८ में ये निर्देश दिये थे कि श्रेणी १ तथा श्रेणी २ का प्रारंभिक गठन बहुत शीघ्र ही पूरा हो जाना चाहिये; और

(ङ) क्या कोई ऐसे भी मामले हैं जो कि गत दो या तीन वर्षों से विचाराधीन पड़े हैं ।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां ।

(ख) से (ङ) तक । एक विवरण जिस में इस विषय में स्थिति स्पष्ट की हुई है सदन पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १२**]

सरदार हुक्म सिंह : इन सब के सब ३०० पदों को बनाये रखने की आवश्यकता को जानने के लिये क्या १९४८ के पश्चात से कोई परीक्षा ली गई है ?

श्री दातार : उन सब को बनाये रखना ही उद्देश्य था और परीक्षा को कई अवस्थाओं में से गुजरना पड़ा, अतएव यह विलम्ब हो गया ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या अब इन सब अवशिष्ट रिक्तियों को स्थायी लोगों से भरने का विचार है ?

श्री दातार : सब पद पहिले ही भरे जा चुके हैं ।

त्रिपुरा में आदिमजातियों की जनसंख्या

*२१९५. **श्री दशरथ देव**: क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि त्रिपुरा में आदिमजातियों की जनसंख्या गत २० वर्षों में ७७ प्रतिशत से घट कर ३० प्रतिशत रह गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

गृहकार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख) । १९३१ तथा १९५१ के प्रतिशतकों की तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि १९३१ की जनगणना में ३० 'आदिवासी जातियां' सम्मिलित की गई थीं जब कि १९५१ की जनगणना में केवल १८ अनुसूचित आदिमजातियां दिखलाई गई थीं । आदिमजातियों से भिन्न अन्य लोगों की संख्या में वृद्धि पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों के भारी संख्या में आने के कारण हुई है ।

श्री एस० सी० देव : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को यह विदित है कि झूम की खेती के कारण कुछ लोग त्रिपुरा रियासत को छोड़ कर आसाम चले गये थे अब वे पुनः त्रिपुरा वापिस आ गये हैं और उन में से बहुत-से रास्ते में मर गये ?

डा० काटजू : क्या मैं माननीय सदस्य से यह पूछ सकता हूं कि इस का जनसंख्या से क्या सम्बन्ध है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि लोग मर जायें, तो जनसंख्या घट जायेगी ।

डा० काटजू: मैं इस के आंकड़े बतलाता हूं । वास्तव में बात तो यह है कि जनसंख्या में कोई कमी नहीं हुई है । सदन दो बातों की ओर ध्यान दे । १९३१ में गिनने वाले अधिकारियों ने ३० आदिवासी जातियों को सम्मिलित किया था । १९५१ में, २० वर्ष पश्चात्, जनगणना अधिकारियों ने केवल १८ अनुसूचित आदिमजातियों को सम्मिलित किया । इस में प्रतिशतक का कोई प्रश्न नहीं है । १९३१ में ३० आदिवासी जातियों की जनसंख्या १,९२,३२४ थी और १९५१ में १८ अनुसूचित आदिमजातियों की जनसंख्या १,९६,२७३ थी । प्रतिशतक कम हो गया है क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों के आगमन के कारण त्रिपुरा की जनसंख्या १९३१ की ३,८२,००० से बढ़ कर १९५१ में ६,४३,००० हो गई है । १८ अनुसूचित आदिमजातियों की संख्या उतनी ही है जितनी कि १९३१ में ३० आदिवासी जातियों की थी ।

श्री एस० सी० देव : मैं जान सकता हूं कि क्या त्रिपुरा की आदिमजातियों को इस अनुसूची में सम्मिलित कर लिया गया है ?

डा० काटजू : निस्सन्देह, उन में से १८ को सम्मिलित कर लिया गया है ।

त्रिपुरा की पहाड़ी आदिमजातियां

*२१९६. **श्री रिशांग किशिंग** : क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) त्रिपुरा की पहाड़ी आदिमजातियों के नाम तथा जातिवार उनकी वर्तमान जनसंख्या क्या है;

(ख) सरकार ने कृषि सम्बन्धी ऋण के रूप में उन के लिये कितना ऋण मंजूर किया है और आदिमजातियों के कितने लोगों को अब तक ऋण मिल चुका है ;

(ग) ऐसी भूमिविहीन इधर उधर घूमने वाली आदिमजातियों की जनसंख्या कितनी है जिन्हें कि रियासत के एकीकरण के बाद से फरवरी, १९५३ तक बसाया जा चुका है और उन्हें कितने एकड़ भूमि पर बसाया गया है ;

(घ) त्रिपुरा का १९५२-५३ का कितने प्रतिशत आय-व्ययक आदिमजातियों के लोगों के प्रशासन तथा विकास के लिये अलग कर दिया गया है ; और

(ङ) क्या आगामी तीन वर्षों में त्रिपुरा के आदिमजातियों के विकास के लिये कोई विशेष योजनायें बनाई गई हैं और यदि हां, तो वे क्या हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) एक विवरण, जिस में त्रिपुरा की पहाड़ी जातियों के नाम तथा वर्तमान जनसंख्या दी हुई है, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १३]**

(ख) ऋण की राशि २,०७,१६७ रुपये

आदिमजातियों के परिवारों की संख्या जिन्हें कि ऋण मिला	१,६८५
(ग) घूमने-फिरने वाली आदिमजातियों की जनसंख्या जिन्हें कि बसा दिया गया है	७,८००
एकड़ भूमि	१,०१५

(घ) त्रिपुरा के १९५२-५३ के आय-व्ययक के प्राक्कलनों का औसत ५ प्रतिशत आदिमजातियों के लोगों के विकास के लिये प्रयोग में लाया गया है ।

(ङ) १९५३-५४ के लिये उत्पादनार्थ सिंचाई, डाक्टरी सहायता, जल के सम्भरण, शिक्षा तथा सड़क निर्माण के लिये मुख्य आयुक्त द्वारा विशेष योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जा रहा है ।

श्री रिशांग किशिंग : मैं जान सकता हूं कि क्या अब भी कोई ऐसी पहाड़ी आदिम-जातियां अवशिष्ट हैं जिन्हें कि सरकार ने अनुसूचित आदिमजातियों की श्रेणी में नहीं रखा है ?

डा० काटजू : मैं ने अभी बतलाया कि उन्हें आदिवासी जातियां समझा जाता था और केवल १८ को अनुसूचित आदिम-जातियों की श्रेणी में रखा गया है । मुझे शेष १२ के सम्बन्ध में कुछ ज्ञात नहीं है ।

श्री रिशांग किशिंग: मैं जान सकता हूं कि क्या उन आदिवासी जातियों को अनुसूचित आदिमजातियां समझा जाता था ?

डा० काटजू : इस में १२ का अन्तर है, अतः उन्हें अनुसूचितआदिम जातियां नहीं समझा गया था ।

श्री जयपाल सिंह : विशेष रूप से इस राज्य में अनुसूचित-आदिमजातियों की संख्या कम हो जाने से, मैं जान सकता हूं कि उन्हें क्योंकि एक बार अनुसूचित आदिम-जातियों में से निकाल दिया गया है, अतः क्या उन्हें छात्रवृत्ति तथा अन्य चीजों के लिये

पिछड़े हुए वर्गों में सम्मिलित कर लिया गया है या नहीं ?

डा० काटजू: इस प्रश्न पर पिछड़े हुए वर्गों का आयोग विचार करेगा ।

श्री जयपाल सिंह : मैं जानना चाहता हूं कि अब उन की स्थिति क्या है ? १९३१ में तो वे इस अनुसूची में सम्मिलित थे । संविधान के अन्तर्गत आदिवासी जातियों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि वे इस समय किस श्रेणी में हैं ?

डा० काटजू : कृपया नाराज़ न होइये । वे अपने घरों में हैं । हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि पिछड़े हुए वर्गों की गिनती हुई है या नहीं । इस बात का ठीक ठीक निश्चय करना तो पिछड़े हुए वर्गों के आयोग का काम है । जहां तक उन की अवस्था को सुधारने का सम्बन्ध है, यह काम मुख्य आयुक्त का है । वह निस्सन्देह इस विषय पर विचार करेंगे ।

श्री जयपाल सिंह: माननीय मंत्री ने मुझे बिलकुल गलत समझा है । मैं उन से केवल यह जानना चाहता हूं । अब वे साधारण नागरिक हैं । भारत सरकार ने कुछ राशि कतिपय लोगों को छात्रवृत्ति देने के लिये अलग रखी हुई है । इन के दो वर्ग हैं, अनुसूचित आदिमजातियां और अनुसूचित जातियां । क्या ये "अलग की हुई" आदिमजातियां अन्य पिछड़े हुए वर्गों में आती हैं या नहीं ? स्पष्ट है कि वे अनुसूचित जातियां हैं और आदिम-जातियां नहीं ।

डा० काटजू: छात्रवृत्तियां देने तथा इसी प्रकार के अन्य प्रयोजनों के लिये वे निस्सन्देह पिछड़े हुए हैं । पिछड़े हुए वर्गों की गिनती तो पिछड़े हुए वर्गों का आयोग ही करेगा ।

श्री मेघनाद साहा : क्या भारत सरकार ने अपने धर्मप्रचारक आदि भेज कर इन आदिमजातियों को भारतीय संस्कृति में लाने का कोई प्रयत्न किया है ?

डा० काटजू : मैं समझता हूं कि ऐसा किया गया है । मुझे इस बात का पक्का पता नहीं है । रामकृष्ण मिशन के कुछ लोग काम कर रहे हैं । यह काम निजी संस्थाओं के करने का है, सरकारी अभिकरणों के करने का नहीं ।

श्री मेघनाद साहा : भारत सरकार की ओर से धर्मप्रचारकों के समान उत्साह-पूर्वक प्रयत्न किया जाना चाहिये जिस से कि उन्हें भारतीय संस्कृति में लाया जा सके ।

डा० काटजू : धर्मप्रचारकों के समान उत्साहपूर्वक प्रयत्न करने का ठीक ठीक अभिप्राय क्या है ? सरकार उन की अवस्था को सुधारने के लिये विभिन्न प्रकार से सरकारी अभिकरणों का प्रयोग कर रही है । हम "धर्मप्रचार" शब्द का और ही अर्थ लेते हैं ।

विद्यार्थियों को ऋण

*२१९७. **श्री गिडवानी :** क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान पंजाब के वित्त मंत्री सरदार उज्जल सिंह के उस उत्तर की ओर आकर्षित किया गया है जो उन्होंने जालन्धर की पंजाब पुरुषार्थी सभा के प्रत्यावेदन को दिया था। यह अम्बाला के "ट्रिब्यून" में ६ अप्रैल, १९५३ को व "हिन्दुस्तान टाइम्स" में ७ अप्रैल, १९५३ को प्रकाशित हुआ था यह व्यक्त करने के लिये कि शिक्षा संबंधी ऋण संबंधित विद्यार्थियों के माता-पिता के दावों के साथ व्यवस्थापित कर दिये जायेंगे और वे ऋण जो व्यवस्थापन योग्य नहीं होंगे, अनुदान समझे जायेंगे; और

(ख) यदि ऐसा है, तो क्या सरकार ने अन्य राज्य सरकारों को ऐसी ही नीति का अनुसरण करने के लिये अनुदेश जारी कर दिये हैं ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) हां ।

(ख) नहीं, पंजाब सरकार को अभी नहीं ।

श्री गिडवानी : मुझे ज्ञात हुआ है कि केन्द्र द्वारा पंजाब सरकार को कोई भी ऐसे अनुदेश जारी नहीं किये गए हैं । मैं जानना चाहूंगा कि क्या पंजाब के वित्त मंत्री सरदार उज्जल सिंह का प्रकथन तथ्यों पर आधारित है ?

श्री जे० के० भोंसले: हमने पंजाब सरकार के पास इस मामले के सही तथ्यों का पता लगाने के लिये निर्देश जारी कर दिया है, और जब तक हमें तथ्य न प्राप्त हो जायें यह बताना समय से पहिले होगा कि प्रकथन सही है अथवा नहीं ।

श्री गिडवानी : क्या केन्द्र द्वारा ऐसा करने के लिये कोई अनुदेश जारी कर दिये गए हैं ?

श्री जे० के० भोंसले: नहीं, श्रीमान् ।

चर्रा (बिहार) में हवाई अड्डे के लिये भूमि अधिग्रहण

*२१९८. **श्री एस० सी० सामन्त**: क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि प्रतिरक्षा तथा भूमि अधिग्रहण विभाग द्वारा १९४९ में उन भूमियों के सम्बन्ध में सम्मिलित जांच-पड़ताल की गई थी जो बिहार में चर्रा नामक स्थान पर हवाई अड्डे के अधिग्रहीत की गई थी ;

(ख) क्या यह तथ्य है कि नियमित परिमाप के पश्चात् यह पता लगा था अधिग्रहीत भूमियों के अतिरिक्त अनधिग्रहीत भूमियों पर भी इमारतें और सड़कें बनवाई गई थीं ;

(ग) उन अनधिग्रहीत किन्तु उपयोग में लाई जाने वाली भूमियों के स्वामियों को मुआवजा देने की कब तक आशा की जानी चाहिये ;

(घ) क्या यह तथ्य है कि उन अनधिग्रहीत भूमियों के अधिकतर स्वामी गरीब तथा अपढ़ हैं ; और

(ङ) क्या बिहार में कुछ और हवाई अड्डे भी ऐसे हैं जहां ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) हां ।

(ख) ३४.१० एकड़ क्षेत्र भूमि सरकार के नियमित अधिकार में पाई गई थी । इस क्षेत्र में ईंटों के भट्टों की इमारतों के होने के अतिरिक्त अन्य किसी चीज़ की सूचना सरकार को नहीं है ।

(ग) उन को पहले ही मुआवजा दिया जा चुका है ।

(घ) सरकार को सूचना नहीं है ।

(ङ) सरकार की सूचना में नहीं ।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या मैं जान सकता हूं कि प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा इन अनधिग्रहीत भूमियों पर कब अधिकार किया गया था ?

सरदार मजीठिया : १९४३ में किसी समय ।

श्री एस० सी० सामन्त: क्या मैं जान सकता हूं कि इन लोगों को मुआवजे देने के सम्बन्ध में क्या-क्या कठिनाइयां थीं ?

सरदार मजीठिया: प्रश्न रखा जा चुका है और मैं उस का उत्तर पहले ही दे चुका हूं । एक जांच की गई थी, जिस के परिणामस्वरूप यह पता लगा था कि कुछ भूमि सरकार के अधिकार में थी, जिस को पहले से नहीं लिया गया था, और ज्यों ही उस का पता लगा, मुआवजे का भुगतान कर दिया गया था ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार का कोई विचार उन भूमियों को उनके स्वामियों को वापस लौटा देने का है ?

सरदार मजीठिया : यदि सरकार को उनकी आवश्यकता नहीं होगी तो वापस लौटा दी जायेंगी ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं इस अनावश्यक विलम्ब का कारण जानना चाहता था क्योंकि इस प्रश्न पर भूमि अधिग्रहण विभाग तथा प्रतिरक्षा विभाग द्वारा सम्मिलित जांच की गई थी ।

उपाध्यक्ष महोदय : जांच-पड़ताल चल रही थी ।

सरदार मजीठिया : यह जांच पड़ताल समाप्त हो चुकी है और जिस के परिणाम-स्वरूप हम मुआवजे का भुगतान भी कर चुके हैं और अब वहां अनधिकार अधिकार नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विट्ठल राव अनुपस्थित हैं । अगला प्रश्न ।

श्री नम्बियार : श्रीमान्, क्या मैं उनकी ओर से प्रश्न रख सकता हूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : अभी नहीं, क्या उनका कोई अधिकार पत्र है ?

श्री नम्बियार : मौखिक अधिकार पत्र है ।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्हें दूसरी बारी तक प्रतीक्षा करनी चाहिये यदि उन के पास कोई अधिकार पत्र है तो ।

श्री नम्बियार : यह एक आवश्यक प्रश्न है ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में काश्मीर और जम्मू के प्रजाजनों की भर्ती

*२२००. **श्री ए० एम० टामस :** (क) क्या **गृह-मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जम्मू तथा काश्मीर राज्य के प्रजाजनों के विरुद्ध भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती के सम्बन्ध में कोई भेद-भाव रखने वाले नियम हैं ?

(ख) यदि ऐसा है, तो उन को बनाये रखने के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). उन राज्यों में रहन वाले व्यक्ति जिन्होंने अखिल भारतीय सेवा-योजना में भाग लिया है, जिन दो अखिल भारतीय सेवाओं का निर्देश किया है, उन के लिये उपयुक्त हैं । चूंकि जम्मू तथा काश्मीर राज्य ने योजना में भाग नहीं लिया है, अतः उस राज्य के रहने वाले व्यक्ति उपयुक्त नहीं हैं ।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं पूछ सकता हूं कि जम्मू तथा काश्मीर सरकार ने केन्द्रीय योजना में भाग क्यों नहीं लिया ?

श्री दातार : यह मेरे कहने की बात नहीं है ।

श्री ए० एम० टामस : क्या मैं पूछ सकता हूं कि इस का उस विशेष प्रबन्ध से कुछ सम्बन्ध है जिस का केन्द्र तथा राज्य के बीच अन्तिम निर्णय होना बाकी है ?

श्री दातार : ऐसा हो सकता है ।

श्री नानादास : क्या मैं जान सकता हूं कि और किन-किन राज्यों के लोग आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० के योग्य नहीं हैं ?

श्री दातार : यह योग्य होने का प्रश्न नहीं है । प्रश्न उन के भाग लेने का है । मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि कुछ सेवायें

ऐसी हैं जो संघ सेवायें हैं, उदाहरण के लिये लेखा-परीक्षा तथा लेखा सेवायें आदि । ये भारत के सभी नागरिकों के लिये हैं जिन में जम्मू तथा काश्मीर के नागरिक भी सम्मिलित हैं । ये आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० सेवायें अखिल भारतीय सेवायें हैं जो केन्द्र तथा राज्यों के बीच उभय साधारण हैं, और ये केवल भाग लेने वाले राज्यों के लिये ही हैं । यदि राज्य भाग लेने वाले हैं, तो उन को इन सेवाओं के लिये अधिकार प्राप्त हैं ।

श्री नानादास: क्या मैं उन राज्यों के नाम जान सकता हूं जिन्होंने भाग नहीं लिया है ?

श्री दातार : जम्मू तथा काश्मीर के अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों ने भाग लिया है ।

भोपाल तथा बड़ौदा के पुरातत्व सम्बन्धी क्षेत्र

*२२०१. **सरदार ए० एस० सहगल :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि भोपाल तथा बड़ौदा दो नवीन निकट भविष्य में खोले जाने वाले पुरातत्व सम्बन्धी क्षेत्र हैं ?

(ख) वर्तमान में कितने पुरातत्व सम्बन्धी क्षेत्र कार्य कर रहे हैं और उनकी सीमाएं क्या हैं ?

(ग) क्या सरकार स्मारकों के समन्वेषण तथा परिरक्षण के सम्बन्ध में कोई एकरूप नीति रखेगी ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) हां ।

(ख) सात, विवरण के अनुसार जो सदन पटल पर रखा है [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १४**]

(ग) हां ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या मैं जान सकता हूं कि कुछ और पुरातत्व संबधी क्षेत्र खुलने की कुछ संभावना है ?

शिक्षा व प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : कोई आवश्यकता नहीं है ।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं कि इस पुरातत्व सम्बन्धी विभाग के प्राविधिक कर्मचारियों की प्रशिक्षा में उन्नति तथा एकरूप नीति के लिये भी कोई उपबन्ध दिये गए हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : नहीं, श्रीमान्, सरकारी विभाग की ओर से पुरातत्व संबंधी विभाग के किन्हीं भी व्यक्तियों की परीक्षा के लिये कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है ।

श्री वैलायुधन : पहले, एक चार्ट या पट्टिका प्रत्येक स्मारक के संक्षिप्त इतिहास के सम्बन्ध में उस पर टंगी रहती थी । यह देहली तथा अन्य स्थानों के स्मारकों से हटा दी गई है । क्या उन को हटाने के कोई विशेष कारण हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मुझे सूचना है कि ऐसी सभी पट्टिकाएं हटा दी गई हैं । यदि माननीय सदस्य मुझे सूचना देते हैं, तो मैं जांच-पड़ताल करूंगा ।

पैप्सू में डकैतियां

*२२०२. **श्री के० पी० सिन्हा :** (क) क्या **राज्य** मंत्री पेप्सू के सीधे राष्ट्रपति के शासन के अन्तर्गत आने के समय से पड़ने वाली डकैतियों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) क्या पंचायतें वहां अब भी कार्य कर रही हैं ?

(ग) पेप्सू में बिस्वेदारों तथा काश्तकारों के बीच होने वाले तनाव के प्रमुख कारण क्या हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) दो। इन में से एक डकैती में एक डाकू पुलिस का सामना करते समय गोली से मार दिया गया था और शेष छै कथित अपराधी गिरफ्तार कर लिये गये थे। दूसरी डकैती पूर्णरूपेण एक प्राविधिक डकैती थी।

(ख) कथित किसान पंचायतें कुछ समय से पुराने पटियाला राज्य में कार्य करती रही हैं। किन्तु राष्ट्रपति शासन के आरम्भ हो जाने के समय से इन गांवों में अत्यधिक परिवर्तन हुआ है। सलाहकार ने बहुत से गांवों का भ्रमण किया है और उन के भ्रमण के पश्चात् उन की सूचना में कोई भी मामला ऐसा नहीं आया है जिन में कथित पंचायतों ने मामलों का निर्णय किया हो या जुर्माना लगाया हो अथवा अन्य कोई दण्ड दिया हो। इस उत्तर के अन्तर्गत वे पंचायत नहीं आती हैं जो विधि के अधीन स्थापित की गई थीं।

(ग) मैं केवल सामान्य उत्तर दे सकता हूं और वह उत्तर यह है : तनाव का प्रमुख कारण काश्तकारों में होने वाली एक भावना है कि भूतकाल में, बिस्वेदार असहिष्णु शासकों द्वारा उन गांवों में रख दिये गये थे। इस प्रकार उन के पहले वाले अधिकारों से उन्हें वंचित कर कृषक स्वामित्व से हटा कर उन को केवल भूमि जोतने का अधिकार दे दिया गया है या कुछ मामलों में उनकी स्वेच्छा पर जोतने का अधिकार। इसने बहुत से काश्तकारों को लगान रोक देने का लालच दिया है जिस के कारण बहुत सी बेदखलियां हुई।

श्री के० पी० सिन्हा: क्या सरकार द्वारा कोई कार्यवाहियां काश्तकारों को बेदखल न करने की हुई हैं ?

डा० काटजू: जैसा मैं ने बताया, कि ज्यों ही पेप्सू विधेयक जो हाल ही में इस सदन द्वारा पारित हुआ है उस पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाती है, राष्ट्रपति का विचार इस विषय पर आवश्यक विधान पारित करने का है।

श्री बोगावत: क्या मैं जान सकता हूं कि राष्ट्रपति के अधीन होने से डकैतियों की संख्या कम हो गई है और क्या राज्य में शान्ति है ?

डा० काटजू: क्यों नहीं : जैसा मैं ने कहा कि केवल दो डाके वहां पड़े हैं। शान्ति एवं सुव्यवस्था स्थिति में भी काफी उन्नति हुई है।

पंडित डी० एन० तिवारी: क्या मैं पिछले वर्ष इसी समय में पड़ने वाली डकैतियों की संख्या जान सकता हूं ?

डा० काटजू: मैं एकदम उनके आंकड़े नहीं दे सकता।

प्रो० डी० सी० शर्मा: क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि पेप्सू में डाकुओं के चार गिरोह उपद्रव मचा रहे हैं ? क्या मैं यह भी जान सकता हूं कि इन में से कितने गिरोहों को समाप्त कर दिया गया है ?

डा० काटजू: पेप्सू में बहुत से गिरोह थे किन्तु उन में से बहुतों को समाप्त कर दिया गया है। अब कितने रह गए हैं यह मैं एकदम नहीं बता सकता।

प्रो० डी० सी० शर्मा: क्या मैं जान सकता हूं कि पेप्सू के लगभग सत्तर या अस्सी गांवों में जो पंचायतें बनी हैं वे किन दलों की हैं ?

एक माननीय सदस्य: कौन से दल ?

डा० काटजू: ये लोग अब काफी समझदार हो गये हैं और अब वे विधि के अनुसार चल रहे हैं। अब वे कोई विधि-विरोधी कार्य नहीं कर रहे हैं।

श्री नम्बियार: मैं जान सकता हूं कि क्या गत ५ या ६ वर्ष के अवशिष्ट लगान

को इकट्ठा करने के लिये पुलिस का प्रयोग किया जा रहा है और यदि हां, तो क्या काश्तकारों को कठिनाई हो रही है या वे देना मंजूर कर रहे हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

श्री नम्बियार: इस का सम्बन्ध पेप्सू से है ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्योंकि इस का सम्बन्ध पेप्सू से है, इसलिये जो कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जा सकता । इस प्रश्न का सम्बन्ध डाकों से है और पुलिस से नहीं ।

श्री नानादास: प्रश्न के भाग (ग) के सम्बन्ध में मैं जान सकता हूं कि जब से राष्ट्रपति ने शक्ति सम्भाली है उसके बाद से सरकार ने काश्तकारों का भय दूर करने के लिये क्या पग उठाये हैं और उन का क्या प्रतिफल हुआ है ?

डा० काटजू: हम ने बहुत से पग उठाये हैं और किसानों में पुनः भरोसा पैदा कर दिया है । परन्तु, जैसा कि अभी मैं ने बतलाया, विधि के पारित होते ही राष्ट्रपति का इस विषय में आवश्यक विधान बनाने का विचार है ।

जलियांवाला बाग़

*२२०३. **श्री के० पी० सिन्हा**: (क) क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि सरकार ने जलियांवाला बाग (अमृतसर) को सीधा अपने नियंत्रण में ले लिया है ?

(ख) क्या अब इस में किसी प्रकार की सार्वजनिक सभा या किसी प्रकार का कोई सार्वजनिक कार्य नहीं किया जा सकता ?

(ग) सरकार इस बाग का क्या करना चाहती है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ग). जलियांवाला बाग सीधा सरकार के नियन्त्रण में नहीं है । १९५१ के जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक अधिनियम के अनुसार बाग को एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया है । एक प्रन्यास बना दिया गया है और कतिपय प्रन्यासी नियुक्त कर दिये गये हैं ।

(ख) जलियांवाला बाग के प्रन्यासियों ने यह निश्चय किया है कि बाग की सीमा के अन्दर कोई सार्वजनिक सभा न की जाये ।

श्री के० पी० सिन्हा: मैं जान सकता हूं कि क्या इस बाग में स्मारक के रूप में कोई भवन इत्यादि बनाया जायेगा ?

श्री दातार: इसका निश्चय करना प्रन्यासियों का काम है ।

श्री वैलायुधन : मैं जान सकता हूं कि क्या किसी स्मारक के सम्बन्ध में कोई योजना तैयार की गई है या विचाराधीन है ?

श्री दातार: मैं ने भी तो यही बतलाया है । इसका निश्चय करना प्रन्यासियों का काम है, भारत सरकार का नहीं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी: इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जलियांवाला बाग एक राष्ट्रीय महत्व की चीज़ है, क्या सरकार यह समझती है कि सरकार को इसे सम्भाल लेना चाहिये और वहां कोई स्मारक बनाया जाना चाहिये ?

श्री दातार : नहीं, श्रीमान् ।

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मुझे माननीय सदस्य का प्रश्न समझ नहीं आया । एक अधिनियम पारित कर दिया गया है और सरकार ने प्रन्यासी नियुक्त कर दिये हैं । सरकार और किस प्रकार इसे सम्भाल ले ? क्या जिला मजिस्ट्रेट को इसका प्रभारी नियुक्त कर दे ?

श्री केलप्पन : उपमंत्री जी ने अपने उत्तर में बतलाया था कि उस क्षेत्र में सार्वजनिक सभायें करने की मनाही है। क्या सरकार इस प्रश्न पर पुनर्विचार करेगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यह निश्चय प्रन्यासियों द्वारा किया गया था और सरकार इससे पूर्णतया सहमत थी और उसने इसके लिये स्वीकृति भी दे दी थी,। हम ने यह अनुभव किया कि यदि वहां किसी प्रकार की सार्वजनिक सभायें होंगी, तो स्वाभाविकतया उस स्थान पर विरोधी पक्षों की सभायें भी होंगी और कभी कभी वहां मौखिक रूप से संघर्ष भी हो जायेगा और उस से उस स्थान का वातावरण खराब होगा। अतः यह निश्चय किया गया कि वहां किसी प्रकार की कोई सभा न हो।

श्री एच० एन० मुकर्जी : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार सम्बद्ध प्रन्यास द्वारा उस स्थान पर कोई स्मारक बनाने में यदि कोई प्रगति हुई है तो उसके सम्बन्ध में कुछ बतला सकती है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : यदि माननीय सदस्य का अभिप्राय स्मारक के रूप में कोई भवन बनाने से है, तो इस में कोई प्रगति नहीं हुई है। वास्तव में, इसमें सन्देह है कि वहां कोई भवन बनाया भी जायेगा या नहीं। बहुत से लोग यह समझते हैं कि इसे पूर्ववत् रहने देना चाहिये और यहां कुछ नहीं बनाया जाना चाहिये, यहां केवल कोई पत्थर या इसी प्रकार का कोई स्मृति चिन्ह लगा देना चाहिये; परन्तु इस में काफी प्रगति हुई है। सबसे पहिली बात तो यह हुई है कि चारों ओर की कुछ सम्पत्ति अधिगृहीत कर ली गई है। इसे चारों ओर से घेर कर अलग कर दिया गया है। पांच या छै वर्ष पूर्व कुछ स्थान आग से नष्ट भ्रष्ट हो गया था। उसे साफ कर दिया गया है। स्थान को साफ सुथरा और सुन्दर बनाने में प्रगति हुई है किन्तु कोई निश्चित स्मारक बनाने में कोई प्रगति नहीं हुई।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या सरकार को यह विदित है कि जलियांवाला बाग में बहुत पहिले से ही असाम्प्रदायिक राजनीति सम्बन्धी सार्वजनिक सभायें सदा होती रही हैं ? अब यह नया प्रतिबन्ध क्यों लगाया गया है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इसका कारण यह है कि सरकार को यह बात ज्ञात है और उक्त अवधि में उस ने जो अनुभव प्राप्त किया है उस के आधार पर उसने प्रन्यासियों के इस निश्चय का अनुमोदन कर दिया है।

भाग 'ग' राज्यों में न्यायायुक्त के न्यायालय

*२२०४. **श्री मादिया गौडा** क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कौन से भाग 'ग' राज्यों में अब भी वहां के व्यवहार तथा दण्ड सम्बन्धी मामलों के लिये अपीलीय क्षेत्राधिकार के रूप में केवल न्यायायुक्त के न्यायालय ही हैं, और

(ख) क्या पड़ौस के भाग क या ख राज्यों के उच्च न्यायालयों के अपीलीय क्षेत्राधिकार को बढ़ा कर इन राज्यों पर लागू कर देने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) तथा (ख). दिल्ली तथा कुर्ग को छोड़ कर शेष सब भाग ग राज्यों में न्यायायुक्तों के न्यायालय काम कर रहे हैं। पड़ौस के भाग क या भाग ख राज्यों के उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को बढ़ा कर इन राज्यों पर लागू करने के प्रश्न पर विचार किया गया था और यह निश्चय किया गया है कि इस समय हिमाचल प्रदेश तथा विन्ध्य प्रदेश की वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। अन्य भाग ग

राज्यों के सम्बन्ध में सम्बद्ध राज्य सरकारों के परामर्श से इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री टामस।

श्री आर० एस० तिवारी: क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विन्ध्य प्रदेश के हाई कोर्ट को दूसरी जगह ले जाया जा रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने श्री टामस का नाम पुकारा है।

श्री ए० एम० टामस: मैं यह पूछ सकता हूं कि क्या यह सत्य है कि माननीय राज्य मंत्री ने विभिन्न भाग 'ग' राज्यों की सरकारों को यह सुझाव दिया है कि मितव्ययता करने की दृष्टि से साझे न्यायालय बनाना और विशेष रूप से शिक्षा तथा इसी प्रकार के विभागों के साझे अध्यक्ष बनाना वांछनीय है और यदि ऐसी बात है, तो इस विषय में विभिन्न राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया हुई है?

डा० काटजू: इस प्रश्न का सम्बन्ध केवल उच्च न्यायालयों तथा न्यायायुक्तों के न्यायालयों से है। इस प्रश्न पर विचार किया गया था और जैसा कि मैंने बतलाया, इसका परिणाम यह हुआ था कि विन्ध्य प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश में पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी। कुर्ग तथा दिल्ली को छोड़ कर अन्य भाग 'ग' राज्यों का प्रश्न अभी विचाराधीन है।

श्री आर० एस० तिवारी: क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विन्ध्य प्रदेश के हाई कोर्ट को तोड़ कर दूसरी जगह ले जाया जा रहा है?

डा० काटजू: मैंने अभी अंग्रेजी भाषा में जवाब तो दिया कि कोई ऐसा इरादा नहीं है। पहले कुछ तजवीज पेश हुई थी, वह तर्क कर दी गई।

श्री ए० एम० टामस: मेरे प्रश्न का मुझे कोई उत्तर नहीं मिला।

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य जरा ठहरें।

श्री एम० एल० द्विवेदी: मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि वह कौन-से कारण हैं कि जिनकी वजह से विन्ध्य प्रदेश के और हिमाचल प्रदेश के कोर्ट्स को बड़े हाई कोर्ट में शामिल करने का विचार स्थगित कर दिया गया?

डा० काटजू: वजह यह है कि दरियाफ्त करने पर यह मालूम हुआ और स्टेट गवर्नमेंट ने बतलाया कि जो जुडिशियल कमिश्नर कोर्ट्स वहां मौजूद हैं वहां तुरन्त मुकद्दमे फैसल होते हैं, साल भर के अन्दर अन्दर फैसल हो जाते हैं, बल्कि महीनों में ही फैसल हो जाते हैं। इसके मुकाबले इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन मुकद्दमों में बरसों लग जाते हैं और उनको कोई शिकायत नहीं है। इन्साफ भी अच्छा होता है, तुरन्त भी होता है, जनता भी खुश है और गवर्नमेंट भी खुश है।

श्री ए० एम० टामस: मेरे इस विशिष्ट प्रश्न का मुझे कोई उत्तर नहीं मिला कि क्या इस प्रकार का कोई सुझाव दिया गया था कि साझे न्यायालय——उच्च न्यायालय और न्यायिक न्यायालय——और विभागों के साझे अध्यक्ष होने चाहियें?

डा० काटजू: यह तो एक बहुत खर्चीली चीज होती।

श्री नम्बियार: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार न्यायायुक्त के न्यायालय को त्रिपुरा से हटा कर आसाम ले जाने की आवश्यकता पर विचार कर रही है? यदि हां, तो क्यों?

डा० काटजू: यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि क्यों ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री बीरेन दत्त : क्या इस प्रस्ताव के विरुद्ध त्रिपुरा के वकील संघ की ओर से कोई विरोध प्रकट किया गया है ?

डा० काटजू : मैं इस से अधिक और कुछ नहीं कह सकता कि यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री बीरेन दत्त : क्या माननीय मंत्री को त्रिपुरा के वकील संघ की ओर से न्यायालय को वहां से न हटाने के सम्बन्ध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

डा० काटजू : मुझे मानना पड़ेगा कि मैं इसका तुरन्त कोई उत्तर नहीं दे सकता। मुझे पूर्वसूचना मिलनी चाहिये।

नगरीय निर्वासित भूमियों का आवंटन

*२२०५. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या **पुनर्वास** मंत्री २६ जून, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११९९ के उत्तर को निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने उसके बाद से नगरीय निर्वासित भूमियों के आवंटन के प्रश्न पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो आवंटन का आधार क्या है; और

(ग) क्या यह सत्य है कि इन भूमियों का अस्थायी आवंटन अविस्थापित व्यक्तियों को भी किया जा सकता है और इस सम्बन्ध में विस्थापित व्यक्तियों को कोई प्रधानता नहीं दी जाती ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) तथा (ख). नगरीय निर्वासित भूमि के आवंटन का प्रश्न अन्य नगरीय निर्वासित सम्पत्ति जैसे कि घरों, मकानों के स्थानों इत्यादि के आंवटन के प्रश्न के साथ साथ विचाराधीन है।

(ग) अविस्थापित व्यक्तियों को अस्थायी रूप से केवल तभी आवंटन किया जाता है जब कि विस्थापित व्यक्ति आगे नहीं आते।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : कब तक विचार होता रहेगा ?

श्री जे० के० भोंसले : हमें जल्दी ही इसके समाप्त होने की आशा है।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या यह सत्य है कि.....

श्री नानादास उठे--

उपाध्यक्ष महोदय : जिस माननीय सदस्य ने इस प्रश्न की सूचना दी थी पहिले उन्हें प्रश्न पूछ लेने दीजिये।

श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या यह सत्य है कि कई विस्थापित व्यक्तियों की नगरीय भूमियां देने की प्रार्थना को ठुकरा दिया गया है, और यह भूमि अविस्थापित व्यक्तियों को दे दी गई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : अविस्थापित व्यक्तियों को भूमि केवल उसी अवस्था में दी गई है जबकि विस्थापित व्यक्ति उस भूमि को लेने के लिये आगे नहीं आये।

श्री नानादास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या ये भूमियां भूमिविहीन कृषि श्रमिकों को दी जायेंगी या उन कृषकों को दी जायेंगी जिन के पास कि कृषि कार्य करने के लिये पर्याप्त धन है ?

श्री ए० पी० जैन : हम इस सारे प्रश्न पर विचार कर रहे हैं और जब तक कोई योजना निश्चित नहीं हो जाती तब तक हम इस प्रकार के किसी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सकते।

'कार्य कुशलता लेखा परीक्षा'

*२२०६. **श्री मादिया गौडा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार के पास केन्द्रीय सचिवालय के विभिन्न कार्यालयों तथा अन्य विभागीय कार्यालयों की 'कार्य कुशलता लेखा परीक्षा' करने के लिये कोई कर्मचारी है; और

(ख) क्या इस प्रकार की 'लेखा परीक्षा' के पथ प्रदर्शन के लिये उस के पास कोई नियम हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री मादिया गौडा : मैं जान सकता हूं कि सचिवालय तथा अन्य कार्यालयों में विभिन्न कर्मचारियों के कार्य की कार्य कुशलता को जांचने के लिये क्या उनके पास कोई अन्य व्यवस्था है ?

श्री दातार : भारत सरकार का पंच-वर्षीय योजना की सिफारिश के अनुसार उपाय विभाग का एक संघटन स्थापित करने का विचार है।

विमान की सफ़ाई, मरम्मत आदि

*२२०७. **श्री एस० सी० सामन्त** : (क) क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड में १९५१ और १९५२ में (अलग अलग) कितने विमानों और इंजिनों की सफाई, मरम्मत आदि की गई थी ?

(ख) उनकी सफाई, मरम्मत आदि के शुल्क क्या थे ?

(ग) क्या यह सफाई, मरम्मत आदि का काम भारतीय व्यक्तियों द्वारा ही किया गया था ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड में १९५१ में ८५ विमानों और ७६३ हवाई जहाज़ के इंजिनों की सफ़ाई मरम्मत आदि की गई थी। १९५२ से ७३ विमान और ५७० हवाई जहाज़ के इंजिनों की सफाई, मरम्मत, आदि हुई थी।

(ख) १९५१ में लगभग १३० लाख रुपये और १९५२ में लगभग ८७ लाख रुपये।

(ग) जी हां।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, क्या मैं माननीय मंत्री द्वारा रक्षा और असैनिक आधार पर दिए गए आंकड़े जान सकता हूं ?

श्री सतीश चन्द्र : मैंने कुल आंकड़े दे दिये हैं और मैं समझता हूं कि मेरे माननीय मित्र वायु बल के आंकड़े जानने के लिये ज़ोर नहीं देंगे। उनका बताना उचित नहीं होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री अध्यक्ष की ओर देखते हुए उत्तर दें।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस विषय में और अच्छा प्रशिक्षण प्राप्त करने के हेतु कोई व्यक्ति विदेश भेजे गए हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : व्यक्तियों को प्रशिक्षण दे दिया गया है.....

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री तथा सभी माननीय सदस्यों को अध्यक्ष की ओर देखते हुए उत्तर देना होगा ताकि सदन का कोना कोना उसे सुन सके।

श्री सतीश चन्द्र : कारखाने के अधीक्षक को छोड़ कर, जो एक विदेशी है, काम पूरी तौर पर भारतीयों द्वारा किया जा रहा है। भारतीय व्यक्ति इस प्रयोजन के हेतु पहले ही से प्रशिक्षित कर लिये गये हैं।

श्री नम्बियार : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हाल ही में कोई ऐसा उदाहरण हुआ है जिसमें हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड ने अन्य राष्ट्रों के विमानों की भी सफाई मरम्मत आदि की हो, जैसे कि शाही वायुबल जो मलाया में काम कर रहे हैं ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : इसका तुरन्त उत्तर देना मेरे लिये सम्भव नहीं है । सच तो यह है कि मैं पूर्व सूचना चाहूंगा लेकिन मुझे भय है कि यदि दूसरे ग्राहक भी आने लगेंगे तो वे लोग शायद व्यवसायिक आधार पर काम करने लगेंगे लेकिन जहां तक लड़ाई के लिये जाने वाले विमानों के विशेष मामले का सम्बन्ध है, मुझे विश्वास नहीं है कि ऐसे विमानों की अब तक कभी भी कोई सेवा की गई है ।

श्री नम्बियार : क्या यह सूचना सत्य है कि हाल ही में यानी एक पखवारे के भीतर ही, मलाया से टेम्पलर का विमान बंगलौर के कारखाने में लाया गया था और उसकी मरम्मत की गई थी ?

श्री त्यागी : मुझे भय है कि मेरे पास यहां कोई भी सूचना नहीं है । पर यदि माननीय सदस्य मुझ लिखेंगे, सदन के स्थगित होने पर भी, तो मैं उन्हें सूचना दे दूंगा ।

श्री राघवय्या : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हम लोग उन हिन्द चीन, जाने वाले फ्रांसीसी विमानों की सफाई मरम्मत आदि भी कर रहे हैं, जो वहां की लोक तन्त्रात्मक शक्तियों के विरुद्ध होने वाली लड़ाई में काम में लाए जायेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसे विषयों के सम्बन्ध में माननीय सदस्य कृपा करके मंत्री को लिखें और यदि उन्हें उत्तर नहीं प्राप्त होता तब वह सदन में पूछें ।

श्री वी० पी० नायर : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट कारखाने को कोई विशेष अनुदेश दिए गए हैं कि वे शत्रु देशों अथवा युद्धरत देशों के विमानों को न लें ?

श्री त्यागी : जहां तक भारत का सम्बन्ध है, शत्रु देश कोई भी नहीं है । जब भी कभी कोई बाहरी विमान कारखाने में मरम्मत के लिए लाए जाते हैं, तो मुझे विश्वास है कि अनुमति मांगी जाती है और प्रत्येक मामले पर मंत्रालय उसकी गुणितानुसार विचार करता है ।

प्रो० डी० सी० शर्मा : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि वह सज्जन मलाया के सम्बन्ध में ऐसी गहरी जानकारी किस प्रकार प्राप्त करते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा । दूसरा प्रश्न ।

श्री सारंगधर दास : श्रीमान्, मुझे एक प्रश्न पूछना है । क्या मैं जान सकता हूं कि युद्धरत देशों—वे देश जो आपस में लड़ रहे हैं—के विमानों अथवा जहाजों की मरम्मत के सम्बन्ध में रूढ़ अन्तर्राष्ट्रीय विधि क्या है?

उपाध्यक्ष महोदय : हम लोग कोई वाद विवाद प्रारम्भ नहीं कर रहे हैं । इस विषय पर पुस्तकालय में पुस्तकें हैं जो देखी जा सकती हैं । दूसरा प्रश्न ।

डाक सम्बन्धी सामग्रियों के जालसाज़ों द्वारा चलाया जाने वाला कारख़ाना

*२२०८. **श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या बिहार और दिल्ली की एक साथ काम करने वाली पुलिस के द्वारा बिहार के मानभूम ज़िले में डाक-सम्बन्धी सामग्रियों के एक अखिल भारतीय जालसाज़ों के गिरोह

द्वारा चलाए जाने वाले एक बड़े ज़मीन के नीचे के कारखाने का पता लगाया गया है ;

(ख) यदि ऐसा है तो किस प्रकार की सामग्रियां अथवा वस्तुएं निर्मित की जा रही थीं ;

(ग) उन जालसाजी से बनाई गई वस्तुओं का क्या उपयोग किया जा रहा था ;

(घ) क्या यह तथ्य है कि उस कारखाने के प्रबन्ध कों को दिल्ली, अलीगढ़, मेरठ, असंसोल तथा अन्य स्थानों से मनीआर्डर प्राप्त हो रहे थे ;

(ङ) कैसे और कब भेद पता चला था; और

(च) उस कारखाने को चलाने तथा देखभाल करने के उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की है तो वह क्या है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : जहां तक दिल्ली की पुलिस का सम्बन्ध है, उत्तर इस प्रकार है :

(क) नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार सरकार से आने वाली सूचना की प्रतीक्षा है और प्राप्त होने पर वह सदन पटल पर रख दी जायेगी।

अमरीका को भेजी गई पुस्तकें

***२२१०. श्री तेलकीकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५२ में पुस्तकों और प्रकाशनों के विनिमय सम्बन्धी भारत-अमरीकी समझौते के आधीन भारत से अमरीका को भेजी गई पुस्तकों और प्रकाशनों की संख्या; और

(ख) भारत से अमरीका को और अमरीका से भारत को भेजी गई अधिकांश पुस्तकें किन विषयों से सम्बन्धित थीं ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) ११५२।

(ख) अमरीका को भेजी गई पुस्तकें कृषि, वाणिज्य, अर्थशास्त्र, स्वास्थ्य, अन्तरिक्ष शास्त्र तथा यातायात से सम्बन्धित थीं।

अमरीका से प्राप्त पुस्तकें कृषि, वाणिज्य, संचरण, रक्षा, श्रम तथा लोक प्रशासन से सम्बन्धित थीं।

श्री तेलकीकर : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि भारत में किन स्थानों पर ये पुस्तकें सर्वसाधरण के लिये उपलब्ध की जाती है ?

श्री के० डी० मालवीय : संयुक्त राज्य अमरीका से प्राप्त पुस्तकें भारत सरकार के केन्द्रीय सचिवालय के पुस्तकालय में हैं।

श्री तेलकीकर : क्या संसार के अन्य देशों के साथ भी ऐसा समझौता करने का कोई प्रस्ताव है।

श्री के० डी० मालवीय : जी हां। इस विषय पर विचार हो रहा है।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं माननीय मंत्री जी से जान सकता हूं कि इन किताबों के प्रकाशन और तब्दीली के लिये १९५२ के वर्ष में कितनी रकम रक्खी गई थी और उसमें से कितनी खर्च हुई हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : इसमें खाली दो हजार रुपये सरकार के खर्च हुए और वह किताबों के आने जाने के सिलसिले में खर्च हुए।

श्री तेलकीकर : क्या इन पुस्तकों को विभिन्न राज्यों में परिचालन करने के लिये कोई प्रबन्ध है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी नहीं। जहां तक मैं जानता हूं ऐसा कोई प्रबन्ध नहीं है।

श्री वैलायुधन : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अमरीका को भेजी जाने वाली पुस्तकें केवल अंग्रेजी पुस्तकें हैं अथवा भारत की अन्य भाषाओं की पुस्तकें हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : यह विनिमय केवल सरकारी प्रकाशनों के सम्बन्ध में है ।

श्री नम्बियार : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार को मालूम है कि भारत से भेजी जाने वाली सभी पुस्तकों का पर्यवेक्षण सीनेट सदस्य मैकार्थी करते हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं नहीं जानता ।

विस्थापित व्यक्तियों का भवन निर्माण के लिये ऋण

*२२११. **श्री तेलकीकर** : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री व्यक्तिगत विस्थापित व्यक्तियों को भुवन निर्माण के लिये ऋणों और अथवा विकसित भूमिखण्डों को देने के लिये निश्चित शर्तें बताने की कृपा करेंगे ?

(ख) क्या तैयार मकान अथवा विकसित भूमिखण्ड व्यक्तिगत विस्थापित व्यक्तियों को बेंचे जाते हैं ?

(ग) नकद अथवा किस्तों में भुगतान की शर्तें क्या हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा है । **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १५]**

(ख) जी हां ।

(ग) नकद बिक्री में लागत मूल्य लिया जाता है । किस्त के आधार पर की गई बिक्री में लागत का एक भाग अग्रम तौर पर पहले ले लिया जाता है और बाकी कई वर्षों में फैली हुई समान किस्तों के रूप में वसूल किया जाता है ।

श्री तेलकीकर : श्रीमान्, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या और अधिक भूमिखण्डों को सर्वसाधारण के लिये उपलब्ध करने की कोई सम्भावना है ?

श्री ए० पी० जैन : हम बिक्री के लिये और भूमिखण्ड नहीं रख रहे हैं लेकिन जो भूमिखण्ड बच रहेंगे वे उपलब्ध कर दिए जायेंगे ।

श्री गिडवानी : क्या यह योजना सभी राज्यों में हो रही है अथवा केवल कुछ खास राज्यों में ही ?

श्री ए० पी० जैन : प्रत्येक राज्य में दशायें भिन्न भिन्न हैं । यह योजना केवल कुछ में ही चल रही है, दूसरों में नहीं ।

श्री राघवय्या : इन शरणार्थियों को दिये जाने वाले इन ऋणों पर मांगे जाने वाले ब्याज की प्रतिशतता क्या है और क्या बेचारे शरणार्थी ब्याज भी दे सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : ब्याज की दर के बारे में यह बहस क्या है ?

श्री राघवय्या : मेरा प्रश्न है कि ब्याज की प्रतिशतता क्या है ।

उपाध्यक्ष महोदय : ब्याज की प्रतिशतता क्या है ।

श्री ए० पी० जैन : ब्याज की प्रतिशतता समय समय पर सरकार की ऋण लेने की दर पर निर्भर करती है । आम तौर पर वह ३ १/२ प्रतिशत थी लेकिन हाल ही में वहबढ़ा कर ४ १/२ प्रतिशत कर दी गई है ।

श्री गिडवानी : मंत्री ने कहा कि कुछ राज्यों में विस्थापित व्यक्तियों को सुविधायें दी जाती हैं । क्या मैं जान सकता हूं कि उन जगहों में जहां पर वे नहीं दी जाती हैं, विस्थापित व्यक्तियों के मांग करने पर क्या ऐसी सुविधायें दी जायेंगी ?

श्री ए० पी० जैन : अवश्य । हर समय हम राज्यों में स्थिति को देखते रहते हैं। जहां भी आवश्यकता पड़ती है, हम आवश्यक कार्यवाही करते हैं ।

अधिक कार्य और कम कर्मचारीगण

*२२१२. **श्री पुन्नूस** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सेवाओं में संघों और संघटनों को उचित सरकारी प्राधिकारियों के पास ऐसी समस्याओं पर, जैसे कि अधिक काम और कम कर्मचारियों का होना आदि, अभिवेदन भेजने का अधिकार दिया गया है ;

(ख) क्या एक ऐसे सरकारी नौकर को, जो संघ । संघठन का सदस्य है, अपने संघ।संगठन के पास यह अभिवेदन भेजने का अधिकार है कि उसके पास बहुत अधिक काम है और उसके दफ्तर में कर्मचारीगण कम हैं;

(ग) क्या वह संघ।संगठन को अपने द्वारा किये जाने वाले तथा अपने दफ्तर में होने वाले सभी प्रकार के कामों के वास्तविक आयतन की सूचना दे सकता है ; और

(घ) क्या सम्बन्धित संघ । संगठन उस सूचना तथा काम के आंकड़ों का अधिक कर्मचारीगण अधिक देख रेख करने वाले पदों को बनाने तथा दफ्तरों के स्तर को उन्नत करने आदि की स्वीकृति देने के लिये उचित सरकारी प्राधिकारियों को भेजे गये अभिवेदन की मान्यता को प्रमाणित करने के लिये, हवाला दे सकता है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) जी हां।

(ख) साधारण तौर पर तो इन मामलों में सम्बन्धित कर्मचारियों को अपने मुख्य-कार्यालय अथवा विभाग में अभ्यावेदन करना चाहिये । किन्तु मान्यता प्राप्त अपने संघ तथा संगठन को इन बातों की जानकारी कराने से उन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है । उनके ये संघ तथा संगठन अपने नियमों के अनुसार उनकी ओर से सम्बन्धित अधिकारियों से अभ्यावेदन कर सकते हैं। इन संघोंद्वारा ऐसे ही अभ्यावेदन करने चाहियें जिसमें कि सरकारी कर्मचारियों का समान हित हो न कि किसी व्यक्ति विशेष का हित हो।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्य से कह रहा हूं कि वह कुछ समय के लिये रूक जायं। शेष प्रश्न काल के लिये चुप रहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है । मैं कब तक माननीय सदस्यों से, स्कूल के बच्चों की भांति कहता रहा हूं कि आप लोग यहां इस प्रकार की बातचीत न करें। आगे से अब मैं कठोर रवैया अपनाऊंगा । जो माननीय सदस्य इस प्रकार की बातचीत करना चाहते हैं वे कृपया सदनकक्ष म चले जायं और जितनी देर तक चाहे वहां बातचीत कर लें । हर बात को सुनना यहां बड़ा कठिन हो गया है ।

डा० पी० एस० देशमुख : आप के पास एक हथौड़ा होना चाहिये जिसके द्वारा....

उपाध्यक्ष महोदय : मैं काफ़ी देर से शान्ति रखने का प्रयत्न कर रहा हूं।

श्री दातार : (ग) और (घ) एक संघ अथवा संगठन तथा इसके सदस्य व्यक्तिगत आधार पर इस प्रकार की सूचनाओं को अभ्यावेदन के लिए उपयोग में ला सकता है और सरकारी कर्मचारी व्यवहार नियमों का उल्लंघन किये बिना अथवा भारतीय कार्यालय की गुप्त बातों सम्बन्धी अधिनियम १९२३ जिसके द्वारा अधिकारियों के कागज़ात तथा सूचनाओं को अनधिकृत रूप से बाहर फैलाने पर रोक लगा दी है ; के उल्लंघन किये बिना इन सूचनाओं को वहां दे सकता है ।

श्री पुन्नूस : प्रश्न (क) का उत्तर देते हुए माननीय मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि इस सम्बन्ध में शिकायतें आई हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि इन शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाहियां की गई हैं ?

श्री दातार : अधिक काम को कम करने तथा कर्मचारियों की कमी की समस्या को दूर करने के लिये सरकार पूरा पूरा प्रयत्न कर रही है।

श्री पुन्नूस : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या किसी अधिकारी को काम की अधिकता तथा कर्मचारियों की कमी की शिकायत अपने संघ अथवा संगठन में करने पर उसके विरुद्ध अनुशासन भंग करने की कार्यवाही की गई है ?

श्री दातार : मुझे इस विषय की कोई सूचना नहीं है क्योंकि यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं था।

श्री पुन्नूस : तो क्या मैं यही समझूं कि कर्मचारियों पर केवल एक ही प्रतिबन्ध लगाया गया है कि वे कार्यालय की गुप्त बातों को बाहर प्रकट न करें।

श्री दातार : इसमें भी सुधार हो सकते हैं।

श्री नामधारी : सरकारी कर्मचारियों को बहकाने के कारण क्या सरकार माननीय कम्यूनिस्ट सदस्य को 'महान् शोषक' की उपाधि देने वाली है ?

उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

आर्डनेंस फैक्टरी, कानपुर

*२२१३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार पत्रों में प्रकाशित इस समाचार में कोई तथ्य है कि कानपुर की आर्डनेन्स फैक्टरी से लगभग ६० हजार रुपये की लकड़ी गायब है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच अधिकरण (कोर्ट आफ इंक्वायरी) नियुक्त किया गया था; तथा

(ग) यदि हां, तो वह किस निष्कर्ष पर पहुंचा ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतोष चन्द्र) : (क) आर्डनेंस फैक्टरी के महा संचालक को मार्च १९५३ में एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था कि कानपुर की छोटी सी 'आरम्स फैक्टरी' से हल्दू के तख्ते खो गये हैं। आसपास में अनुमानित अंकित मूल्य के आधार पर उसका मूल्य ५३ हजार रुपया लगाया गया था।

(ख) जी हां। आर्डनेंस फैक्टरी के महा संचालक ने, २५ मार्च १९५३ को जब इस हानि का पता चल गया तो एक जांच मंडल इसकी जांच करने के लिये बनाने की आज्ञा दी।

(ग) इस मंडल का प्रतिवेदन मिल गया है और आजकल इसकी जांच हो रही है। जब तक सरकार इसके बारे में कुछ निश्चित नहीं कर लेती है तब तक इस जांच मंडल की खोज के बारे में बताना कुछ उचित नहीं है।

श्री रघुनाथ सिंह : उठे—

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल अब समाप्त हो गया है।

श्री रघुनाथ सिंह : केवल एक प्रश्न।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं ! प्रश्नकाल समाप्त हो गया है। कुछ अल्प सूचना वाले प्रश्न हैं।

श्री चट्टोपाध्याय : नई दिल्ली तथा पुरानी दिल्ली दोनों में ही अचानक पानी की कमी हो जाती है। और विशेष रूप से...

उपाध्यक्ष महोदय : कार्यवाही में इस प्रकार मैं विघ्न पड़ने नहीं देना चाहता।

श्री चट्टोपाध्याय : यह बहुत ही मुख्य एवं अति आवश्यक मामला है ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह गलत है । माननीय सदस्यों को पूर्व में ही मुझे सूचना देनी चाहिये । संसद् की कार्यवाही में किसी प्रकार की बाधा डालने की आज्ञा मैं नहीं देना चाहता । श्री यू० एम० त्रिवेदी ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मुझे प्रश्न पूछने का अधिकार है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां ।

अल्प सूचना प्रश्न तथा उत्तर

दिल्ली में पुलिस द्वारा लाठी चार्ज

सरदार हुक्म सिंह : (श्री यू० एम० त्रिवेदी की ओर से) :क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह तथ्य है कि १२ मई १९५३ को सायंकाल ७–४५ बजे दीवान हाल के निकट दिल्ली में, पुलिस द्वारा की गई लाठी चार्ज में सत्याग्रहियों के अतिरिक्त ६३ और व्यक्ति घायल हो गये थे ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि घायल व्यक्तियों में से किसी को भी दवाई सम्बन्धी सहायता नहीं दी गई थी ?

(ग) क्या यह तथ्य है कि लाजपतराय बाजार क्षेत्र में खरीददारी करने वालों पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज किया गया था तथा पुलिस द्वारा उन्हें दुकानों से खदेड़ दिया गया था ?

(घ) क्या यह तथ्य है कि लेखराज नामक व्यक्ति को जो दीवान हाल को जाने वाली सड़क पर खड़ा था उस समय तक पुलिस ने पीटा जब तक कि वह बेहोश न हो गया ?

(ङ) पुलिस के अन्याय को ढकने के लिये यह कहानी गढ़ी गई कि पुलिस तथा मजिस्ट्रेट के ऊपर एसिड की बोतलें, अथवा हथगोले अथवा ईंटें फैंकी गईं क्या यह तथ्य है ?

(च) क्या यह सत्य है कि इटावा की डा० सत्यवती को, जिनकी अवस्था ८० वर्ष की है, जब तक पुलिस ने पीटा जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गईं ?

(छ) क्या यह सत्य है कि नेशनल होटल के मालिक श्री अमोलकसिंह तथा उनके छोटे भाई को होटल से खींच कर बाहर निकाला गया और पीटा गया ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मेरे विचार में यदि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर न देकर वैसे ही वक्तव्य रूप में इसका उत्तर दूं तो सम्भवत: सदन को स्थिति का विस्तृत तथा स्पष्ट रूप से सिंहावलोकन करने का अवसर मिल सकेगा ।

जनसंघ तथा सम्बन्धित संस्थाओं के तत्वावधान में १२ मार्च १९५३ को दीवान हाल में ६॥ बजे एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था । उस सभा में कई व्यक्तियों ने जिसमें संसद् सदस्य भी थे उत्तेजनात्मक भाषण दिये, जिनमें जनता को कानून को तोड़ने की सलाह भी दी गई । श्री वी० पी० जोशी ने सभा में घोषणा की कि सभा तथा जलूसों पर लगे प्रतिबन्ध को तोड़ना चाहिये । तथा प्रधान मन्त्री के निवास स्थान के सम्मुख प्रदर्शन करने के लिये जो जलूस निकलेगा उसका वह नेतृत्व करेंगे । सभा विसर्जन के उपरान्त जनता बाहर निकली और हाथ में काले झंडे लेकर जलूस का रूप धारण कर लिया । उस स्थान पर नियुक्त मजिस्ट्रेट ने जनता को तितरबितर होने के लिये कहा तथा मजिस्ट्रेट के लगे हुए प्रतिबन्ध को न तोड़ने का परामर्श दिया । यही वह बात थी जिस पर जनता ने गड़बड़ करना शुरू कर दिया । पुलिस इंसपैक्टरों के साफ़े छीन लिए तथा कुछों ने पत्थर आदि फेंकने प्रारम्भ

कर दिये। बहुत सी बोतलें भी फेंकी गईं। इनमें से एक बोतल मजिस्ट्रेट की कमर में लगी और पश्चात् को भूमि पर गिर पड़ी तथा फट गई जबकि इसमें रखे पदार्थों से अग्नि की लपटें निकलने लगीं। एक दूसरी बोतल को ज्यों का त्यों उठा लिया गया। जब मजिस्ट्रेट ने देखा कि भीड़ तितर बितर होने के लिये तैयार नहीं है तथा पुलिस पर बराबर आक्रमण कर रही है तब उन्होंने लाठी चार्ज की आज्ञा दी। कुछ दर्शक लोग तो भाग गये किन्तु शेष ने पुलिस पर आक्रमण करना जारी रखा। स्त्री प्रदर्शनकर्ताओं ने विशेष रूप से प्रगतिशील भाग लिया। उन्होंने श्री वी० पी० जोशी के चारों ओर घेरा डाल दिया और वे स्त्री पुलिस से भिड़ गये जो कि श्री जोशी को पकड़ने के लिये नियुक्त की गई थी। चार स्त्री पुलिस इंस-पैक्टरों के हाथों को मुंह से काट लिया तथा अन्य स्त्री प्रदर्शनकर्ताओं ने स्त्री सिपाहियों पर आक्रमण किया। लाठी चार्ज की समाप्ति पर १४ स्त्रियां तथा ४६ व्यक्तियों को गिर-फ्तार किया गया। पत्थर तथा ईंटों की वर्षा के कारण ४ पुलिस सिपाही घायल हो गये। सभी चोटें चाहे वह प्रदर्शनकर्ताओं को आयीं अथवा पुलिस कर्मचारियों को वे सभी साधारण थीं।

(२) प्रश्न में पूछे गये प्रश्नों के सम्बन्ध में अब मैं आता हूं। यह कहना बड़ा कठिन है कि जनता में से कुल कितने व्यक्ति घायल हुए। उन ६० व्यक्तियों में से जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया था ७ व्यक्तियों को चोटें आई थीं जिनको डाक्टर द्वारा दवाई सम्बन्धी सभी सहायता दी गई। तथा दो व्यक्तियों को अस्पताल भी भेजा गया था। यह बात तो प्रमाणित की जा सकती है कि लाठी चार्ज केवल उन्हीं व्यक्तियों पर किया गया था जो कि हिंसात्मक कार्यवाही में भाग ले रहे थे। तथा जिन्होंने तितर बितर होने से इंकार कर दिया था। मैं कह नहीं सकता कि क्या वे सत्याग्रही थे अथवा नहीं।

(३) यह कहना ठीक नहीं है कि उन व्यक्तियों पर जो लाजपतराय बाज़ार में चीज़ें खरीद रहे थे उन पर भी लाठी चार्ज किया गया। कुछ प्रदर्शनकर्ता भाग कर दुकानों में छिप गये थे जिन्हें दुकानदारों ने पकड़ कर बाहर निकाल दिया। उन लाठी चार्ज किये गये व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति को निकाल कर यह कहना कि यह लैखराज है बड़ा असम्भव था। उसी प्रकार न तो डा० सत्यवती को और न श्री अमोलकसिंह अथवा उसके भाई को गिरफ्तार किया गया है। अतएव यह कहना कि क्या वे उस भीड़ में थे जिन पर लाठी चार्ज किया गया था बड़ा असम्भव है। न तो किसी स्त्री को बेहोश होने तक पीटा गया और न किसी व्यक्ति को नेशनल होटल से बाहर निकाल कर पुलिस द्वारा पीटा गया है। और न इस प्रकार की कोई शिकायत उस मजिस्ट्रेट से की गई है जो वहां इस घटना के होने के उपरान्त एक घंटा तक रहा है।

(४) अन्त में यह कहना भी ठीक नहीं है कि फेंके गये ईंट पत्थर तथा जल्दी आग लगाने वाले तरल पदार्थों से युक्त बोतलें वहां नहीं मिली थीं। एक बोतल जो बिना किसी टूट फूट के वहां मिली है वह अब भी पुलिस के पास है और इसके सामान का परीक्षण किया गया है। अन्त में मुझे यह कहते हुए दुःख है कि सत्याग्रह के नाम पर हिंसात्मक कार्यवाहियां की जाती हैं।

सरदार हुक्म सिंह: क्या मैं यह जान सकता हूं कि गिरफ्तारी होने के कितनी देर बाद घायलों को दवाई सम्बन्धी सहायता दी गई थी?

डा० काटजू: मैंने इसका उत्तर दे दिया है। चोटें बहुत ही साधारण थीं। ७ व्यक्तियों

को डाक्टर ने देखा तथा दो व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती किया गया। चार पुलिस के सिपाही तथा ७ अन्य व्यक्तियों के चोटें आई थीं।

सरदार हुक्म सिंह: मेरा प्रश्न यह नहीं था।

उपाध्यक्ष महोदय: घटना के कितनी देर बाद उनका उपचार किया गया?

डा० काटजू: क्या मैंने घंटों और मिनटों म इसका उत्तर नहीं दिया था? मैं बहुत शीघ्र ही इसका ध्यान करता हूं।

सरदार हुक्म सिंह: क्या मैं जान सकता हूं कि उस समय गिरफ्तार किये गये कुल व्यक्तियों में से अब तक किसी को छोड़ दिया गया है?

डा० काटजू: मुझे इसके बारे म सूचना चाहिए। उसके पश्चात् से कुछों को छोड़ दिया गया होगा।

सरदार हुक्म सिंह: क्या सदन में दिया गया सरकार का यह उत्तर पहला ही उत्तर है अथवा सरकार ने पूर्व भी इस विषय में कोई वक्तव्य दिया है?

डा० काटजू: मैंने यह सोचा कि क्या प्रेस को इसकी सूचना दी जाय अथवा नहीं किन्तु जब मुझे अल्प सूचना का प्रश्न मिला तो मैंने सोचा कि यह अच्छा रहेगा कि इसका उत्तर मैं सदन में ही दूं।

सरदार हुक्म सिंह: क्या यह तथ्य है कि वे व्यक्ति जो उस दिन घायल हुये थे उन्हें कल उनके घरों से गिरफ्तार किया गया है?

डा० काटजू: मुझ इसका ज्ञान नहीं है।

सरदार हुक्म सिंह: क्या यह तथ्य है कि उनमें से एक व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी टूट गई थी क्या उसकी जांच की गई है?

डा० काटजू: यदि ऐसा है, तो इस की जांच करूंगा तथा उस व्यक्ति की जांच करने का पूरा पूरा प्रबन्ध करूंगा।

सरदार हुक्म सिंह: क्या यह तथ्य है कि श्री वी० पी० जोशी को जिनका ज़िकर ऊपर आ चुका है कोतवाली तक घुटना और बनियान में ले जाया गया क्योंकि उनकी धोती तथा कमीज़ फट कर चिथड़े हो गई थी?

डा० काटजू: यह सब कोरी कल्पना की बातें हैं। स्थिति को बढ़ा चढ़ा कर कहने की प्रथाएं बहुत प्रचलित हैं।

सरदार हुक्म सिंह: क्या यह सच है कि पुलिस द्वारा अत्यधिक मारपीट करने के कारण उनके कुछ डंडे और लाठियां टूट गई थीं और उन्हें घटनास्थल पर ही छोड़ दिया गया था?

डा० काटजू: यह कल्पनाजन्य प्रश्न है।

सरदार हुक्म सिंह: क्या पुलिस अधिकारियों द्वारा वापस लिये गये डंडों और लाठियों की गणना अधिकारियों ने की है क्योंकि अभी भी मैं इस बात पर दृढ़ हूं कि एक ऐसा डंडा मेरे सुपुर्द किया गया है जो सरकारी अधिकार का परिचायक है?

डा० काटजू: क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या मेरे माननीय मित्र वहां उपस्थित थे?

सरदार हुक्म सिंह: श्रीमान्, मेरे मत की अभिव्यक्ति का अशुद्ध अर्थ लगाया गया है। मैंने अभी कहा था कि जब मुझ से यह प्रश्न रखने के लिये कहा गया था तभी यह डंडा भी मेरे सुपुर्द किया गया था। प्रश्न प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व मुझ पर था अतः डंडा भी मुझे सौंपा गया था। और डंडा इस बात का प्रमाण है कि यह सरकारी सम्पत्ति है।

पंडित के० सी० शर्मा: क्या सदस्य सदन में अपन साथ डंडा ला सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : यहां किसी ने डंडा नहीं बताया।

श्री पुरूस : माननीय मंत्री जी ने कहा कि संसद के सदस्यों सहित अनेक व्यक्तियों ने जनता को नियम भंग करने के लिये आव्हान किया। क्या मैं जान सकता हूं इनके विरुद्ध कितने दावे दायर किये गये हैं ?

डा० काटजू : मैं इस प्रश्न पर ध्यान-पूर्वक विचार करूंगा क्योंकि अभी तक हम क्षमावृत्ति का अनुसरण कर रहे थे।

कुमारी एनी मस्करीन खड़ी हुई--

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने बहुत से प्रश्नों की अनुमति दे दी है।

पश्चिमी बंगाल में चावल के मूल्य में वृद्धि

श्री टी० के० चौधरी : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कलकत्ता राशनिंग क्षेत्र को छोड़ कर पश्चिमी बंगाल के समस्त जिलों में चावल के मूल्य में तीव्र वृद्धि और हावड़ा जिले तथा चौबीस परगना जिले के सुन्दरबन में भीषण अकाल की स्थितियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है

(ख) क्या पश्चिमी बंगाल राज्य के खाद्य मंत्री और मुख्य मंत्री द्वारा गत सप्ताह उक्त राज्य की विधान सभा में दिये गये उन वक्तव्यों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है जिन के अनुसार कहा गया है कि सुन्दरबन का सात लाख के लगभग आबादी वाला ३०६० वर्गमील का भाग अकाल ग्रस्त है और राज्य सरकार इस क्षेत्र में जनता के परित्राण के लिये कोई भी कार्यवाही करने में असमर्थ है क्योंकि केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित डेढ़ करोड़ रुपये की निधि उन्हें नहीं मिली है ;

(ग) क्या चौबीस परगना के अकाल एवं अभाव-ग्रस्त क्षेत्रों के निकटवर्ती स्थानों से कलकत्ता में आने वाले बहुसंख्यक निराश्रित व्यक्तियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है ;

(घ) मानसून के पूर्व उक्त ग्रामीण जिलों में मूल्यों की भयानक वृद्धि को रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ङ) क्या सरकार का पश्चिमी बंगाल सरकार से इस आशय का वृत्तान्त प्राप्त हुआ है कि जनवरी १९५३ से व्यवहृत होने वाली खाद्य समाहार की तथाकथित किदवई योजना का लगभग अन्त हो गया है और क्या उन्होंने केन्द्रीय सरकार से पश्चिम बंगाल सरकार को केन्द्रीय चावल पुंज में दो लाख टन चावल के अनुदाय से मुक्त करने और पश्चिम बंगाल के चावल के भाग में अधिक वृद्धि करने के लिये कहा है?

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख) : बंगाल में चावल के मूल्य में कुछ वृद्धि हुई है जो कि इस वर्ष ऋतु सम्बन्धी अनुलक्षण है। सुन्दरबन क्षेत्र के डायमंड हार्बर सब-डिवीजन और बशीरहाट सब-डिवीजन और चौबीस परगना जिले के कुछ भागों में अन्नाभाव के समाचार प्राप्त हुए हैं। हावड़ा जिले में अन्नाभाव नहीं है।

(ख) कोई राजकीय वृत्तान्त प्राप्त नहीं हुआ है। किन्तु इस विषय में हम ने पश्चिम बंगाल के खाद्य मंत्री के वक्तव्य की प्रेस रिपोर्ट देखी है।

(ग) जी नहीं। पश्चिम बंगाल सरकार से जो वृत्तान्त प्राप्त हुआ है उसमें इसका उल्लेख नहीं किया गया है।

(घ) चावल के मूल्य में कोई भयावह वृद्धि नहीं हुई है। अतः किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से इस तरह का कोई प्रतिवेदन अथवा प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है ।

डा० पी० एस० देशमुख :यदि आप अनुमति दें तो मैं पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त कुछ विस्तृत समाचार आप के समक्ष प्रस्तुत करूं । इस में लगभग २६ पंक्तियां हैं ।

पश्चिम बंगाल सरकार से प्राप्त समाचार के अनुसार बशीरहाट सब-डिविजन के हसनाबाद हरोआ और सन्देशखाली पुलिस थाने में और सुन्दरबन क्षेत्र के डायमंड हार्बर सब-डिवीजन के मथुरापुर पुलिस थाने में आंशिक कठिनाई है । चौबीस परगना जिले में भी कीड़े लग जाने और खारी पानी के बहाव के कारण आंशिक विपत्ति है । उक्त प्रभाव से पीड़ित सुन्दरबन का क्षेत्र १४६० वर्गमील है और विपत्तिग्रस्त जन संख्या लगभग पांच लाख है । राज्य सरकार ने पीड़ित क्षेत्र में सहायता कार्य प्रारम्भ कर दिया है और इस के लिये ८५,००० रु० स्वीकृत किया जा चुका है । वे ६,६३,६९८ रु० की अतिरिक्त राशि स्वीकृत करने का प्रस्ताव रख रहे हैं यह राज्य सरकार के विचाराधीन है । सहायता कार्य के लिये राज्य सरकार ने ५०,००० रु० वितरण करने के लिये अतिरिक्त राशि भी स्वीकृत की है । राज्य सरकार के अनुसार भंडार की कमी नहीं और नियंत्रण समाप्त कर देने पर उक्त क्षेत्रों में चावल और धान अधिक परिमाण में उपलब्ध हो सकता है । इस विपत्ति का मूल कारण स्थानीय फसल की आंशिक विनष्टि के फलस्वरूप जनता की क्रय शक्ति में ह्रास होना है । सुन्दरबन क्षेत्र में चावल के मूल्य में दिनांक ६ मई १९५३ को २० रु० और २५ रु० के बीच कुछ वृद्धि हुई है । किन्तु यह कीमत गत वर्ष इसी समय की कीमत से लगभग १२ रु० कम है । राज्य सरकार के अनुसार हावड़ा जिले में खाद्याभाव की स्थिति नहीं है । इसके अतिरिक्त वहां अनाज भंडार में भी कमी नहीं है । हावड़ा जिले में ६ मई १९५३ को चावल की कीमत २२ रु० ८ आने से २३ रु० ८ आने के बीच थी जो कि गत महीने से कुछ अधिक किन्तु गत वर्ष इसी समय की कीमत से लगभग १८ रु० कम है ।

प्रश्न के (ङ) भाग के उत्तर में मैं इतना कह दूं कि किदवई योजना इतनी सरलता से भंग नहीं हो सकती है जितनी कि प्रश्न के उक्त भाग में बतलाई गई है ।

श्री टी० के० चौधरी : (ङ) भाग के संबंध में क्या सरकार के पास यह जानकारी है कि पश्चिमी बंगाल में अन्न समाहार का अन्तिम लक्ष्य तीन लाख टन पूरा हो चुका है और क्या इस सन्देह का कोई कारण है कि सरकार की प्रारंभिक योजना के विरुद्ध बड़े जमींदारों और धनी किसानों को बृहद्-स्तर पर गल्ला वसूली से मुक्त कर दिया गया है और समाज विरोधी तत्व अपसंचय में तल्लीन हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : प्रश्न के अन्तिम भाग से मेरा सम्बन्ध नहीं है । किन्तु मैं माननीय मित्र से कहदूं कि पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी तक १·७७ लाख टन चावल समाहार किये हैं ।

श्री टी० के० चौधरी : अन्तिम लक्ष्य कितना था ?

डा० पी० एस० देशमुख : तीन लाख टन ।

श्री के० के० बसु : उपर्युक्त उत्तर को दृष्टिगत करते हुए, क्या सरकार का यह विचार नहीं है कि उससे किदवई योजना में आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है क्योंकि आगामी ऋतु की क्षीण स्थिति को देखते हुए यह संभव नहीं है कि अधिक चावल समाहार किया जा सके ?

डा० पी० एस० देशमुख : हमारा विचार यह नहीं है । किसी भी स्थिति में हमारे पास पर्याप्त भंडार है और यदि पश्चिम बंगाल सरकार को अधिक आवश्यकता हो तो हम उन्हें देने की स्थिति में हैं ।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार को मालूम है कि समाचार-पत्रों से एकत्रित-आंकड़ों के आधार पर गल्ला वसूली का सिद्धान्त (छोटे छोटे और मध्य मवर्गीय किसानों द्वारा प्राप्त) खाद्यान्न पर विपरीत रूप में प्रभावित हुआ है और उच्च वर्ग में अनाज संचित हो गया जिस के परिणामस्वरूप इन क्षेत्रों में खाद्य स्थिति भयावह हो गई है ?

डा० पी० एस० देशमुख : यह विषय पश्चिम बंगाल सरकार के विचारार्थ है ।

श्री टी० के० चौधरी : पश्चिम बंगाल अपनी समाहार की गई मात्रा में से कलकत्ता के राशनिंग क्षेत्र की आबादी के उपभोग के लिये कितना चावल देती है ? क्या पश्चिम बंगाल सरकार केन्द्रीय पुंज में वर्तमान मात्रा से भी अधिक चावल देगी ? पश्चिम बंगाल के सन्तुलन में चावल की कुल कितनी मात्रा है ?

डा० पी० एस० देशमुख : स्थिति यह है कि पहले हमारा यह विचार था कि हमें पश्चिम बंगाल से बृहत्तर कलकत्ता के लिये डेढ़ लाख टन चावल मिल सकेगा । यदि अभ्यंश के पूरी होने की संभावना नहीं हो तो इस विषय में प्राप्त होने वाले प्रत्येक सुझाव का सरकार स्वागत करेगी ।

श्री एस० एन० दास : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या बिहार राज्य के पड़ौस में व्याप्त नैराश्यपूर्ण स्थितियों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित हुआ है और यदि ऐसा है तो इन कीमतों को कम करने के लिये सरकार ने क्या कार्य किया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं इस विषय पर वक्तव्य देने की स्थिति में नहीं हूं ।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार को मालूम है कि खारे पानी से जमीन की उत्पादन-शक्ति कम होने और गत तीन वर्षों से खाद्य-स्थिति भयानक होने के फलस्वरूप अत्यधिक परिमाण में भूमि निर्धन किसानों के अधिकार से धनी व्यक्तियों के हाथ में चली गई है; अकेले हसनाबाद हरोरा सब-डिवीजन में इस तरह के ४,५०० भूमि परावर्तन के उदाहरण हो चुके हैं जो कि औसत दर की तुलना में अत्यधिक हैं ?

डा० पी० एस० देशमुख : मेरा विश्वास है कि पश्चिम बंगाल सरकार इस दिशा में उचित कार्यवाही कर रही है और वे एक लम्बी सड़क बना रहे हैं तथा नलकूप स्थापित कर रहे हैं ।

कुछ माननीय सदस्य खड़े हुए—

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने प्रस्तुत विषय पर अनेक प्रश्नों की अनुमति दी है ।

पंडित डी० एन० तिवारी : मैं यह निवेदन करता हूं .....

उपाध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । मुझे कहने दीजिये । जब कभी मैं यह अनुभव करता हूं कि माननीय सदस्य संबंधित प्रश्न से दूर जा कर अन्य प्रश्नों को ढूंढने का प्रयत्न कर रहे हैं तब मैं उन्हें उस प्रश्न का वहीं अन्त कर दूसरा प्रश्न लेने के लिये कहता हूं । मैं पूर्णतया आश्वस्त हो जाता हूं कि सम्बन्धित प्रश्नों के विषय में उन के प्रश्न समाप्त हो गये हैं । हां, अब श्री बसु कुछ कहना चाहते हैं ।

श्री के० के० बसु : क्या सरकार का ध्यान पश्चिम बंगाल विधान सभा में खाद्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य की ओर आकर्षित हुआ है जिस में कहा गया है कि उक्त क्षेत्र के

विकास के लिये योजना आयोग द्वारा लगभग ४६ लाख रु० स्वीकृत कर देने पर भी पश्चिम बंगाल राज्य के बार बार मांगने और प्रार्थना करने पर केन्द्रीय सरकार ने अभी तक केवल १५ लाख रु० दिया है ?

डा० पी० एस० देशमुख : मैं अपने मित्र से प्रार्थना करता हूं कि वह इस प्रश्न को माननीय वित्त मंत्री से पूछें ।

श्री टी० के० चौधरी : माननीय मंत्री जी का विचार है कि उक्त पीड़ित क्षेत्र में खाद्याभाव का कारण जनता की क्रय शक्ति का ह्रास है । क्या सरकार के पास एसी योजना विचाराधीन है जिस से साधारण जनता की क्रय शक्ति की पहुंच तक खाद्यान्न का मूल्य कम किया जा सके ?

डा० पी० एस० देशमुख : जैसा कि खाद्य मंत्री के भाषण में बताया गया है मैं माननीय सदस्यों के सम्मुख यह सुझाव उपस्थित करता हूं कि यदि वे उसे देखें तो उन्हें यह स्पष्ट हो जायगा कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उपयुक्त कार्यवाही पहले से ही की जा रही है ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य पंडित डी० एन० तिवारी कुछ निवेदन करना चाहते थे ?

पंडित डी० एन० तिवारी : इस तरह का एक प्रश्न बिहार के सम्बन्ध में भी प्रस्तुत किया गया था किन्तु उत्तर में बतलाया गया कि सरकार उस प्रश्न को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है । क्या मैं जान सकता हूं कि यह वैषम्यपूर्ण व्यवहार क्यों है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय खाद्य मंत्री अनुपस्थित हैं । प्रस्तुत प्रश्न भी बहुत समय पूर्व ही पटल पर रखा गया था । अतः भार के विचार से, माननीय सदस्यों ने मुझ से कहा कि माननीय मंत्री डा० पंजाबसिंह देशमुख से उत्तर देने के लिये कहा जाय: कुछ हिचकिचाहट के पश्चात उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया क्योंकि पूर्ण तथ्यों से परिचित नहीं थे । माननीय सदस्य ने इतना उत्साह प्रकट नहीं किया था ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

शस्त्रास्त्र कारखाना अम्बरनाथ

*२१९९. **श्री विट्टल राव : रक्षा** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या प्रधान मंत्री को जनवरी १९५३ में शस्त्रास्त्र कारखाना अम्बरनाथ के दौरे में शस्त्रास्त्र कारखाना के कर्मचारियों के संघ द्वारा ज्ञापन पेश किया गया था ?

(ख) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने उन के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिलाया था कि उस की जांच की जायगी और उसमें वर्णित कष्टों को दूर किया जायगा ?

(ग) उस आश्वासन को पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) जब प्रधान मंत्री जनवरी १९५३ में अम्बर-नाथ में नमूने के मशीनी औजारों की फैक्ट्री के उद्घाटनोत्सव के लिये गये, तो शस्त्रास्त्र फैक्ट्रियों के कर्मचारियों ने एक ज्ञापन पेश किया था ।

(ख) प्रधान मंत्री अभ्यावेदन की पड़ताल करने के लिये सहमत हो गये ।

(ग) अभ्यावेदन के विभिन्न पदों पर विचार किया गया, और जहां किसी कार्य-वाही की आवश्यकता थी, उसे किया गया।

गांधी स्मारक निधि का औद्योगिक-वित्त-निगम के बन्धपत्रों में लगाना

*२२०९. **श्री मोहन लाल सक्सेना :** (क) **वित्त** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि गांधी स्मारक निधि का

तीन करोड़ और पैंतीस लाख रुपया औद्योगिक वित्त निगम के १९६४ बन्धपत्रों में लगा दिया गया है ?

(ख) प्रत्याभूत लाभांश देने के लिये सरकार द्वारा निगम को कुल कितनी रकम दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) जी, हां ।

(ख) २६,८९,१२६-४-६ ।

अभ्यस्त-अपराधी-विधेयक

*२२१४. **श्री कृष्णाचार्य जोशी : गृह-कार्य** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अखिल भारतीय अभ्यस्त-अपराधी-विधेयक को, जिस पर विचार किया जा रहा था, अन्तिम रूप दे दिया गया है ?

(ख) क्या राज्य सरकारों ने राज्यों में अभ्यस्त अपराधियों का निपटारा करने के लिये कोई उपाय लागू करने की कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) जी, नहीं ।

(ख) बम्बई, मद्रास, राजस्थान, पंजाब, सौराष्ट्र, मध्य भारत, भूपाल, मैसूर, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा ने अभ्यस्त अपराधियों का निपटारा करने के लिये उपायों की कार्यवाही की है । मद्रास-अभ्यस्त-अपराधी-प्रतिबन्धन-अधिनियम देहली और अजमेर राज्यों पर भी लागू हो गया है । पैप्सू, बिहार और हैदराबाद ने अपने राज्य की विधान-सभाओं में ऐसे उपायों को रखा है । पश्चिमी बंगाल भी ऐसे उपाय करने की कार्यवाही कर रहा है । बाकी राज्यों ने ऐसे उपायों को बर्तने के लिये कोई कार्यवाही नहीं की, क्योंकि वे इस की आवश्यकता नहीं समझते ।

त्रिपुरा में उजड़े हुये लोगों के उपनिवेश और शिविर

*२२१५. **श्री दशरथ देव : पुनर्वास** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कि क्या यह सच है कि त्रिपुरा सरकार ने एक परिपत्र निकाला है कि बाहर के व्यक्तियों का उजड़े हुए व्यक्तियों के उपनिवेशों और शिविरों में जाना निषिद्ध है ; और

(ख) क्या यह सच है कि उजड़े हुए व्यक्तियों को अपने उपनिवेशों और शिविरों से बाहर जाने के लिये आज्ञा लेने की आवश्यकता है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) जी, नहीं ।

(ख) केवल शिविरों में रहने वाले व्यक्तियों को रात्रि को बाहर जाने के लिये आज्ञा लेने की आवश्यकता है ।

ब्रिटिश नौसेना से युद्ध के जहाज़

*२२१६. **डा० राम सुभग सिंह : रक्षा** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत सरकार ने ब्रिटिश नौसेना से कर्ज़ पर कोई जंगी जहाज़ लिया है ;

(ख) और यदि ऐसा है, तो कितने और कितने समय के लिये ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) जी, हां ।

(ख) १. तीन जहाज़ ।

२. प्रारम्भ में तीन वर्ष के लिये, जो बाद में करार द्वारा अधिक समय के लिये भी बढ़ाये जा सकते हैं ।

धार्मिक संस्थाओं का कुप्रबन्ध

*२२१७. **श्री बलवन्त सिन्हा मेहता :** (क) **विधि** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या

सरकार को पता है कि देश में धार्मिक संस्थाओं का विशेष कर मन्दिरों का बुरा प्रबन्ध है ?

(ख) क्या सरकार इसे रोकने के लिये विधान बनाने का विचार करती है ?

विधि तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : (क) सरकार के पास इस समय कोई जानकारी नहीं ।

(ख) इस विषय पर राज्य सरकारों से आवश्यक सूचना भेजने के लिये कहा गया है। सूचना आ चुकने पर, ऐसा विचार किया जायगा कि आया केन्द्रीय विधान की आवश्यकता है, और यह किस पद्धति से बनाया जाय ।

शिल्पिक शिक्षा के लिये अखिल भारतीय परिषद् के अधीन परीक्षक

*२२१८. **श्री के० सी० सोधिया** : शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे ;

(क) १९५२ में शिल्पिक शिक्षा के लिये अखिल भारतीय परिषद् के आधीन नियुक्त किये गये परीक्षकों की संख्या ? और

(ख) विषय, जिन के लिये वे नियुक्त किये गये ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद) : (क) तथा (ख). आवश्यक सूचना रखने वाला विवरण-पत्र सदन पटल पर रखा हुआ है। **[देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १६]**

"इंगलैंड में करारोप" के आधीन खर्चे के पद

*२२१९. **के० सी० सोधिया** : (क) **रक्षा** मंत्री मांग ० १३ के 'जी' शीर्षक अधीन दिखलाये 'इंगलैंड में करारोप' के अधीन खर्च के मुख्य पद बतलाने की कृपा करेंगे;

(ख) प्रति वर्ष इस शीर्षक के अधीन किन कारणों से खर्च बढ़ रहा है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) (१) नौ सेना के परामर्शक और उसके कर्मचारियों के वेतन और भत्ते ।

(२) यू० के० में प्रशिक्षण और दूसरे उद्देश्यों से भेजे गये व्यक्तियों के वेतन और भत्ते ।

(३) व्यक्तियों के अवकाश-भत्ते ।

(४) भारत के लिये निर्गमन ।

(५) व्यक्तियों के यातायात के करारोप ।

(६) नौसेना स्टोर ।

(७) बाहर के स्टेशनों पर आई० एन० जहाज़ों द्वारा लिया गया तेल और ईंधन ।

(८) जहाज़ों में वृद्धि और तबदीली ।

(९) प्रशिक्षण-शुल्क ।

(१०) दूसरे सम्मिलित करारोप ।

(ख) जब कि खर्च के कुछ पद न्यूनाधिक निश्चित और बद्ध हैं, तो भी दूसरे पद अस्थायी स्वभाव के हैं । और वास्तव खर्च गत वर्षों सम्बन्धी लेखा में समन्वय, भुगतान की रकम और दिये गये आदेशों पर बहुत हद तक निर्भर रहता है । अतः प्रत्येक वर्ष के वास्तविक खर्च के आंकड़ों से कोई विशिष्ट उपसंहार नहीं निकाला जा सकता । तो भी पिछले तीन वर्षों में ये आंकड़े घट रहे हैं और बढ़ नहीं रहे ।

उच्चतम न्यायालय का देहली से हैदराबाद बदलना

*२२२०. **डा० राम सुभग सिंह** : (क) **गृह-कार्य** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या हैदराबाद सरकार या हैदराबाद के विधि-व्यवसायिक-संघ से उच्चतम न्यायालय को देहली से हैदराबाद बदलने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त किया गया है ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या सरकार उच्चतमन्यायालय को हैदराबाद बदलने

के लिये शीघ्र ही कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

पद क्रम की सूची

*२२२०-क. **श्री सी० आर० नरसिंहन्** : **गृहकार्य** मंत्री सदन-पटल पर अब तक संशोधित और इस समय प्रचलित भारत के पद-क्रम की सूची को रखने की कृपा करेंगे ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : अब तक के पद-क्रम की सूची की प्रति सदन पटल पर रखी हुई है [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १७**]

उड़ीसा अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों को तम्बाकू की छूट

*२२२१. **श्री संगण्णा** : **वित्त** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उड़ीसा के अनुसूचित क्षेत्र में आदिवासियों को ४० या ६० पौंड तम्बाकू की दी गई छूट परिवार की संख्या पर आधारित है अथवा परिवार के तम्बाकू पीने वाले सदस्यों के आधार पर ?

(ख) क्या केन्द्रीय आबकारी विभाग के तत्सम्बन्धी प्राधिकारियों के स्वविवेक पर अनुविहित सीमा के अन्दर छूट का समन्वय किया जा सकता है ?

(ग) यदि एसा हो सकता है, तो एसी स्वविवे की शक्तियों के कुप्रयोग के विरुद्ध नियंत्रण रखने के लिये क्या पूर्वावधारना रखी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) स्थानाधारित, उड़ीसा के बोने वालों को अपने निजी उपभोग के लिये और अपने परिवार के सदस्यों के उपभोग के लिये मुफ्त ४० या ६० पौंड तक तम्बाकू छूट दी गई है ।

(ख) जी, हां । छूट के लिये तम्बाकू की मात्रा निश्चित है ।

(१) स्थान में लोगों की साधारण तम्बाकू पीने की आदत पर

(२) बोने वाले के परिवार में तम्बाकू पीने वाले सदस्यों की संख्या पर ।

ये ऊपरी सीमायें अधिक से अधिक हैं और प्रादेशिक अधिकारियों को प्रत्येक की योग्यता के अनुसार भत्ता निश्चित करने के लिये आदेश है ।

(ग) प्रादेशिक अधिकारी द्वारा विभागीय तम्बाकू-परिमाप बुक में प्रत्येक बोने वाले के नाम में, निजी उपभोग के लिये दिये गये भत्ते को लिखा जाता है ।

निरीक्षण करने वाले अधिकारी दौरे में प्रादेशिक प्राधिकारी द्वारा दिये गये निजी उपभोग के कोटे में इन पुस्तकों से एक खास प्रतिशत की पड़ताल करते हैं ताकि वे अपने स्वविवेक का दुरुपयोग न कर सकें ।

और इसी प्रकार प्रादेशिक अधिकारियों द्वारा दिये गये मुफ्त मात्रा से, बोने वाले व्यक्ति यदि असन्तुष्ट हों, तो वे निरीक्षक अधिकारी के पास उस की शिकायत कर सकते हैं ।

आन्धरा में भरती के केन्द्र

*२२२२. **श्री नाना दास** : **रक्षा** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) आन्धरा क्षेत्र में वर्तमान में रक्षा के कर्मचारियों के भरती केन्द्र; और

(ख) १९५३-५४ और १९५४-५५ में कितने नये भरती-केन्द्र खोलने का विचार है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क)

सेना और नौसेना—वजीगापटम

हवाई सेना—शून्य

(ख) शून्य

पाकिस्तान प्रति भूति और भागों का करापहरण

*२२२३. **श्री नाना दास :** वित्त मंत्री २९ अप्रैल १९५३ को पूछे गये तारांकित प्रश्न नं० १६८७ के उत्तर की ओर निर्देश करेंगे और बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सरकार द्वारा पाकिस्तान-प्रतिभूति और भागों के करापहरण पर काबू पाने के लिये, उठाये गये कदम ?

(ख) करापहरण करने वाले कैसे इन उपायों से बचते हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) यह बतलाना लोक-हित के लिये घातक है कि प्रतिभूतियों और हिस्सों के करापहरण को रोकने के लिये क्या कार्य-वाही की जाती है, और करापहरण करने वाले लोगों के लिये इन उपायों से बचने के क्या संभवनीय तरीके हैं । यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि हिस्सों और प्रति-भूतियों के करापहरण को रोकने के लिये वही तरीके प्रयोग में लाये जाते हैं, जो दूसरी वस्तुओं के करापहरण को रोकने के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं ।

(ख) करापहरण को रोकने के लिये अत्युत्तम प्रयत्नों के होते हुए भी इस बुराई को जड़ से उखाड़ देना संभव नहीं है ।

हैदराबाद में हाली सिक्का चलार्थ सुस्थिरी-करण रक्षित निधि

*२२२४. **श्री एच० जी० वैष्णव :** (क) क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हैदराबाद में हाली सिक्का चलार्थ सुस्थिरी-करण रक्षित निधि में कितनी राशि है और यह किस रूप में है ?

(ख) क्या हैदराबाद के चलार्थ का मूल्यापहार होने के पश्चात् यह निधि भारत सरकार ने अपने हाथ में ले ली है ?

(ग) क्या मूल्यापहरण के फलस्वरूप, हैदराबाद राज्य को भारतीय चलार्थ देने में भारत सरकार को अतिरिक्त वित्तीय भार उठाना पड़ा ?

(घ) यदि उठाना पड़ा तो कितनी राशि का ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : क) ओसमानिया सिक्का सुस्थिरीकरण रक्षित निधि में हैदराबाद के चलार्थ की ३ करोड़ रुपये की राशि है और यह सारी राशि भारत सरकार की प्रतिभूतियों में लगाई गई है ।

(ख) संघ के वित्तीय एकीकरण के समय यह रक्षित निधि, चलार्थ व्यवस्था की आस्तियों तथा दायित्वों के भाग के रूप में केन्द्रीय सरकार के हिस्से आई और केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्य सरकार के पास रखी है ।

(ग) तथा (घ). पहली अप्रैल, १९५० से चलार्थ एक केन्द्रीय विषय बन गया है और केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्य सरकार इस का प्रबन्ध करती रही है । स्थानीय चलार्थ के निकालने से जो हानि होगी वह केन्द्र को होगी और भारतीय चलार्थ से, जोकि इसका स्थान लेगा, जो लाभ होगा वह सिक्कों के बारे में केन्द्रीय सरकार को होगा और नोटों के बारे में रक्षित बैंक को । इस अवस्था में कुल लाभ अथवा हानि के कुछ आंकड़े बताना असम्भव है ।

सौराष्ट्र आदि की आर्थिक समस्यायें

*२२२५. **श्री बुन्चिकोटय्या :** (क) क्या राज्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सौराष्ट्र, राजस्थान, मध्यभारत तथा पेप्सू की आर्थिक समस्याओं की जांच करने के लिये सरकार ने कोई विशेष समिति नियुक्त की है ?

(ख) यदि की है, तो इसके सदस्य कौन हैं और यह समिति किन किन बातों की जांच करेगी ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) तथा (ख) २८ अप्रैल, १९५३ को सरकार द्वारा जारी किये गये संकल्प की एक प्रतिलिपि सदन पटल पर रखी हुई है और इस में सदस्य द्वारा मांगी गई जानकारी दी हुई है । **[देखिये परिशिष्ट ११, अनुबन्ध संख्या १८]**

आय-कर अनुसंधान आयोग

*२२२६. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रकटीकरण योजना के आरम्भ किये जाने के पश्चात् आय-कर अनुसन्धान आयोग के कृत्य क्या हैं ;

(ख) क्या प्रकटीकरण के पश्चात् कोई मामला आय-कर अनुसन्धान आयोग को सौंपा गया; तथा

(ग) क्या आय-कर अनुसन्धान आयोग इस समय काम कर रहा है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) प्रकटीकरण योजना के आरम्भ किये जाने के पश्चात् आय-कर अनुसन्धान आयोग के वही कृत्य थे जो उस से पूर्व ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

आय-कर पदाधिकारियों की नियुक्ति

*२२२७. **श्री नानादास** : क्या **वित्त** मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि २१५ आय-कर पदाधिकारियों (वर्ग ३) के पदों की नियुक्ति के विषय में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों के लिये शिक्षा संबंधी अर्हताओं में शिथिलता कर दी गई है

(ख) यदि ऐसा हुआ है तो अब उन के लिये क्या अर्हताएं विहित कर ली गई हैं ; तथा

(ग) क्या इस शिथिलीकरण के दृष्टिगोचर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अभ्यर्थियों से नये आवेदन-पत्र बुलाये जायेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग) उत्पन्न नहीं होते ।

भारतीय असैनिक सेवा पदाधिकारी

*२२२८. **श्री एस० सी० सामन्त** : (क) क्या **गृहकार्य** मंत्री सदन पटल पर उन भारतीय असैनिक सेवा (आई० सी० एस०) पदाधिकारियों की संख्या का, एक विवरण रखने की कृपा करेंगे, जो आजकल नौकरी में लगे हुए हैं ?

(ख) किस वर्ष भारतीय असैनिक सेवा के पदाधिकारियों का अन्तिम समूह भर्ती किया गया था ?

(ग) क्या भारतीय असैनिक सेवा के पदाधिकारियों को प्रत्याभुत रियायतों के साथ बिना कोई छेड़ छाड़ किये हुए भारतीय असैनिक सेवा (आई० सी० एस०) पद के नाम को भारतीय प्रशासकीय सेवा में परिवर्तित करने में कोई संवैधानिक प्रतिबन्ध हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा है । **(देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या १९)**

(ख) १९४४ ।

(ग) पद के नाम को परिवर्तित करने में कोई संवैधानिक प्रतिबन्ध नहीं है । भारत सरकार ने शक्ति के स्थानान्तरण के ठीक पहले यह तय कर लिया था कि पुराना नामकरण जारी रहेगा ।

आन्ध्र के जिलाधीशों को अनुदान

*२२२९. **श्री बुच्चिकोटैय्या** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या केन्द्र द्वारा आन्ध्र राज्य के जिलाधीशों के नए आन्ध्र राज्य के बनने पर होने वाले उत्सवों के प्रयोजन के लिये उपयोग करने के लिये कोई धन राशि मंजूर की है; और

(ख) यदि की है, तो उस प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि मंजूर की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्यभारत व्यापार मण्डल के सदस्यों पर जारी की गई नोटिसें

*२२३०. **श्री एन० एल० जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि मध्य भारत व्यापार मंडल के पच्चीस सदस्यों के ऊपर, १९४४-४५ से अपने आय विवरण भेजने के लिये, आयकर विभाग द्वारा नोटिसें जारी की गई हैं ;

(ख) क्या आर्थिक एकीकरण के समय सरकार के द्वारा अथवा उसकी ओर से पिछले लेखाओं के निर्धारण के सम्बन्ध में कोई आश्वासन दिये गये थे; और

(ग) यदि दिये गये थे तो वे क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) यह तथ्य नहीं है कि इस प्रकार की नोटिसें मध्यभारत व्यापार मण्डल के २५ सदस्यों को दी गई हैं । संभव है कि इस प्रकार की नोटिसें कुछ व्यक्तियों को ऐसी आय के सम्बन्ध में दी गई हों जो प्रोद्भूत हुई या उत्पन्न हुई या मध्यभारत राज्य के बाहर के क्षेत्रों में प्राप्त हुई थी, लेकिन जो पहले भारतीय आयकर अधिनियम के आधीन कहे जाने वाले "ब्रिटिश भारत" में थी।

(ख) और (ग). दिया गया आश्वासन यह था कि यद्यपि पहली अप्रैल १९५० से भारतीय आयकर अधिनियम मध्यभारत पर लागू होता है और अतः कुछ मामलों में वह निर्धारण के अधिकार क्षेत्र में ऐसी आयों को ला सकता है जो ३१ मार्च १९४९ से भी पहले हुई थीं, फिर भी जहां तक मध्य भारत और राजस्थान संबंधित थे, सरकार एक विशेष मामले के रूप में, ऐसी किसी भी आय को विमुक्त कर देगी जो इन राज्यों में १ अप्रैल १९४९ से पूर्व प्रोद्भूत अथवा पैदा हुई हो । भाग ख राज्यों के (करारोपण रियायतें) आदेश, १९५० के पैराग्राफ ६ के प्रथम परन्तुक में आवश्यक व्यवस्था कर दी गई है ।

भारतीय नाविक पोत-घाट कर्मचारियों का संघ, बम्बई

*२२३१. **श्री बी० डी० शास्त्री** : क्या **रक्षा** मंत्री बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान, भारतीय नाविक पोत-घाट कर्मचारियों के संघ, बम्बई, की प्रबन्ध-समिति द्वारा २७ फरवरी १९५३ को स्वीकृत प्रस्ताव, की ओर आकर्षित किया गया है जिस में भारत सरकार की उस नीति का विरोध किया गया है जिस के आधीन मजदूर संघ के कई सदस्यों को बिना कारण बताये पदच्युत कर दिया गया था; और

(ख) उस प्रस्ताव पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार करती है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) जी हां ।

(ख) सरकार ने मामले की जांच की है और उसे पता चला है कि कोई भी व्यक्ति अपने मजदूर संघ के कार्यों के लिये पदच्युत नहीं किये गये थे ।

खनिज-सम्पत् सम्बन्धी एशियाई सम्मेलन

*२२३२. **श्री रघुनाथ सिंह:** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने टोकियो में हुए खनिज-सम्पत् सम्बन्धी एशियाई सम्मेलन में भाग लिया था ;

(ख) यदि हां, तो भारत के कौन-कौन प्रतिनिधि थे;

(ग) भारत द्वारा प्रतिनिधिमंडल पर कितना धन व्यय किया गया; तथा

(घ) इस सम्मेलन में भारत को क्या लाभ हुआ ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) से (घ). मांगी गई सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा है । [**देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २०**]

पुलिस के सिपाहियों का अनुचित व्यवहार

*२२३३. **श्री बी० डी० शास्त्री** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि कुछ पुलिस के सिपाहियों को सदर बाज़ार थाना, दिल्ली के क्षेत्राधिकार के आधीन स्थित बस्ती हरफूल सिंह में प्लाट संख्याओं ४८, ४९, ५० आदि के गोदामों में आवासित कर दिया गया है;

(ख) क्या सरकार को मालूम है कि इन में से कुछ पुलिस के सिपाही अनुचित रूप से व्यवहार करते हैं ;

(ग) इन में से कितने पुलिस के सिपाहियों के विरुद्ध पड़ोसी निवासियों के प्रति अनुचित व्यवहार की शिकायतें की गई थीं ;

(घ) क्या और कितनों के विरुद्ध कार्यवाही की गई थी; और

(ङ) ऐसे सभी पुलिस के सिपाहियों को हटाने के लिये और उन्हें उचित पुलिस बैरकों में स्थान देने और इस प्रकार स्थानीय निवासियों की परेशानी को रोकने के लिये क्या सरकार के पास कोई सुझाव है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू):

(क) जी हां ।

(ख) नहीं ।

(ग) से (ङ). प्रश्न नहीं उठते ।

बिना जड़े सच्चे मोती

*२२३४. **श्री दामोदर मेनन** : (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार को जवेरी महाजन बम्बई द्वारा एक स्मरणपत्र प्राप्त हुआ है जिसमें निवेदन किया गया है कि १९५३ के वित्त विधेयक के अनुसार बिना जड़े सच्चे मोतियों पर जो २० प्रतिशत नया कर लगा दिय गया है, रद कर दिया जाय ?

(ख) यदि ऐसा है, तो भारत सरकार किये गये निवेदन पर क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) मामला भारत सरकार के विचाराधीन है

जन प्रशासन

*२२३५. **डा० अमीन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जन प्रशासन के सुधार पर योजना आयोग की

सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाहियां की गई हैं ?

गृह-कार्य उप मंत्री (श्री दातार) : सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये की जाने वाली विशिष्ट कार्यवाहियां वर्तमान में विचाराधीन हैं ।

सैनिकों की भर्ती के लिये सलाहकार समितियां

*२२३६. **श्री भीखा भाई** : (क) क्या **रक्षा** मंत्री तारांकित प्रश्न संख्या १८२१ तथा उन के अनुपूरक प्रश्न जो ४ मई को पूछे गये थे, निर्देश करने की कृपा करेंगे और यह बतायेंगे कि क्या सैनिकों की भर्ती करने वाली सलाहकार समितियों में उन के प्रतिनिधि भी सम्मिलित किये जायेंगे जो फौजी सेवाओं में नौकर हैं ?

(ख) विभिन्न राज्यों में सलाहकार समितियां कब से स्थापित होंगी ?

(ग) क्या इन समितियों के व्यक्तियों का अन्तिम निर्णय केन्द्रीय सरकार के परामर्श से होगा ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) राज्य सरकारों को स्थानीय फौज के कमांडर को समिति में एक सदस्य की भांति सम्मिलित कर लेने की सम्मति दी गई है ।

(ख) राज्य सरकारों को इस विषय में २३ अप्रैल, १९५३ को सूचना भेजी गई थी, और आशा यह की जाती है कि राज्य सलाहकार समितियों का निर्माण निकट भविष्य में हो जायगा ।

(ग) समितियों का औपचारिक निर्माण केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से होगा ।

प्रादेशिक सेना की भर्ती

*२२३७. **श्री भीखा भाई** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रादेशिक सेना की भर्ती के चुनाव में सेना-भंग किये गये सैनिकों को प्राथमिकता देगी ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : प्रादेशिक सेना में पूर्व अनुभव के कारण भूत-पूर्व कर्मचारियों का स्वागत किया जाता है; यदि वे ३५ वर्ष की उच्चतर आयुसीमा के अन्तर्गत तथा डाक्टरी जांच में उपयुक्त होते हैं तो ।

निजाम सरकार के प्रामिसरी नोटों का बदलना

*२२३८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) निजाम सरकार के प्रामिसरी नोटों को भारत सरकार के प्रामिसरी नोटों में बदलने के लिये क्या कार्यवाहियां करने का विचार कर रही है जबकि हाली मुद्रा के प्रदर्शन पूर्ण हो चुके हैं, और

(ख) निजाम सरकार के प्रामिसरी नोटों में लगी हुई सही सही राशि ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) राज्य सरकारें विद्यमान राज्य ऋणों की प्रतिभूतियों के स्थान पर जो हैदराबाद मुद्रा में प्रकट की गई हैं, भारतीय मुद्रा में प्रकट की जाने वाली नवीन तभूतियों को जारी करने के लिये आवश्यक कार्यवाहियां कर रही हैं । आशा यह की जाती है कि यह परिवर्तन क्रिया उस समय तक पूर्ण हो जायगी जब तक कि राज्य मुद्रा का पूर्णतया विमुद्रीकरण होगा ।

(ख) भारतीय मुद्रा में हैदराबाद की अस्त योग ऋण राशि ४२·१९ करोड़ है ।

पुलिस द्वारा विद्यार्थियों पर गोली चलाने की जांच

*२२३९. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **राज्य** मंत्री अपने द्वारा दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ३७१ के उत्तर को निर्देश करने की कृपा करेंगे जो १७ नवम्बर, १९५२ को

पूछा गया था और यह बतायेंगे कि हैदराबाद सरकार के आदेशानुसार ३ सितम्बर १९५२ को मुल्की आन्दोलन के सम्बन्धमें विद्यार्थियों पर गोली चलाने की न्यायिक जांच भारत सरकार की सहमति से जस्टिस जगमोहन रेड्डी द्वारा पूर्ण हो गई है ?

(ख) यदि ऐसा है तो उन की न्यायिक जांच की उपपत्तियां क्या हैं ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू) : (क) हां हैदराबाद सरकार ने अपनी ही अगुवाई पर गोली चलाने के सम्बन्ध में जांच के लिये आदेश दिये थे ।

(ख) मैं जांच की मुख्य उपपत्तियों का उद्धरण जज के शब्दों में ही देता हूं:—"सभी परिस्थितियों पर विचार करने, तथा जन समूह की मनःस्थिति एवं भावना पर ध्यान देने से ज्ञात होता है कि निश्चय ही मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश जारी करने के बावजूद भी उस ने भंग होने से इन्कार कर दिया था, चौकी में आग लगा दी गई थी, पुलिस तथा आग बुझाने वाले इंजनों पर जोरों की पत्थर वर्षा की गई, उन्हें बेकार कर दिया गया, मेरी राय में ऐसे जन समूह पर पुलिस द्वारा गोली चलाना न्यायोचित था । शक्ति का अत्यधिक उपयोग नहीं किया गया और जो स्थिति की आवश्यकता के सर्वथा योग्य था ।"

जांच का प्रतिवेदन हैदराबाद सरकार द्वारा मार्च १९५३ के आरम्भ में प्रकाशित हुआ था ।

प्रादेशिक सेना

*२२४०. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या रक्षा मंत्री विभिन्न राज्य सरकारों को दिये जाने वाले सुझावों तथा जारी किये जाने वाले अनदेशों को जो प्रादेशिक सेनाओं के निर्माण के संबंध में हैं, बताने की कृपा करेंगे ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : केवल एक प्रादेशिक सेना है जो भारत सरकार द्वारा उठाई जा रही है ।

राज्य सरकारों ने भारत सरकार के सुझाव पर अपने कर्मचारियों के संबंध में नागरिक तथा प्रादेशिक सेना के सेवा काल में एवं उन स्थानों पर उन के अधिकार बनाये रखने के लिये जिन पर वे कार्य कर रहे हैं तथा कैम्प में बीते हुए समय के लिये विशिष्ट आकस्मिक अवकाश स्वीकार करने में वेतन सम्बन्धी भेद दूर करने के लिये अपनी स्वीकृति दे दी है ।

हाल ही में उन्हें केन्द्रीय सलाहकार समिति की भांति भर्ती के लिये प्रोत्साहन देने तथा वैदेशिक सेना की किसी भी स्थानीय समस्या पर विचार करने के लिये राज्य सलाहकार समिति बनाने के लिये उन से निवेदन किया गया है ।

टाउन पट्टी के स्थायी हिस्सा पाने वाले

१४९५. **श्री ए० एन० विद्यालंकार** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जिला अमृतसर (पंजाब) के निष्कासित अस्थायी हिस्सा पाने वालों से पुनर्निरीक्षण करने के सम्बन्ध में प्रधान संचालक-पुनर्वास, पंजाब सरकार द्वारा १ अप्रैल, १९५१ तथा १५ जून, १९५१ के बीच के आवेदन पत्र स्वीकार कर लिये गये थे, और उन को टाउन पट्टी से पुनः लौटाने के आदेश दे दिये गये थे, और यदि ऐसा है तो उन की संख्या ;

(ख) क्या उपर्युक्त भाग (क) में प्रधान-संचालक पुनर्वास, पंजाब सरकार के आदेशों के विरुद्ध पुनर्विचार अभियाचिका का निर्देश किया गया था, जो किसी सन्तप्त व्यक्ति द्वारा की गई हो, और जिस पर महा अभि-रक्षक, निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति, देहली द्वारा स्थगन आदेश जारी कर दिये गये हों, और यदि ऐसा है, तो ऐसे मामलों की संख्या; और

(ग) यदि उपर्युत भाग (ख) का उत्तर अस्वीकारात्मक हो तो क्या उपर्युक्त भाग

(क) में निर्देश किये गये प्रधान संचालक, पुनर्वास के आदेश २८ फरवरी, १९५३ तक कार्यान्वित किये गये थे, और यदि नहीं तो उन के किन कारणों वश ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) से (ग)। पंजाब सरकार से पूरी सूचना प्राप्त की जा रही है ।

टाउन पट्टी के ग्रामीणों की पुनर्स्थापना

१४९६. श्री ए० एन० विद्यालंकार : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या टाउन पट्टी में १९५० की अर्द्ध-स्थायी बांट के अनुसार ग्रामीणों के पुनर्स्थापन के लिये कोई कृषि योग्य क्षेत्र अलग कर दिया गया था, और यदि ऐसा है तो उसका योग क्षेत्र ;

(ख) उन ग्रामीणों की संख्या जिन को १५ जून, १९५१ तक इस क्षेत्र में पुनर्स्थापन की अनुमति प्राप्त थी ;

(ग) उपर्युक्त भाग (क) में निर्देश किये गये क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त मूल्य अथवा विशिष्ट कमी की गई थी, यदि ऐसा है तो किस दर पर ;

(घ) क्या राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में जुलाई, १९५२ में कोई विशिष्ट कमी की गई थी, और यदि ऐसा है तो किस दर पर तथा दो वर्ष पश्चात ऐसा किये जाने के कारण ;

(ङ) क्या विशिष्ट कमी जो उपर्युक्त भाग (ग) में निर्देश की गई है, जनवरी, १९५३ में राज्य सरकार द्वारा पुनः बढ़ा दी गई थी और बाद को सरकार के अनुमोदन के लिये कागज़ भेज दिये गये थे ;

(च) क्या सरदार फौजसिंह तथा इस क्षेत्र के ५२ अन्य हिस्सा पार्न वालों का कोई अभ्यावेदन भारत सरकार के पुनर्वास मंत्री के पास श्री अमरनाथ संसद् सदस्य के द्वारा जनवरी १९५३ के अन्तिम सप्ताह में उपर्युक्त भाग (घ) तथा (ङ) में निर्देश किये विचारित विशिष्ट कमी के विरोध में प्राप्त हुए थे ; और

(छ) यदि उपर्युक्त भाग (ङ) तथा (च) के उत्तर स्वीकारात्मक हों तो भारत सरकार द्वारा इस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) हां, अस्थायी रूप से, १६७० प्रामणिक एकड़ तथा ८ ३/४ इकाइयां ।

(ख) १९६ ।

(ग) हां मूल रूप से ब्लाक 'क', 'ख', 'ग' की भूमियों के लिये अतिरिक्त मूल्य ३१ १/४, २५ तथासाढ़े बारह प्रतिशत की दर से निर्धारित किया गया था, किन्तु बाद को एक समान अतिरिक्त मूल्य निर्धारण ३१ १/४ प्रतिशत की दर से सम्पूर्ण क्षेत्र पर कर दिया गया था ।

(घ) नहीं, तथ्य यह है कि उपर्युक्त भाग (ग) में निर्देश किय गये अतिरिक्त मूल्य को सामान्य बांट के समय जिला अधिकारियों द्वारा नहीं लागू किया गया था। जब इस गलती का पता लगा तो जुलाई, १९५२ में उसका परिशोधन कर दिया गया था ।

(ङ) हां ।

(च) हां, फरवरी, १९५३ के अन्त तक ।

(छ) मामला विचाराधीन है ।

भील परिवारों को भूमि बंटन

***१४९७. श्री भीखा भाई :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि लगभग तीन सौ भील परिवार (जो पंजाबी नहीं हैं) राजेन्द्र नगर के कच्ची झोंपड़ियों में रहते हैं, पिछले तीन वर्षों से भूमि बंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

(ख) यदि ऐसा है तो अब तक भूमि बंटन न करने के कारण ;

(ग) विस्थापित हरिजन मण्डल द्वारा उन को क्या-क्या सुविधायें प्रदान की गई हैं; और

(घ) सरकार उन को स्थायी रूप से कब और कहां बसाने का विचार कर रही है?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): (क) सिन्ध के ३८७ हरिजन परिवारों को भूमि पर बसाने के मामले विचाराधीन हैं। उन में से अधिकतर लोगों ने भूमि बंटन के लिये केवल जुलाई तथा अगस्त, १९५२ में ही निवेदन किया था।

(ख) भूमि की अनुपलब्धता।

(ग) (१) कच्ची झोंपड़ियां बनाने के लिये सामान दिया गया था।

(२) छोटे-छोटे ठेके लगभग उन में से ४० व्यक्तियों को दे दिये गये थे जो बेकार थे।

(३) डाक्टरी सहायता तथा मुर्दों को जलाने के लिये कुछ नकद भुगतान किये गए थे।

(४) नई दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी को इस के लिये राजी किया गया था कि वह उन्हें उन के वर्तमान निवास-स्थानों से बेदखल न करे।

(५) पुराने तथा नये वस्त्र उन लोगों में दो बार वितरित किये गये थे।

(ग) जब भी कहीं योग्य भूमि उपलब्ध हो जायगी।

कनानोर में कृषक सम्मेलन में आने के लिऐ दृष्टांक का न देना

१४९८. **श्री बुच्चिकोटैय्या:** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कनानोर में कृषक सम्मेलन पर जाने के लिये हमारी सरकार ने कितने विदेशियों को दृष्टांक देने से इन्कार कर दिया;

(ख) ये व्यक्ति किन देशों के हैं; तथा

(ग) दृष्टांक न देने के क्या कारण हैं?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) से (ग)। विदेशियों को राजनैतिक सम्मेलनों में आने के लिये दृष्टांक देने का अभ्यास नहीं है। इस का अनुसरण करते हुए हमारे बाहर के दूतावासों ने उन विदेशियों को दृष्टांक न दिया होगा जो कृषक सम्मेलन में आना चाहते थे। ऐसे मामलों की संख्या ज्ञात नहीं है।

धुलकोट में खुदाई

१४९९. **श्री बलवन्त सिन्हा मेहता:** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उदयपुर (राजस्थान) में धूलकोट की खुदाई का काम शुरू किया गया था ;

(ख) अब तक की खुदाई में पुरातत्वीय महत्व की कौन-कौन सी वस्तुएं निकली हैं और वे किस काल की मानी गई हैं ;

(ग) क्या सरकार इस खुदाई कार्य को आगे चालू रखने का विचार रखती है ;

(घ) अब तक इस खुदाई पर कितना धन व्यय हुआ है; तथा

(ङ) इस को पूरा करने के लिये अभी कितने धन की और आवश्यकता है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) जी हां, १९५१-५२ में।

(ख) कोई तिथि निर्देश करने वाले ध्वंसावशेष नहीं मिले परन्तु, एक नगर के अवशेष दृष्टिगोचर हुए हैं। कुछ सुन्दर चित्रित और पालिश किये हुए मिट्टी के बर्तनों के टुकड़ों के आधार पर यह विचार किया गया है कि उस का तिथि पूर्व मौर्य काल की है।

(ग) जी नहीं।

(घ) जो व्यय राजस्थान सरकार ने किया है उस के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ङ) कोई अनुमान नहीं बनाए गए।

ब्रिटिश म्युजियम को पुस्तकें भेजा जाना

१५००. **श्री बलवन्त सिंहा मेहता:** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि अंग्रेजों के समय में समस्त भारतीय छापेखानों के मालिकों को अपने यहां छपने वाली पुस्तकों की कम से कम पांच प्रतियां ब्रिटिश म्युज़ियम तथा अन्य पुस्तकालयों को अनिवार्य रूप से भेजनी पड़ती थी; तथा

(ख) क्या भारतीय पुस्तकालयों के लिए यह प्रथा समाप्त कर दी गई है तथा यदि करदी गई है तो क्यों ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) जी नहीं।

(ख) पुस्तकों के प्रैस तथा पंजीयन अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार प्रत्येक मुद्रित रचना की दो प्रतियां अधिग्रहण कर सकती है एक पहले ही संसदीय पुस्तकालय के लिये अधिग्रहणीत की जा चुकी है और दूसरी का अधिग्रहण विचाराधीन है।

कच्छ में डैम

१५०१. **श्री जसानी:** (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि १९४८ से अब तक कच्छ राज्य में कितने डैम बनाए गए हैं ?

(ख) इस प्रयोजन के लिये कितनी गैर सरकारी भूमि अभिग्रहण की गई है और उसके लिये कितना प्रतिकर देना है ?

(ग) क्या कोई प्रतिकर दिया गया है, और यदि एसा है तो कितना ?

(घ) अभी कितनी धन राशि दी जानी है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) चौतीस डैम। इसके अतिरिक्त चार बड़े तथा सात छोटे सिंचाई के डैम बनाए जा रहे हैं।

(ख) २८० एकड़। दिये जाने वाले प्रतिकर का अनुमान ५८,८०० रुपए है।

(ग) दुर्भिक्ष में सहायता साधनों के रूप में डैम बनाने के लिये अभिग्रहण की गई भूमि के लिये प्रतिकर दिया जाना है। दुर्भिक्ष के फलस्वरूप बहुत से भू-स्वामी उस समय उपस्थित नहीं थे जब भूमि का अभिग्रहण किया गया। इस कारण उन्हें दिये जाने वाले प्रतिकर आदि के विवरण निश्चित नहीं किए जा सके। तो भी अब इस राज्य के माल अधिकारी आवश्यक विवरण एकत्र कर रहे हैं और प्रत्याशा की जाती है कि कुछ मास में प्रतिकर का पूर्ण भुगतान हो जाएगा।

(घ) धन राशियों की गणना की जा रही है।

माउन्ट एवरेस्ट की ऊंचाई निश्चित करने के लिये परिमाप

१५०२. **डा० राम सुभग सिंह:** (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गत वर्ष कोई सरकारी दल माउन्ट एवरेस्ट की ऊंचाई निश्चित करने के लिये भेजा गया था ?

(ख) यदि ऐसा है तो क्या परिणाम निकला ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) जी हां।

(ख) यह कार्य अभी हो रहा है।

त्रिपुरा में पुनर्संगठन योजना

१५०३. **श्री दशरथ देव:** (क) क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

क्या त्रिपुरा में बहुत से सरकारी कर्मचारी पुनर्संघटन के अनुसार वेतन नहीं पा रहे हैं ?

(ख) किन विभागों में पुनर्संघटन अभी होना है ?

(ग) त्रिपुरा में पुनर्संघटन की योजना को पूरा करने में कितना समय लगेगा ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) कुछ मामलों में ऐसा है क्योंकि पुनर्संघटन के लिये सरकारी कर्मचारियों की पूछताछ की जानी है और उन के वेतन पुनर्निर्धारित होने हैं इसलिये आदेशों को कार्यान्वित करने में कुछ समय लग जाता है।

(ख) केवल वाणिज्य उद्योग तथा श्रम विभाग।

(ग) सारी प्रक्रिया शीघ्र विस्थापित किए जाने की प्रत्याशा है।

खाद्य शिल्पविज्ञान (परिषद्यता)

१५०४. डा० राम सुभग सिंह: (क) क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या आस्ट्रेलिया की सरकार ने शिल्प सम्बन्धी सहकारी योजना के अधीन भारतीय छात्रों को खाद्य शिल्प विज्ञान में प्रशिक्षण देने के लिये कुछ पारिषद्यताएं प्रस्तुत की हैं ?

(ख) यदि ऐसा है तो कितनी पारिषद्यताएं दी गई हैं ?

(ग) क्या उन का लाभ उठाया गया है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) जी हां।

(ख) १२।

(ग) केवल ५ पारिषद्यताओं का० का० उठाया गया।

विदेश में शिक्षा के लिय पिछड़ी जातियों, आदिवासियों और अनुसूचित जातियों को छात्रवृत्तियां

१५०५. श्री रिशांग किशिंग: क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह तथ्य है कि वर्ष १९४५-४६ में विदेश में शिक्षा के लिये अनुसूचित जातियों, आदिवासियों और पिछड़ी जातियों के छात्रों को २२ छात्रवृत्तियां दी गई थीं और यदि ऐसा है तो छात्रों के नाम क्या हैं, देशों के नाम क्या हैं जहां उन्हें भेजा गया, उन्होंने क्या विषय पढ़े और इस समय वे क्या पद धारण किए हुए हैं तथा कितना व्यय हुआ;

(ख) क्या विदेश में शिक्षा के लिये पिछड़ी जातियों को छात्रवृत्ति देने की नीति अब भी है, यदि ऐसा है तो १९४७ से प्रतिवर्ष कितने छात्र भेजे जा रहे हैं; तथा

(ग) यदि नहीं तो क्या सरकार इस नीति को पुनर्पुरस्थापन करने का विचार रखती है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) जी हां परन्तु केवल अनुसूचित जाति के छात्रों के लिये। इस वृत्तान्त वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा है। [देखिये **परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २१**]

(ख) एक पृथक योजना अधीन अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देने की नीति अब नहीं है। तो भी सामान्य नीति के अधीन उनका ध्यान रखा जाता है। १९४७ से २८ से छात्र भेजे गए हैं।

(ग) अनुसूचित जातियां, अनुसूचित आदिवासी और अन्य पिछड़ी जातियों का छात्रवृत्ति बोर्ड इस प्रश्न पर विचार कर रहा है।

अमरीका में ग़ैर सरकारी छात्रों का प्रशिक्षण

१५०६. **श्री एस० सी० सामन्त:** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि अमरीका में शिल्प सम्बन्धी संस्थाओं में शिक्षा प्राप्त करने वाले ग़ैर सरकारी छात्रों को भारत सरकार की पूर्व अनुज्ञप्ति के बिना बड़े समवायों में व्यवहारिक प्रशिक्षा नहीं दी जाती ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसन्धान मंत्री (मौलाना आज़ाद): जी नहीं।

महंत संत राम का डेरा

१५०७. **सरदार ए० एस० सहगल:** क्या **राज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) क्या यह तथ्य है कि पैप्सू में वरनाला के डेरा बाबा कपूरसिंह के महन्त सन्तराम के डेरे पर राज्य सरकार ने अधिकार कर लिया है; तथा

(ख) क्या यह तथ्य है कि बाबा कपूरसिंह के डेरे का निर्माण उस के गुरुओं ने किया था और उसकी सम्पत्ति के प्रबन्ध से राज्य सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) जिला बरनाला में डेरा बाबा टोरा सिंह न कि डेरा बाबा कपूरसिंह की कुछ चल सम्पत्ति सहित दो कमरे, उप-आयुक्त ने अपने अधिकार में ले लिये थे क्योंकि जब पुराना महन्त ६ जनवरी १९५३ में मर गया तो उस के उत्तराधिकार के सम्बन्ध में दो दावादारों के बीच झगड़ा था। तब से पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ के उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेशों के अधीन दो कमरों का अधिकार दावादारों में से एक अर्थात राम पालसिंह को दे दिया गया है।

(ख) जी हां। पुराने पटियाला राज्य में डेरों का प्रबन्ध सरकार के अधीन था जो महन्तों को नियुक्त कर सकती थी अथवा हटा सकती थी। अब यह अभ्यास बन्द कर दिया गया है।

बिक्री कर

१५०८. **श्री ए० एम० टामस :** (क) क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने बिक्री कर की हाल की अपीलों पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के सन्निहित अर्थों का निरीक्षण किया है ?

(ख) क्या बिक्री कर लगाने में एक रूपता की सम्भावना पर पूछताछ के तथा अन्य सम्बन्धित विषयों के कर्त्तव्य से भारित समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ?

(ग) यदि ऐसा है तो क्या सरकार उनकी सिफारिशों को बता सकती हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) सरकार तीन हाल की बिक्री कर की अपीलों पर न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय का अध्ययन कर रही है। ट्रावनकोर-कोचीन का राज्य बनाम शनमुछा विलास कैशुनट फैक्टरी के अभियोग का निर्णय ८ मई १९५३ को दिया गया था। इसलिये उच्चतम न्यायालय द्वारा उद्धरित संविधान के अनुच्छेद २८६ के सन्निहित अर्थों को पूरी तरह जानने में कुछ समय लगेगा।

(ख) तथा (ग)। सम्भवतः माननीय सदस्य वित्त मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा बनाई गई कर्मचारियों की उस समिति की ओर निर्देश कर रहे हैं, जिस ने यह देखना है कि सम्मेलन में स्वीकार किये गये सिद्धान्तों को कैसे कार्यान्वित किया जाए। क्योंकि भाग क के उत्तर में निर्दिष्ट तीन अभियोगों में उच्चतम न्यायालय के निर्णय तक इस समिति की कार्यवाही विलम्बित की गई थी इस लिये इस ने अपनी अन्तिम सिफारिशें नहीं की।

ग्रामीण क्षेत्रों में नियत भागियों को भूमि की बांट

१५०९. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह तथ्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में नियत भागियों को जो ग्रामीण भूमि के अधिकारी थे, सरसा तहसील के समीपस्थ क्षेत्रों में १२ १/२ प्रतिशत लगा कर भूमि बांटी गई है;

(ख) यदि ऐसा है तो ऐसे नियत-भागियों की संख्या, प्रत्येक को बांटे गए क्षेत्र और गांव का नाम क्या है;

(ग) पृथकतया ऐसे नियत भागियों की संख्या क्या है जिन्हें अक्तूबर १९५२ के पश्चात् भूमि बांटी गई;

(घ) ज़िला फ़िरोज़पुर तहसील मुक्तसर की जैल भगसार ज़िला फ़िरोज़पुर की तहसील फ़ाज़िलका तथा ज़िला हिसार की तहसील सरसा में कितने परिमानित एकड़ भूमि अभी वितरित होनी है ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले) : (क) से (घ)। सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पटल पर रखी जाएगी।

१५१०. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के दरभंगा तथा सहरसा ज़िलों के गांवों के परिमाप व्यवस्था के नकशों की बिक्री का भारत सरकार ने निषेध कर दिया है ;

(ख) यदि ऐसा है तो इस के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह तथ्य है कि स्थानीय लोगों ने सरकार को इस विषय का यह निर्णय इस आधार पर बदलने के लिये कहा है कि भूमि उद्धार बन्द हो गया है और, गांवों के नक़शे न प्राप्त होने के कारण बहुत से भूमि के झगड़े पैदा हो गए हैं; तथा

(घ) सरकार का इस सम्बन्ध में क्या निर्णय है ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय) (क) से (घ)। परिमाप व्यवस्था के नकशों का तैयार करना और उन की बिक्री राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है। राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है और प्राप्त होने पर सदन पटल पर रखी जाएगी।

औरंगाबाद और सिकन्दराबाद छावनियां

१५११. **श्री तेलकीकर :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या औरंगाबाद तथा सिकन्दराबाद की सैनिक छावनियां उन १८ छावनियों में से हैं जिनके लिये कटौती समितियां नियुक्त की गई थीं जिन्हें उन क्षेत्रों की सीमाएं निर्धारित करनी थीं जो छावनियों में से काट दिये जाने हैं;

(ख) यदि ऐसा है तो क्या इन दो छावनियों के विषय में प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं; और

(ग) यदि ऐसा है तो ऐसे असैनिक क्षेत्र जो सेना की आवश्यकताओं के अतिरिक्त फालतू हैं और पृथक् किये जा सकते हैं कब तक राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दिये जायेंगे ?

रक्षा उपमंत्री (श्री सरदार मजीठिया) : (क) नहीं श्रीमान्।

(ख) तथा (ग)। प्रश्न उठते ही नहीं।

पेप्सू में खुदाई

१५१२. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेप्सू में कोई जर्मन पुरातत्ववेत्ता खुदाई का कार्य कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो उसे सरकार द्वारा क्या सहायता दी जा रही है; तथा

(ग) क्या उनके अन्वेषणों तथा खुदाई द्वारा भारतीय इतिहास पर कुछ प्रकाश पड़ा है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) पता लगा है कि एक जर्मन ने १९५१ में पेप्सू में कुछ खुदाई का कार्य किया था।

(ख) सरकार ने कोई सहायता नहीं दी।

(ग) कोई विशेष नहीं, जहां तक सरकार को ज्ञात है।

पंजीबद्ध हरिजन विस्थापित व्यक्ति

१५१३. श्री बी० आर० वर्मा: क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में पंजीबद्ध हरिजन विस्थापित व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) उनमें धोबी कितने हैं;

(ग) ऐसे हरिजन विस्थापित व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें मकान दे दिये गये हैं;

(घ) इन मकानों में से कितने मकान धोबी विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये हैं और वे कहां-कहां स्थित हैं; तथा

(ङ) क्या सरकार ऐसे धोबी विस्थापित व्यक्तियों की एक सूची सदन पटल पर रखेगी, जिन्हें मकान दिये गये हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): (क) से (ङ)। सभी विस्थापित व्यक्तियों का एक साथ पंजीयन किया गया है और विस्थापित हरिजनों या किसी हरिजन उपजाति के विषय में पृथक् अभिलेख नहीं रखा गया है। मकानों की बांट में भी, हरिजनों तथा अन्य व्यक्तियों में कोई विभेद नहीं किया गया है, यद्यपि ८८२ मकान केवल हरिजनों के लिये बनाये और उन्हें बांटे गये थे। हरिजनों या धोबियों को बांटे गये मकानों की कुल संख्या अभी प्राप्य नहीं है और इस जानकारी का संकलन करने में जो समय तथा श्रम लगेगा वह प्राप्त परिणामों की तुलना में कहीं अधिक होगा।

भारत का प्राणकीय परिमाप विभाग

१५१४. चौधरी रघुवीर सिंह: (क) क्या **प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह तथ्य है कि भारत के प्राणकीय परिमाप विभाग का अपना कोई भवन नहीं है ?

(ख) क्या यह तथ्य है कि उक्त विभाग का एक भाग जवकुसुम भवन में स्थित है ?

(ग) यदि ऐसा है तो उस भाग का कितना किराया दिया जाता है ?

(घ) क्या आगामी वर्ष के आय-व्ययक में इस विभाग के लिये एक भवन बनाने की व्यवस्था की गई है ?

(ङ) यदि की गई है तो कितनी राशि की ?

(च) क्या यह विभाग कभी कलकत्ता से बनारस को स्थानान्तरित किया गया था ?

(छ) यदि ऐसा है तो कब और क्यों ?

प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान उपमंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) तथा (ख)। हां, श्रीमान्।

(ग) ३,००० रुपये प्रति मास।

(घ) तथा (ङ)। १९५३-५४ के आय-व्ययक में भारत के प्राणकीय परिमाप विभाग के भवन के लिये १·३१ लाख की व्यवस्था कर दी गई है।

(च) तथा (छ)। भारत का प्राणकीय परिमाप विभाग फरवरी १९४२ में युद्ध काल में कलकत्ता से बनारस को स्थानान्तरित किया गया था क्योंकि सफल वैमानिक आक्रमण के होने पर स्पिरिट परिरक्षित नमूनों में आग लग जाने की आशंका थी।

अज्ञात पनडुब्बी

१५१५. **श्री रघुनाथ सिंह:** (क) क्या **रक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय समुद्र में चार बार एक अज्ञात पनडुब्बी देखी गई है जो किसी जहाज को पास आते देख कर भाग जाती है ?

(ख) क्या सरकार का विचार इस पनडब्बी का पता लगाने का है ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी): (क) ऐसा कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

कोरी और खटीक

१५१६. **श्री बी० एन० कुरील:** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोरियों और खटीकों को, जो पहले अनुसूचित जातियों में थे, अब कुछ राज्यों में अनुसूचित जातियों की सूची से निकाल दिये गये हैं;

(ख) क्या इन कोरियों तथा खटीकों को अब भी वे ही सुविधायें दी जा रही हैं जो अनुसूचित जातियों को दी जाती हैं; और

(ग) यदि ऐसा है तो उन्हें दी जाने वाली सुविधायें क्या क्या हैं?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) हां।

(ख) तथा (ग)। राज्य सरकारों को बता दिया गया है कि राष्ट्रपति के आदेशों के निकलने से पूर्व पिछड़ी हुई जातियों को रियायतों के रूप में जलो प्रशासकीय प्रथाएं लागू थीं उनका अब भी अनुसरण किया जा सकता है जब तक कि वे संविधान के किसी अन्य उपबन्ध से असंगत न हों।

भारतवर्ष में अन्धे व्यक्तियों की प्रतिशतता

१५१७. **श्री बुच्चिकोटैय्या:** क्या **गृह-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि भारतवर्ष में अंधों की प्रतिशतता तुलनात्मक दृष्टि से अन्य देशों की अपेक्षा अधिक है ;

(ख) क्या पिछले चार वर्षों में उनकी संख्या घट रही है अथवा बढ़ रही है ?

(ग) उनकी संख्या में कमी करने के विषय में क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार): (क) और (ख)। आपका ध्यान सरदार हुक्म सिंह के तारांकित प्रश्न संख्या ११०४ जिसका उत्तर ११ दिसम्बर १९५२ को दिया गया था, आकर्षित किया जाता है। जिस में बताया गया था कि सन् १९५१ की जनगणना होते समय अधों की संख्या के बारे में कोई गिनती नहीं की गई थी अतएव संसार के अन्य देशों से इसकी तुलना करना संभव नहीं है।

कोनार्क का सूर्य मन्दिर

१५१८. **श्री एस० सी० सामन्त:** (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कोनार्क के सूर्य मन्दिर को देखने के लिये पुरातत्व विभाग के रसायनिक गये थे ?

(ख) यदि यह ठीक है; तो कब और कितनी बार ?

(ग) आज तक रसायनिक संरक्षण खोज का कितना कार्य हुआ है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) जी हां।

(ख) वर्ष १९५२ में दो बार, तथा वर्ष १९५३ में एक बार।

(ग) पत्थर के फर्श के टूटते हुए पत्थरों को स्थिर करने के लिये प्रयोग किये गये हैं। तथा वहां की काई को हटा कर वहां के फर्श पर उपयुक्त प्लास्टर करने का विचार है।

वर्गभीम मन्दिर

१५१९. श्री एस० सी० सामन्त: क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि पश्चिमी बंगाल में मिदनापुर ज़िले के तामलुक ग्राम में बुद्ध युग का प्राचीन वर्गभीम नामक मंदिर जीर्ण अवस्था में है ;

(ख) यदि इस बात का ज्ञान है तो क्या इस सम्बन्ध में पुरातत्व विभाग की ओर से कोई जांच की गई है ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) वह मंदिर बहुत पुराना नहीं है और न वह राष्ट्रीय महत्व का है जिसकी केन्द्रीय सरकार रक्षा करती।

(ख) नहीं।

नागाओं द्वारा मुंडवेधन (हैड हंटिंग)

१५२०. श्री रघुनाथ सिंह: (क) क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि नागाओं में मुंडवेधन पुनः आरम्भ कर दिया है जिसके फलस्वरूप गत सप्ताह तीन व्यक्ति मारे गये ?

(ख) सरकार इस प्रथा को बन्द करने के लिये क्या पग उठा रही है ?

गृह-कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): (क) और (ख)। तारांकित प्रश्न संख्या १६०९ के उत्तर में जो वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया था उसमें बताया गया है कि वर्ष १९५२-५३ में मुंडवेधन की केवल दो घटनाएं हुई हैं। पिछली घटना १५ अप्रैल १९५२ को हुई थी। उसके उपरान्त २७ अप्रैल १९५३ तक कोई घटना नहीं हुई। यदि उस दिन के उपरान्त भी कोई घटना हुई है तो इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जा रही है और प्राप्त होने पर सदन पटल पर प्रस्तुत की जायगी।

संयुक्त राष्ट्र सामाजिक कल्याण पारिषद्यता तथा छात्रवृत्ति

१५२२. श्री बी० एस० मूर्त्ति : (क) क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सामाजिक कल्याण पारिषद्यता तथा छात्रवृत्ति के लिये १९५२ में कोई प्रार्थना पत्र मांगे थे, तो क्या सरकार को कुछ प्रार्थना पत्र मिले हैं ?

(ख) प्रार्थना पत्र भेजने की अन्तिम तिथि कौन सी थी ?

(ग) कितने प्रार्थना पत्र आये ?

(घ) भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र प्राविधिक सहायता प्रशासन के परामर्श के आधार पर उन प्रार्थना पत्रों के विषय में क्या निर्णय किया ?

शिक्षा, प्राकृतिक संसाधन तथा वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्री (मौलाना आज़ाद): (क) जी हां।

(ख) वर्ष १९५२ के कार्यक्रम के लिय ९ फरवरी १९५२ अन्तिम तिथि थी। अति-

रिक्त १९५२ के निर्णय तथा वर्ष १९५३ के कार्यक्रम के लिये अन्तिम तिथि ३० जून १९५२ थी जो कि बाद को बढ़ाकर २७ अगस्त १९५२ तथा फिर १५ अक्तूबर १९५२ कर दी गई ।

(ग) अप्रवर्तित प्रार्थना पत्रों को निकाल कर कुल १७२ प्रार्थना पत्र आये ।

(घ) भारत सरकार द्वारा नियामित निर्वाचन मंडल ने ४७ प्रार्थियों को चुना । तथा संयुक्त राष्ट्र संघ को उनके नामों की सिफारिश भेज दी गई । उन सिफारिशी प्रार्थियों में से अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ ने अन्तिम रूप से २७ प्रार्थियों का चुनाव किया है जो विदेश के लिये रवाना हो भी गये थे ।

PRINTED IN INDIA BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, NEW DELHI
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI 1953

शुक्रवार,
१५ मई, १९५३

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

तीसरा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

Preservation Unit
13-3-92
Fumigated
Parliament Library

भाग २—प्रश्न और उत्तर से पृथक् कार्यवाही

लोक सभा

शुक्रवार, १५ मई, १९५३

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई ।

[उपाध्यक्ष महोदय अध्यक्ष पद पर आसीन थे]

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

स्थगन प्रस्ताव

आर्डनेन्स डिपुओं में छटनी

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी से इस अभिप्राय का एक स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि "कानपुर, जब्बलपुर, पुलगांव, पानागर तथा छयूकी के आर्डनेन्स डिपुओं के अठारह हजार कर्मचारियों द्वारा सरकार द्वारा घोषित छटनी की नीति के बारे में शलाका से लिए गए मत के फलस्वरूप हड़ताल के फैसले से बहुत गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिस के बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं ।"

उन्होंने यह सूचना कहां से प्राप्त की है ? क्या यह प्रमाणित है ? क्या यह पत्रों में प्रकाशित हुई है ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसर) : मुझे बहुत से तार आये हैं तथा मुझे कर्मचारियों की संस्थाओं से भी यह सूचना प्राप्त हुई है । समाचार पत्रों में यह प्रकाशित नहीं हुई हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री का इस बारे में क्या कहना है ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : यह सत्य है कि इन डिपुओं में कुछ कर्मचारियों को छटनी के नोटिस दिए गए हैं । इस मामले पर बहुत समय से विचार होता रहा है । निर्माण-कार्य समितियों में तथा प्रबन्धकों और अन्य लोगों के साथ सम्मेलन भी होते रहे हैं तथा इसका कारण यह है कि वास्तव में कुछ वर्षों से इन डिपुओं में फालतू व्यक्ति भरे पड़े हैं । हम ने छटनी से बचने का प्रत्येक प्रयत्न किया है, परन्तु उन लोगों को सेवा में रखना कठिन हो गया है जिन्हें बिल्कुल बेकार पड़े रहना है । अतएव हमें आर्डनेन्स-डिपुओं में कुछ लोगों को नोटिस देना पड़ा है । हमारी यह इच्छा है कि हम आर्डनेन्स फैक्टरियों में काम को बढ़ाएं जिस से नागरिक आवश्यकताएं भी पूरी हो सकें तथा हमें छटनी करने की आवश्यकता भी न रहे । परन्तु इस विशेष मामले का सम्बन्ध डिपुओं से है तथा फैक्टरियों से नहीं । यह बात भी ध्यान में रहनी चाहिए ।

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

इसी कारण नोटिस दिए गए हैं। इस पर भी हम इस बात की जांच कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को कब तक रखा जा सकता है। छटनी करने पर भी इस बात का प्रयत्न किया जायगा कि जब भी अवसर मिले, उन्हें वापस लिया जाय। स्थिति यह है। मैं समझता हूं कि इस में कोई असामान्य बात नहीं है।

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व : हमारी सूचना यह है कि १,३६२ नोटिस दिय गए थे जिन्हें १५ मई से अर्थात् आज समाप्त होना था। उसके बदले में केवल १५० व्यक्तियों को और काम दिलाया गया है। क्या प्रधान मंत्री यह बतला सकेंगे कि स्थिति सुधरेगी तथा इन में से और व्यक्तियों को दूसरा कोई काम दिया जायगा या इस प्रकार की कोई और कार्य-वाही की जायगी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं केवल इतनी बात ही कह सकता हूं कि हम अपना पूरा प्रयत्न करते हैं तथा हम विश्वास करते हैं कि वह प्रयत्न सफल होता है—कितने समय में सफल होता है, यह मैं नहीं कह सकता।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या पिछले तीन चार दिन से दिल्ली डिपो में अतिरिक्त समय के लिए काम करने की अनुमति दी गई है तथा यदि ऐसा है तो इसका कारण क्या है ? यदि प्रधान मंत्री का यह कहना है कि फालतू कर्मचारी भरे पड़े हैं तो इस अतिरिक्त समय के काम की क्या आवश्यकता है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे माननीय सदस्य की यह बात समझ में नहीं आई कि 'पिछले तीन चार दिन' से उनका क्या अभिप्राय है। हो सकता है कि कहीं कहीं काम के शेष को निपटान के लिए ऐसा किया गया हो।

उपाध्यक्ष महोदय : आर्डनेन्स डिपुओं में छटनी के प्रश्न को विभिन्न रूपों में बार बार उठाया गया है। माननीय श्री त्यागी ने बतलाया था कि सिवाय नितान्त आवश्यकता के व्यक्तियों की छटनी करने का कोई विचार नहीं है। लोगों को उसके स्थान पर दूसरा काम दिलाया जाता है तथा आडनेन्स फक्टरियों के काम को बढ़ाने की भी पूरी सक्रिय चेष्टा की जाती है ताकि असैनिक आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके तथा छटनी आदि की आवश्यकता भी न पड़े। प्रधान मंत्री ने भी अभी कहा है कि इन व्यक्तियों को हानि न होने देने के लिए प्रत्येक प्रयत्न किया जायगा। इस विचार से मैं समझता हूं कि मेरे लिए इस स्थगन प्रस्ताव की मंजूरी का देना जरूरी नहीं है।

अनुपस्थिति की अनुमति

उपाध्यक्ष महोदय : डा० सी० वी० रामा राव ने सख्त गर्मी तथा अस्वास्थ्य के कारण सदन से अनुपस्थिति की छुट्टी की प्रार्थना की है। क्या सदन उन्हें छुट्टी प्रदान करता है ?

सदन ने छुट्टी दिए जाने की अनुमति दी।

वैदेशिक मामलों पर वक्तव्य

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जब पिछले अवसर पर वैदेशिक मामलों पर वक्तव्य दिया गया था, तब से अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र

में बहुत कुछ हो चुका है। बहुत सी महत्वपूर्ण घटनाएं हो चुकी हैं। यद्यपि संसार की किसी मुख्य समस्या का हल नहीं हो सका है फिर भी इतने वर्षों में प्रथम बार बहुत से व्यक्तियों को इन समस्याओं के हल की आशा बंधी है तथा 'शीत युद्ध' भी कुछ ठंडा पड़ गया है।

इस नए दृष्टिकोण के बारे में रूस से बहुत प्रमाण प्राप्त हो रहे हैं तथा चाहे कुछ लोग इस बारे में कुछ भी विचार करें, इन बातों का इस विचार से स्वागत किया जाना चाहिए कि उस से संसार में तनाव कम होता है। चीन में भी कोरियाई युद्ध को शान्तिपूर्ण समाप्त करने की इच्छा स्पष्ट दिखाई देती है।

सदन को स्मरण होगा कि कुछ महीने पहले भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में कोरिया पर एक संकल्प रखा था तथा उसे महासभा में भारी बहुमत से पारित किया गया था। उस संकल्प से किसी आज्ञा या आदेश आदि लेने का अभिप्राय नहीं था बल्कि समझौते के लिए सच्चे दिल से कोशिश की गई थी। संयुक्त-राष्ट्र संघ की महासभा के सभापति महोदय ने भी उस संकल्प को उसी भावना से चीनी तथा उत्तरी कोरिया की सरकारों को भेजा था। दुर्भाग्य से चीन तथा रूस की सरकारों ने उस संकल्प को अस्वीकृत कर दिया तथा समझौते के बारे में हमारी आशाओं को बड़ा धक्का लगा। तथापि हाल में चीन की सरकार ने कोरिया के सम्बन्ध में नई प्रस्थापनाएं रखी हैं जिस से इस समस्या को फिर से हल करने का मार्ग खल गया है। यह मार्ग कुछ सीमा तक संयुक्त राष्ट्र द्वारा पारित किये गए संकल्प से संगत है उसके कुछ ही समय बाद चीनी सरकार के अपनी प्रस्थापनाएं रखीं जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा पारित किए गए भारतीय संकल्प से बहुत मिलती जुलती थीं। हमने उन ८ सूची प्रस्थापनाओं का स्वागत किया क्योंकि उनसे तात्कालिक समस्याओं के एक ठोस आधार पर ऐसा हल होने की आशा बन्धती थी जो संयुक्त-राष्ट्र की स्वीकृत नीति से संगत था। और बहुत से राष्ट्रों ने भी इन प्रस्थापनाओं का स्वागत किया।

दो तीन दिन हुए, कोरिया स्थित संयुक्त-राष्ट्र संघ के कमान ने इस की तुलना में अपने प्रस्ताव रखे। इस समस्या के सम्बन्ध में किसी भी रचनात्मक हल के सुझाव का सदैव स्वागत किया जाना चाहिए। इन प्रस्तावों की गहरी छानबीन से ऐसा मालूम होता है कि उनका महासभा के संकल्प से बहुत अन्तर है। संयुक्त-राष्ट्र संघ उस संकल्प के बारे में बचन बद्ध है। ऐसा जान पड़ता है कि चीनी तथा उत्तर-कोरियाई सरकारों ने इस में से कुछ प्रस्थापनाओं के बारे में अपना मतभेद प्रकट किया है तथा यह कहा है कि वे इन्हें वर्तमान रूप में स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं।

जहां तक भारत का सम्बन्ध है, हम किसी भी ऐसे हल का स्वागत करेंगे जिसे सम्बन्धित पक्षों ने परस्पर स्वीकार कर लिया हो। फिर भी हम अनुभव करते हैं कि इस प्रकार के हल की संयुक्त-राष्ट्र संघ के संकल्प के आधार पर होने की बहुत सम्भावना है तथा चीन की ८-सूची प्रस्थापनाएं इस संकल्प से इतनी मिलती जुलती हैं कि उन्हें चर्चा का आधार बनाया जाना चाहिये तथा मुझे आशा है कि वह किसी हल का भी आधार बन

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

सकेगी। इतनी गुंजाइश होनी चाहिये कि उन्हें विस्तृत बनाया जा सके या आवश्यकता अनुसार उन में कोई परिवर्त्तन किया जा सके। अतएव हमारी यह मनोकामना है कि हल के इस दृष्टिकोण का त्याग नहीं किया जायगा तथा इसका अनुसरण किया जायगा। प्रत्येक अवस्था में हमारा यह विश्वास है कि पान मुन जान पर चल रही समझौते की वार्त्ता को आगे बढ़ाया जायगा, चाहे कभी कभी उसमें अधोगित क्यों न हो।

सदन को विदित है कि इनमें से कुछ प्रस्थापनाओं में भारत का नाम बार बार आया है तथा इस बात का सुझाव दिया गया है कि यह देश विभिन्न प्रकार के उत्तरदायित्व अपने पर ले। हम दूरवर्त्ती उत्तरदायित्वों को अपने पर लेने से इतने प्रसन्न नहीं हैं, परन्तु यदि सम्बन्धित पक्षों के बीच कोई समझौता हो जाय तथा हमारे लिए प्रस्तावित कार्य ऐसा हों जिसे हम कर सकने के योग्य हों तथा वह कार्य हमारे द्वारा अनुसरण की जा रही नीति के विरुद्ध न हो तो हम उस उत्तरदायित्व से नहीं भागेंगे। यह उत्तरदायित्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि सौभाग्य से भारत के सम्बन्ध उन शक्तियों से मित्रता के हैं जो इस झगड़े में सम्बन्धित पक्ष हैं। यदि भारत किसी प्रकार से शान्ति की स्थापना में सहायता दे सकता है। तो हम बड़ी प्रसन्नता से अपनी सेवाएं अर्पित करेंगे। परन्तु ये सेवाएं तभी अर्पित की जा सकेंगी यदि हल के बारे में परस्पर कोई समझौता हो जाय।

मैं ने उन नई आशाओं की ओर संकेत किया है जो असंख्य व्यक्तियों के दिलों में पैदा कर दी गई हैं। उन लोगों की आशाएं बंध गई थीं कि युद्ध का भय, जिस से मानव जाति व्यापित है, कम हो जायगा तथा कि 'शीत युद्ध' जिसके खतरे तथा बोझे का वर्णन अमरीका के प्रेज़ीडेन्ट ने हाल ही में बड़े सुन्दर तथा प्रभावशाली शब्दों में किया था, समाप्त हो जायगा। निस्सन्देह संसार में एक नया वातावरण देखने में आ रहा है तथा अब पहले के किसी समय की अपेक्षा आशा की अधिक झलक दिखाई दे रही है। यह कार्य संसार के राजनीतिज्ञों का है तथा अधिक विशेषता से उन व्यक्तियों का है जिनके कन्धों पर बड़े राष्ट्रों का प्रशासन भार है कि वह इस अवसर का लाभ उठाएं तथा साहस और बुद्धिमता से काम लें और इस प्रकार से मानव जाति को शान्ति की ओर ले जाएं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने हाल में संसार के बड़े बड़े तथा प्रमुख राष्ट्रों के अनौपचारिक तथा निजी रूप से और बिना किसी निर्विघत कार्यक्रम के उच्चतम स्तर पर सम्मेलन का सुझाव रखा है जिस से वे मानव जाति को व्यपित करने वाली समस्याओं का हल निकाल सकें तथा मानवता को युद्ध के भय से मुक्त कर सकें। मैं इस सुझाव का हार्दिक समर्थन करता हूं। इस समय संसार ने आपको बहुत अनमोल अवसर दिया है तथा युद्ध से तंग आई हुई तथा भय से दबी मानवता उन्हें आशीर्वाद देगी जो उसे इस भयङ्कर भार से मुक्त करेंगे तथा उसे शान्ति और खुशी की ओर ले जायेंगे। प्रेज़ीडेन्ट ईज़नहावर इस प्रकार के सम्मेलन के विचार का विरोध नहीं करते। परन्तु हाल में उन्होंने कहा है कि इन सम्मेलनों के लिए अभी उचित समय नहीं आया है।

मुझे खेद से बतलाना पड़ता है कि मध्य पूर्व में स्थिति खतरनाक रूप से

बिगड़ गई है। भारत को मध्य-पूर्व के देशों में गहरी रुची है तथा भारत के उन देशों स कई शताब्दियों के मैत्री सम्बन्ध हैं। यदि मध्य-पूर्व की इन समस्याओं को शान्ति पूर्ण ढंग तथा परस्पर सहयोग से हल न किया गया तो यह केवल सम्बन्धित देशों के लिए ही एक दुर्भाग्य की बात नहीं होगी, बल्कि सारे संसार के लिए।

अफ़्रीका का सारा महाद्वीप एक गतिशील परिवर्तन के पंजों में जकड़ा है तथा किसी समय भी वहां का लावा फूट सकता है। जैसा कि अच्छी प्रकार से विदित है, बहुत दूर दक्षिण में जातीय विभेद की अत्यन्त असहन शीलता पर आधारित नीति से संसार को बहुत बड़ा धक्का लगा है। अफ़्रीका के दूसरे भागों में भी विभिन्न रूपों में यह जातीय विभेद देखने में आ रहा है। अफ़्रीका की बढ़ती हुई राष्ट्रीय तथा आत्मीयता की भावनाओं से इसकी टक्कर का होना अनिवार्य है। दुर्भाग्य से सब ओर से बहुत हिंसात्मक काम हुए हैं तथा सख्ती की गई है जिस से असंख्य व्यक्तियों को दुःख पहुंचा है। अफ़्रीका की समस्या का जातीय विभेद तथा अफ़्रीकी जनता पर, जो कितनी शताब्दियों से भयङ्कर दुःख उठा रही है तथा जिसे अवश्य ही हमारी सहानुभूति प्राप्त है, सख्ती से कोई हल नहीं हो सकेगा। मेरी हार्दिक इच्छा है कि वहां पर हिंसात्मक तरीकों को बन्द कर दिया जायगा क्योंकि इस से सभी सम्बन्धित पक्षों को कष्ट होता है।

यह हमारा दुर्भाग्य है कि पिछले पांच या छः वर्षों से हमारे पड़ौसी देश से हमारे सम्बन्ध बिगड़े चले आ रहे हैं। भारत तथा पाकिस्तान के बारे में पक्षपात से रहित तथा शान्ति पूर्ण विचार से इस निष्कर्ष पर पहुंचना अनिवार्य है कि दोनों देशों में मित्रता तथा सहयोग के सम्बन्ध होने चाहियें। भूगोल पिछले इतिहास, सांझी सांस्कृतिक पृष्ठ भूमि तथा असंख्य वैयतिक सम्बन्धों पर विचार करते हुए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई और निष्कर्ष दोनों पक्षों के लिए दुःख तथा सर्वनाश से भरा पड़ा है। मुझ सदन को सूचना देते हुए प्रसन्नता है कि कुछ सप्ताहों से इन सम्बन्धों में उल्लेखनीय सुधार हुआ है तथा पाकिस्तान ने हमारे प्रति मित्रता के कई संकेत किए हैं जिनका हम अपनी ओर से स्वागत करते हैं। हम इन संकट के बादलों को जो हमारे दोनों देशों पर छाए हुए हैं तथा उनसे व्यक्तियों को व्यपित किए हुए हैं। दूर करने का पूरा प्रयत्न करेंगे (**हर्ष-ध्वनि**)।

पाकिस्तान के महा-राज्यपाल ने हाल में कहा था कि पाकिस्तान की स्वतन्त्रता तथा सम्पूर्ण प्रभुत्व का स्वीकार किया जाना आवश्यक है तथा कि उन में दखल देने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिये। मुझे आश्चर्य है कि इस स्पष्ट तथ्य का वर्णन किया गया है। पाकिस्तान की स्वतन्त्रता में दखल देने की इच्छा किसी न्यायप्रिय व्यक्ति को नहीं है तथा न ही हो सकती है। निश्चय ही भारत की ऐसी कोई इच्छा नहीं है। हम अपने पड़ौसी देश से मैत्री के सम्बन्धों को बनाए रखने के इच्छुक हैं तथा चाहते हैं कि दोनो देश एक दूसरे की स्वतन्त्रता को स्वीकार करें। मैं जानता हूं कि भारत तथा पाकिस्तान में कुछ ऐसे पथभ्रष्ट व्यक्ति हैं जिन्होंने एक दूसरे देश के विरुध घृणा तथा दुर्भाव के बीज बोए हैं तथा जो हस्तक्षेप तथा झगड़ की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, परन्तु इस देश तथा इस संसद्

[श्री जवाहरलाल नहरू]

ने इस शरारत से भरी तथा मिथ्या विचार-धारा की निन्दा और खण्डन किया है ।

हाल के महीनों में एक घरेलू आन्दोलन ने, जिसका हमारे वैदेशिक सम्बन्धों पर प्रभाव है, दिखला दिया है कि यह विचार-धारा कितनी शरारत भरी तथा उत्तर-दायित्व से रहित है। मेरा निर्देश 'जम्मू आन्दोलन' से है जिससे यह प्रदर्शित हो गया है कि यह अनुत्तरदायी त ा हानिकारक व्यवहार किस सीमा तक जा सकता है। इस आन्दोलन से हमारे ध्येय को न केवल अन्तर्राष्ट्रीय विचार से ही हानि पहुंची है, बल्कि उस हल का प्राप्त करना भी अधिक कठिन हो गया है जो इस आन्दोलन के सामने है। यह एक प्रकार से संसद् को दी गई चुनौती है। हमारी संसद् के फैसलों को अवैध तथा हिंसात्मक तरीकों से भंग करने का यत्न है। यह एक आश्चर्यजनक खेद की बात है कि जिन लोगों का मुख्य कर्त्तव्य संविधान तथा संविधान के अन्तर्गत बनाई गई विधियों का सम्मान करना होना चाहिए था, वही व्यक्ति जनता को इन विधियों के भंग करने का दुरुत्साहित करन के लिये अपराधी हो। मैं इस मामले के केवल नैतिक पहलुओं की ओर ही निर्देश नहीं कर रहा हूं, बल्कि इस आन्दोलन के राष्ट्रीय तथा अन्तरष्ट्रीय दृष्टि से बुरे परिणामों की ओर भी निर्देश कर रहा हूं।

संसार समस्याओं से भरा पड़ा है तथा व्यथित मानवता अनेक प्रकार के भय तथा बोझ से कुछ मुक्त होने के लिए चिन्तित है। इस दुःखद नाटक में इस बड़े देश में हम पर भी कुछ उत्तरदायित्व आता हैं। हमारी अपनी समस्याएं भी काफ़ी हैं तथा हमारा विचार और शक्ति उनमें लगे हैं, परन्तु हम राष्ट्रों के महान बन्धुत्व से अलग नहीं रह सकते तथा न ही उन समस्याओं से भाग सकते हैं जिनका मानव जाति को सामना है। चाहे हम इसे पसन्द करें या न करें, भाग्य तथा परिस्थिति के इस उत्तर-दायित्व को हम पर डाला है तथा हमें इसे निभाना ही पड़ेगा। और लोगों के साथ साथ, जिस प्रकार से हम इसे निभाते हैं, उस से यह निश्चित हो जायगा कि वर्तमान तथा भावी सन्तान के भाग्य में शान्ति, उन्नति और सुख लिखा है या कि उन्हें अनिवार्य विनाश का सामना करना होगा। उस उत्तरदायित्व को केवल तभी निभाया जा सकता है, यदि हम स्वयं संगठित रहें तथा इस समय के भय या उत्तेजना में न बहकर अपने उच्च आदर्शों और उद्देश्यों को सदैव अपने सामने रखें।

लोक लेखा—समिति की रिपोर्ट

श्री टी० एन० सिंह (ज़िला बनारस—पूर्व): मैं विनियोग लेखाओं (असैनिक), १९४९-५० तथा असमान्त लेखाओं (असैनिक) १९४८-४९ के सम्बन्ध में लोक-लेखा समिति की सप्तम रिपोर्ट को स्तुत करता हूं।

सदन पटल पर रखे गये पत्र—

भारत के औद्योगिक वित्तीय निगम के सामान्य विनियमों का संशोधन करने वाली अधिसूचना

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): मैं सदन-पटल पर वित्त मंत्रालय की अधि-सूचना संख्या ५/५३ दिनांक ३० मार्च, १९५३ की एक प्रतिलिपि, जिस में भारत के औद्योगिक निगम के सामान्य विनियमों में औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, १९४८ की उपधारा (३) के अन्तर्गत कुछ संशोधन

किए गए हैं, सदन पटल पर रखता हूं। [पुस्तकालय में रखी गई, देखिये संख्या एस—६२/५३]

अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करने वाले सरकारी अधिकारियों के दलों की रिपोर्ट

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं सदन पटल पर एक स्मृति-पत्र रखता हूं जिसम सरकार द्वारा उन सरकारी कर्मचारियों के दलों की रिपोर्टों पर की गई कार्यवाही का वर्णन है जिन्होंने पश्चिमी बंगाल, मैसूर, हैदराबाद, बम्बई तथा मद्रास के अकाल-ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया है तथा जो कार्यवाही क्रमशः २ मार्च तथा २९ अप्रल १९५३ के दिन पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या ४०१ तथा १७१८ के उत्तरों में दिए गए वचन के अनुसार है। [देखियरिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २२]

पंचवर्षीय योजना की प्रगति-रिपोर्ट और सामुदायिक योजना प्रशासन की रिपोर्ट

योजना, सिचाई त ा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : मैं निम्नलिखित कागज़ों की एक प्रति लिपि सदन-पटल पर रखता हुं :

(१) पंचवर्षीय योजना—१९५१-५२ तथा १९५२-५३ की प्रगति-रिपोर्ट। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये ४, ए० २ (१५)]

(२) सामुदायिक योजना प्रशासन की १९५२-५३ की रिपोर्ट। [पुस्तकालय में रखी गई। देखिये ४, एफ० ४१ (क)]

वेतनों का स्वैच्छिक त्याग

वित्त उपमंत्री (श्री एम० सी० शाह): सदन-पटल पर एक विवरण रखता हूं जिसमें वह जानकारी दी गई है जिसके देने का वायदा वेतनों के स्वैच्छिक त्याग के सम्बन्ध में २४ मार्च, १९५३ को पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या ६८६ के उत्तर में किया गया था। [देखिये परिशिष्ट १२, अनुबन्ध संख्या २३]

विभिन्न सत्रों में दिय गये आशवासनों, वायदों आदि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों के विवरण

सांसद् कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिन्हा) : में सदन-पटल पर निम्नलिखित विवरण रखता हूं जिनमें यह बतलाया गया है कि विभन्न सत्रों में दिये गये भिन्न भिन्न आश्वासनों, वायदों तथा वचनों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई :

(१) अनुपूरक विवरण संख्या १ ... लोक सभा का तृतीय सत्र, १९५३ [देखिये परिशिष्ट १४ अनुबन्ध सख्या २।]

(२) अनुपूरक विवरण संख्या २ ... लोक सभा का द्वितीय सत्र, १९५२ [देखिय परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ३]

[श्री सत्य नारायण सिन्हा]

(३) अनुपूरक विवरण संख्या ३ ... लोक सभा का प्रथम सत्र १९५२ [देखिय परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ४]

(४) अनुपूरक विवरण संख्या ६ ... अन्तर्कालीन संसद् का तृतीय सत्र (द्वितीय भाग), १९५१ [देखिये परिशिष्ट १४, अनुबन्ध संख्या ५]

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, १९४४ में संशोधन करने वाली अधिसूचनाएं

वित्त उपमंत्री (श्री ए० सी० गुहा): मैं सदन-पटल पर केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा लवण अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अनुसार जारी की गई निम्न अधिसूचनाओं की एक एक प्रतिलिपि रखता हूं :

(१) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिसूचना संख्या ९, दिनांक ७ मार्च, १९५३.

(२) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिसूचना संख्या ११, दिनांक १५ अप्रैल, १९५३.

(३) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिसूचना संख्या १३, दिनांक ८ अप्रैल, १९५३.

(४) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिसूचना संख्या १४ दिनांक १५, अप्रैल, १९५३.

[पुस्तकालय में रखी गई दखिय संख्या एस०—७४/५३.]

जापान से आने वाले रेल के डिब्बों सम्बन्धी तारांकित प्रश्न में शुद्धि

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन): मैं सदन-पटल पर एक विवरण रखता हूं जिसमें २७ जून, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२६६ के एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में शुद्धि की गई है।

विवरण

२७-६-१९५२ को, पंडित मुनिश्वर दत्त उपाध्याय के तारांकित प्रश्न संख्या १२६६ के अनुपूरक के रूप में, श्री टी० एस० ए० चेट्टियार द्वारा पूछ गए प्रश्न के उत्तर में "दस इंजन" के स्थान में "छोटी लाइन के सवारी गाड़ी के डिब्बों के दस ढांचे" आदिष्ट करें।

सम्पदा शुल्क विधेयक—जारी

उपाध्यक्ष महोदय: अब सदन सम्पदा शुल्क के आरोपण तथा संग्रह का उपबन्ध करने वाले एक विधेयक पर, जिस रूप में कि वह प्रवर समिति द्वारा भेजा गया, विचार जारी रखेगा।

श्री एन० पी० नथवानी (सोरठ): प्रवर समिति ने प्रस्तुत विधेयक में कई परिवर्तन किए हैं और मेरी राय में इन परिवर्तनों से विधेयक में काफी सुधार हुआ है। पहला बड़ा परिवर्तन यह हुआ है कि विमुक्ति की सीमा निश्चित कर दी गई है। अब यह उपबन्ध किया गया है कि ७५,००० रुपये तक के मूल्य की सम्पदा सम्पदाशुल्क से विमुक्त रहेगी। और हिन्दू मिताक्षरा विधि के अन्तर्गत आने वाली संयुक्त परिवार की सम्पदा में के अंश के विषय में विमुक्ति सीमा ५०,००० रुपये रहेगी। कुछ सदस्यों

ने यह आलोचना की कि यह सीमा कम निश्चित की गई है। इस सिलसिले में उन सदस्यों ने रुपये के अवमूल्यन तथा वर्त्तमान उच्च-निर्वाह-व्यय की ओर निर्देश किया। दूसरी ओर कुछ अन्य सदस्यों ने यह राय व्यक्त की कि उक्त सीमा अधिक निश्चित की गई है, यह कम होनी चाहिए थी। उ होंने इस सिलसिले में देश की जनता के निम्न जीवन-स्तर की ओर ध्यान दिलाया। इन परिस्थितियों में मैं समझता हूं कि प्रवर समिति ने एक बीच की सीमा, अर्थात् ७५,००० रुपये निश्चित करके एक उचित कदम उठाया है। मैं इस सीमा को पूर्णतः न्यायोचित समझता हूं।

प्रवर समिति द्वारा निश्चित की गई विमुक्ति-सीमा जनता की राय के भी अनुकूल है। यह विधेयक—सम्पदा शुल्क विधेयक—सब से पहले १९४६ में पुरःस्थापित किया गया था। उसमें विमुक्ति-सीमा १००००० रखी गई थी। १९४९ में पहली प्रवर समिति ने संविधान-सभा में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट में इस एक लाख रुपये की सीमा को ही स्वीकार कर लिया था। १९४६ के बाद देश में एसी बहुत सी घटनाएं घटी हैं जिनसे विमुक्ति-सीमा के एक लाख से कुछ कम किये जाने का औचित्य प्रकट होता है। उदाहरण के लिए, कई वस्तुओं का, विशेष रूप से शहरों में अचल सम्पत्ति का, मूल्य गिर गया है। देश के विकास के लिए चालू की गई विभिन्न योजनाओं की क्रियान्विति के लिए भी अतिरिक्त धन की आवश्यकता है। इसके अलावा आज देश में सम्पत्ति में असमानता दूर करने की सब से अधिक आवश्यकता है। इन कारणों से यह सीमा साधारण जनमत के बहुत कुछ अनुकूल है।

इस सिलसिले में यह कहा गया है कि अमरीका में विमुक्ति-सीमा बहुत अधिक, अर्थात् ६०,००० डालर, रखी गई है, फिर यहां इतनी कम क्यों है। इसके उत्तर में मुझे यह कहना है कि ६०,००० डालर की विमुक्त-सीमा संघीय सम्पदा-कर के विषय में निश्चित की गई है।

[पंडित ठाकुर दास भार्गव अध्यक्ष-पद पर आसीन हुए]

इसका अभिप्राय यही था कि बड़ी बड़ी सम्पदाओं पर कर संघ लगाये और छोटी छोटी पर विभिन्न राज्य। अमरीका में ४८ में से ४७ राज्यों में या तो सम्पदा कर या उत्तराधिकार कर या दोनों का मिला-जुला कर है। परन्तु इन करों के विषय में कई राज्यों ने बहुत कम सीमा निश्चित की है कई राज्यों में तो यह केवल १०,००० डालर है। अतः अधिक सीमा तो संघीय सरकार द्वारा रखी गई है, राज्य सरकारों द्वारा नहीं और उसके भी कुछ विशेष कारण हैं। शुरू में अभिप्राय यह था कि छोटी सम्पदाओं पर कर राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाये और बड़ी सम्पदाओं पर संघीय सरकार द्वारा। इस सिद्धान्त को वहां अभी तक अमल में लाया जा रहा है।

कुछ सदस्यों ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि हिन्दू संयुक्त परिवार में मिताक्षरा विधि के अन्तर्गत आने वाली सम्पदा तथा अन्य सम्पदाओं में भेद बरता जाना ठीक नहीं है। इस सिलसिले में मुझ केवल इतना कहना है कि आजकल संयुक्त हिन्दू परिवारों की प्रवृत्ति कुछ ऐसी होती जा रही है कि वे आपस में बटवारा करके एक दूसरे के कारोबार में भागी बन जाते हैं यह बात अत्यन्त महत्वपूर्ण है और इस पर अवश्य ध्यान दिया जाना चाहिए क्योंकि मिताक्षरा विधि के अन्तर्गत आने

[श्री एन० पी० नथवानी]

वाले हिन्दुओं में भी खुद कमाई गई सम्पत्ति पूर्वजों की सम्पत्ति की तुलना में काफ़ी अधिक पाई जाती है।

श्री धुलेकर ने ७५,००० रुपये की सीमा के बढ़ाये जाने की नैतिकता के अधार पर मांग की। परन्तु मैं नहीं समझता कि यह सीमा ऐसी है कि इससे लोगों को बेईमानी करने की प्रेरणा मिल सकती है। पहले तो हमें यह बात समझनी चाहिये कि यह शुल्क आयकर से भिन्न है। आयकर में तो प्रत्येक वर्ष आय में कमी दिखलाई जा सकती है। परन्तु सम्पदा शुल्क तो किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर ही एक बार आरोपित किया जायगा। अतएव यह आशंका नहीं होनी चाहिए। यह भी कहा गया है कि यदि इस सीमा में वृद्धि कर दी जाये तो लोग बेईमानी नहीं करेंगे। परन्तु मैं इस विचार से सहमत नहीं हूं। इसके विपरीत, मैं तो इस पुरानी कहावत में विश्वास रखता हूं कि : "जितना किसी को अधिक मिलता है उतनी ही अधिक उस की कामनाएं बढ़ती जाती हैं।" हमें इस बात को भी नहीं भुला देना चाहिए कि छोटी सम्पदाओं में करापात का भार बहुत कम रहेगा। एक लाख रुपये या इसके आसपास मूल्य की सम्पदाओं पर तो कर ५०० रुपये और १००० रुपये के बीच ही होगा। जहां तक इसमें कृषि-सम्पत्ति के सम्मिलित किये जाने का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि इससे कृषि-भूमि पर लगने वाले करों में एकरूपता आयेगी। अतः यह उपबन्ध स्वागत के योग्य है।

जब मैं एक दूसरी बात को लेता हूं। खंड ९ में लोक पूर्त प्रयोजनों के पक्ष में विमुक्ति दी जाने की व्यवस्था है। परन्तु मैं "लोक-पूर्त प्रयोजनों" का तात्पर्य नहीं समझ सका। विधि के अन्तर्गत पूर्त का अर्थ उससे कुछ भिन्न है जो साधारणतया निकाला जाता है। पूर्त तो लोक-हित के लिए ही होता है, किसी व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए नहीं। निजी पूर्त न्यास जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अतः मैं चाहता हूं कि यहां शब्द "लोक" अनावश्यक है। मुझ से कहा गया कि इस शब्द के रखे जाने का अभिप्राय यह है कि इसके अन्तर्गत ऐसे पूर्त-प्रयोजन न शामिल किये जायें जो किसी जाति या सम्प्रदाय विशेष के हित के लिये हों। यदि अभिप्राय यह है कि इस की भाषा ठीक नहीं रखी गई है। मैं स्वयं यह नहीं चाहता कि हम किसी जाति या सम्प्रदाय विशेष के हितों के लिए बनी पूर्त संस्थाओं को रियायत दें। इसके अलावा मैं यह भी चाहता हूं कि "पूर्त प्रयोजनों" शब्दों की ठीक ठीक परिभाषा की जानी चाहिये अन्यथा इसका निर्वचन करना बहुत कठिन हो जायेगा। इन शब्दों के अर्थ के सम्बन्ध में अंग्रेजी विधि तथा भारतीय विधि में कुछ अन्तर है।

अब मैं अपील के प्रश्न पर आता हूं। मेरी राय यह है कि यदि प्रवर समिति तथ्य के प्रश्नों पर एक स्वतन्त्र न्यायाधिकरण को अपील की जाने का उपबन्ध कर देती तो अधिक अच्छा होता। आयकर के सम्बन्ध में तो हम इस सिद्धान्त को पहले ही स्वीकार कर चुके हैं। माननीय वित्त मंत्री ने अपील का उपबन्ध न रखने के दो कारण बतलाये हैं। एक तो यह कि प्रारम्भिक अवस्था में आनम्यता होनी चाहिये और दूसरा यह कि लगभग ९५ प्रतिशत मामलों में केवल मूल्यांकन का ही प्रश्न उठाया जायेगा। यह तो ठीक है कि आनम्यता

होनी चाहिये, परन्तु हम इसके भी ऊपर निष्पक्षता चाहते हैं। जिन लोगों को यह अधिनियम क्रियान्वित करना है उनका दृष्टिकोण इतना अधिक न्यायिक नहीं है जितना कि कार्यपालक। दूसरी बात यह कि अपील होने की दशा में करदाताओं को संतोष हो जाता है कि उनके मामले का परीक्षण एक निष्पक्ष न्यायाधिकरण द्वारा किया जा रहा है। माननीय वित्त मंत्री द्वारा बतलाये गये दूसरे कारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि मैं यह बात नहीं मानता कि ९५ प्रतिशत मामलों में केवल मूल्यांकन का ही प्रश्न उठाया जायेगा। इस में तो कोई सन्देह नहीं है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत यह वाद प्रतिवाद का एक प्रमुख विषय रहेगा; परन्तु इस के अलावा अन्य बहुत से प्रश्न भी उठेंगे। भेंट कब दी गई, किस ने कब्जा किया, सम्पत्ति का लाभ किस ने उठाया, क्या व्यवहार वास्तविक था, आदि कितने ही ऐसे प्रश्न जो इन मामलों में उठाये जा सकते हैं। मैं यह तो मानता हूं कि जहां तक मूल्यांकन का प्रश्न है, कुछ विशेष या टैक्निकल ज्ञान की आवश्यकता है और न्यायाधिकरण इन मामलों में अपनी ही मर्ज़ी से विनिश्चय नहीं कर सकता। उसे ऐसे मामलों में विशेषज्ञों की सहायता की आवश्यकता पड़गी। उस दृष्टि से देखा जाये तो मूल्यांकन सम्बन्धी विवाद को दो मूल्य-निर्धारकों के एक स्वतन्त्र मध्यस्थ-न्यायाधिकरण को सौंपने का उपबन्ध बहुत सन्तोषजनक है। मैं चाहता हूं कि अपील का उपबन्ध तो रखा ही जाये, परन्तु उस के साथ-साथ इस उपबन्ध को भी रहने दिया जाये।

अन्त में मैं शुल्क-अपवंचन के विषय में कुछ कहूंगा। यहां लोग इस शुल्क से बचने के लिए अपनी सम्पत्ति का अपने जीवन-काल में ही हस्तान्तरण कर दिया करेंगे। यहां इसकी—हमारी सामाजिक व्यवस्था को देखते हुए—बहुत सम्भावना है। अतः यदि हम प्रस्तुत विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के विवरण में दिये गये उद्देश्यों की सारवान रूप से पूर्ति करना चाहते हैं तो हमें इस प्रकार के अपवंचन को रोकने की भी समुचित व्यवस्था करनी चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री जी० डी० सोमानी (नागौर पाली): प्रवर समिति ने जिस रूप में इस विधेयक को रखा है उस से देश की अर्थ व्यवस्था को हानि होगी। सदन के समक्ष यह संशोधन है कि जनमत जानने के लिए यह विधेयक परिचालित किया जाये। वाणिज्यिक संस्थाओं ने अभ्यावेदन किया है कि करारोपण जांच समिति की रिपोर्ट आने तक विधेयक पर विचार न किया जाये। करापात आदि बातों का पता लगाने के पश्चात् ही ऐसा विधान बनना चाहिए।

इस विधान पर विभिन्न समितियों ने १८५९ से विचार किया है। यह इसलिए पारित नहीं हो सका कि इस से बड़ी कठिनाईयां उपस्थित हो जाती हैं। बचत और पूंजी निर्माण पर इस का बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा हमारी अर्थ व्यवस्था को हानि पहुंचेगी। १९२७ में इंगलैंड में कार्लावन समिति ने यह बताया था कि आयकर की अपेक्षा सम्पदा शुल्क से बचत बहुत घट जाती है।

यदि सरकार किसी की बचाई गइ राशि ले ले तो वह व्यक्ति कम उत्पादन करेगा तथा अर्जित आय को खच कर

[श्री जी० डी० सोमानी]

देगा। इस विधेयक का उद्देश्य पूंजी प्राप्त करना है परन्तु इस विधेयक के कारण लोग उद्योगों में पूंजी लगाना बंद कर देंगे। अतएव इस विधान को स्थगित कर देना चाहिए। लोग बचत कर उद्योगों में जब पूंजी लगायेंगे तब ही उत्पादन बढ़ेगा और हमारा जीवन स्तर बढ़ेगा। इस शुल्क से सरकार को जितनी आय प्राप्त होगी उस से कहीं अधिक हानि देश की पूंजी की होगी। इस विधेयक के बनाने का ध्येय धन के वितरण की विषमता को हटाना है। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं परन्तु देश के विकास कार्यक्रम को हानि पहुंचाए बिना आप यह समता स्थापित कीजिए, यदि इस विधान के कारण देश का विकास कार्यक्रम रुक जाए तो उस समता से कोई लाभ नहीं है। हां जब देश समृद्ध हो जाए तब अवश्य ही धन के वितरण की विषमता को मिटाया जा सकता है। धन के उत्पादन के पश्चात् ही वितरण होता है। पूंजी कर द्वारा यदि सारी पूंजी ले ली जाए तो देश का विकास न हो सकेगा। सरकार भी मिश्र अर्थ व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है। अतएव देश के विकास करने का अवसर वैयक्तिक पूंजीपतियों को देना चाहिए। इस विधान का पूंजी इत्यादि पर बड़ा असर पड़ेगा। उस से अधिक लाभ न हो सकेगा।

मध्यम वर्ग के लोगों तथा मध्यम वर्ग के परिवारों द्वारा साझे में चलाए गए व्यापारों पर इस विधेयक का बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्या यह सम्भव है कि ऐसे सारे व्यापार लोक समिति समवाय बना लिए जायेंगे? इस शुल्क के कारण ऐसे व्यापार बन्द हो जायेंगे। सरकार को इससे कुछ आय अवश्य प्राप्त होगी परन्तु साथ में इस से देश की उत्पादन शक्ति कम हो जायेगी। व्यवसाय में अधिक पूंजी का लगाया जाना बन्द हो जायेगा।

मुझे मालूम है कि विभिन्न देशों में यह कर लगाया जाता है परन्तु हमारे देश की स्थिति सर्वथा भिन्न है। हमें उन देशों का बिना सोचे विचारे अनुकरण नहीं करना चाहिए।

फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने यह सुझाव रखा था कि सरकार द्वारा अनुमोदित व्यवसायों में लगाई गई पूंजी पर यह कर कुछ वर्षों तक नहीं लगाया जाना चाहिए। इस विषय में सरकार ने अन्य सहूलियतें भी दी हैं। इस से लाभ यह होगा कि देश में आवश्यक नए उद्योग स्थापित हो जायेंगे। यदि यह न किया गया तो लोग सोने चांदी आदि खरीदना आरम्भ करेंगे क्योंकि सम्पदा शुल्क से बचने के लिए इन्हें छिपाया जा सकता है। इंगलैंड के अधिनियम में सरकारी प्रतिभूतियों की विमुक्ति के लिए कुछ उपबन्ध हैं। देश की आवश्यकताओं को देखते हुए नए उद्योगों में लगाई गई पूंजी को विमुक्ति दी जानी चाहिए।

सार्वजनिक पूर्त के लिए दी गई राशि भी विमुक्त की जानी चाहिए। इस के लिए २५०० रुपये निश्चित करना ठीक न होगा। लोगों को अपनी आय के अनुसार राशि देने की सुविधा होनी चाहिए। मृत्यु के अवसर पर दान देने की प्रथा हमारे देश में बहुत दिनों से चली आई है। अतएव यह निश्चित किया जाना चाहिए कि यदि आय का एक निश्चित प्रतिशत भाग दान में दिया जाएगा तो वह कर-विमुक्त होगा।

उसी तरह खुद के रहने के घरों के विषय में भी विमुक्ति की सीमा निश्चित की जानी चाहिए।

इस बात का उपबन्ध होना चाहिए कि यदि लोग यह कर रुपयों के रूप में न दे पायें तो, वे उस मूल्य पर अपनी सम्पत्ति का भाग सरकार को दे सकें, जिस के अनुसार कर निर्धारित किया गया है।

सरकार इस विधेयक पर विचार करे तथा उसे इस प्रकार संशोधित करे जिस से कि इस के कारण देश के विकास में बाधा न पहुंचे।

श्री सी० सी० शाह (गोहलवाड-सोरठ) : पिछले वक्ता से यह सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जनमत जानने के लिए यह विधेयक परिचालित किया जाए। रामराज्य परिषद् के सदस्य ने धर्म के आधार पर इस विधेयक पर आपत्ति की है। मैं उस का जवाब नहीं दे सकता। मेरे माननीय मित्र ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के नाम पर तर्क दिए हैं पर उन से किसी को धोका नहीं हो सकता।

सम्पदा शुल्क सामान्य कर है। भारत में यह देरी से लग रहा है। यह चाहा जा रहा है कि विमुक्ति की राशि बढ़ा दी जाए। विधेयक का पूर्ण विरोध भी किया गया है। यह मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया। यह मत इस सदन में बहुमत द्वारा स्वीकृत नहीं होगा। मेरे विचार में इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्रीज़ भी श्री सोमानी से पूर्णतया सहमत नहीं है।

उन्होंने पुराने तर्क दिए हैं कि इस कर के कारण पूंजी इकट्ठी न हो सकेगी तथा लोग बचत नहीं करेंगे। यदि उनके वर्ग के आदमी इस कारण अपना धन खर्च कर दें तो अच्छा ही होगा। इस प्रकार के विधेयक का उन्हें ऐसा विरोध नहीं करना चाहिए था।

यह मामूली विधेयक है। इस से धन के वितरण की विषमता न मिट सकेगी। इस से न परिवार नष्ट होंगे न विधवाएं तथा बच्चे असहाय हो जायेंगे।

जिन लोगों के पास सम्पत्ति है उन से ही यह कर लिया जायेगा। जो समाज में धनोपार्जन करते हैं उन से समाज यह शुल्क लेता है। इस शुल्क के देने से उन के सारे पाप धुल जायेंगे।

यह मामूली विधान है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि विमुक्ति सीमा कुछ बढ़ा दी जाए। मैं यह भी मानता हूं कि इस विधान के लागू होने से जो कठिनाईयां होंगी वे मिटा दी जानी चाहियें।

सम्पदा शुल्क के विषय में तीन प्रश्न उठते हैं। किस सम्पदा पर इसे लगाना चाहिए, कितना शुल्क लेना चाहिए तथा इसे किस तरह वसूल करना चाहिए? प्रत्येक बात में रचनात्मक सुझाव दिए जा सकते हैं। प्रवर समिति ने इसे सुधारने की पूरी कोशिश की है तथा मध्यम मार्ग पर चलने का प्रत्यन किया है। साधारणतया करारोपण में कठिनाईयां तो होती ही हैं। परिवार में एक निश्चित समय में बहुत से लोगों के मरने से यह कर अधिक बार देना पड़ेगा। परन्तु यह तो असामान्य बात है।

इस शुल्क का उद्देश्य राजस्व प्राप्त करना, धन के वितरण की विषमता मिटाना तथा समाज के ऊपर अच्छा प्रभाव डालना है।

[श्री सी० सी० शाह]

योजना आयोग का अनुमान है कि इस से ८-१० करोड़ रुपये की प्राप्ति होगी। आय कर से १५० करोड़ रुपया प्राप्त होता है। अतएव इसे साधारण विधान समझना चाहिए। इसके कारण न पूंजी निर्माण में ही बाधा पहुंचेगी न बचत ही कम होगी।

धन के वितरण की विषमता इस विधान से कुछ कम होगी। लोग अपने जीवन काल में ही सम्पत्ति इस प्रकार बांट देंगे जिससे कि अधिक सम्पदा शुल्क न देना पड़ेगा धन के वितरण की विषमता हटाने में यह पहला कदम है। यह कर बहुत पहले लगाया जाना चाहिये था। इस कर का सबसे बड़ा महत्व यह है कि समस्त समाज पर इसका मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक प्रभाव पड़ता है। धनवानों पर कर लगाने से गरीबों को संतोष होता है। धनवानों को यह सोचना चाहिये कि उनकी सम्पत्ति समाज के लोगों के लिये भी है। धनवानों को वास्तव में ही सम्पदा शुल्क का स्वागत करना चाहिये यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपने देशभाइयों की सहायता नहीं करना चाहता तो उसे कानून ऐसा करने के लिए बाध्य करेगा।

सार्वजनिक पूर्ति के विषय में मेरा कहना यह है कि इन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए अतएव इसके लिए दी गई राशि की विमुक्ति सीमा बढ़ा देनी चाहिए।

दूसरी बात न्यायाधिकरण के बारे में मुझे कहनी है। मुझे केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के प्रति कोई शिकायत नहीं है परन्तु साधारणतया उनका विभागीय दृष्टिकोण होता है। लोगों को विश्वास होना चाहिये कि उनके साथ न्याय किया जा रहा है। यह बोर्ड दिल्ली में बैठता है। यदि सारे देश की अपीलें यहां करनी पड़ेंगी तो बड़ा कष्ट होगा। अतः जिले के न्यायाधीश को इन अपीलों पर विचार करने का अधिकार होना चाहिये। पहली अपील राजस्व बोर्ड में की जाए तथा तथ्य के प्रश्न वाली दूसरी अपील आयकर अधिनियम की तरह न्यायाधिकरण द्वारा सुनी जाय। इसका उपबन्ध करना आवश्यक है। मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

११ म० पू०

श्री एस० सी० सिंघल (जिला अलीगढ़): सभापति जी, मैंने अपने मित्र श्री सोमानी साहब की स्पीच को बहुत गौर से सुना और मैं ने डिसेंटिंग नोट (विमति टिप्पणि) में श्री तुलसीदास किलाचन्द का नोट भी देखा और मुझे सोमानी जी की स्पीच और श्री तुलसीदास के डिसेंटिंग नोट को देखकर कोई अचम्भा तो नहीं हुआ, हां दुःख जरूर हुआ। ये लोग जनता के नाम पर जनता का ही गला काटना चाहते हैं, वे लोग इस विधेयक के बिल्कुल विरोध में हैं और चाहतें हैं कि यह बिल अभी टलता ही जाय ताकि मालदार सम्प्रदाय सम्पत्ति कर देने से बचा रहे।

यह बिल सबसे पहले सेंट्रल असेम्बली में सन् १९४८ में आया और इस पर बहस होने के बाद यह बिल सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया और सेलेक्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी इस बिल पर दी, लेकिन यह बिल पास नहीं किया गया और यह बहाना बना कर टाल दिया गया कि हिन्दू कोड बिल पास हो जायगा

तब इस बिल के पास करने का अवसर अच्छा होगा यह बिल मैं समझता हूं ऐसे ही लोगों के असर से टाला गया। इसके बाद १९५२ में चार साल के बाद यह बिल फिर पार्लियामेंट में आया, इसके बाद यह सेलेक्ट कमेटी में गया और अचंभे की बात है कि सैलेक्ट कमेटी ने २१ बैठकों के बाद अपनी रिपोर्ट मुकम्मिल की। सिर्फ इस बिल में ८४ धाराएं हैं और उनमें से ३१ धाराओं में सैलेक्ट कमेटी ने संशोधन किया है। ३१ धाराओं का संशोधन सैलेक्ट कमेटी को एक या दो मीटिंग में हो सकता था, लेकिन ऐसे लोगों के असर से या इन्फ्लुएंस से यह बिल टलता गया और २१ बैठकों में सैलेक्ट कमेटी इस बिल को संशोधित करके अपनी रिपोर्ट तैयार कर सकी और इस तरह देश का काफी पैसा खर्च हुआ और प्रवर समिति के सदस्यों का समय भी काफी लगा, लेकिन फिर भी इस सदन के कुछ सदस्यों की नीयत यही है कि यह बिल दो चार साल को और टलता जाय, लेकिन मेरा सरकार से यह अनुरोध है कि यह बिल जल्द से जल्द पास होना चाहिये। मैं तो यह चाहता था कि यह बिल इसी बजट सेशन में पास हो जाता, और आगे के लिए मुलतवी नहीं किया जाता लेकिन लाचारी है, यह बिल सन् ४८ से ५३ यानि पांच साल से बराबर टलता आ रहा है और सरकार को काफी रुपया जो कर के रूप में मिल सकता था नहीं मिला सरकार को इसका ख्याल करना चाहिए और इसे पास कराने में अधिक बिलंब न करना चाहिए, हमें पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिए रुपये की बहुत सख्त जरुरत है और इस कर से काफी रुपया मिल सकता है। सोमानी जी ने सेविंग का सवाल उठाया मेरी राय में उन्होंन नए अर्थ शास्त्र का ज्यादा अध्ययन नहीं किया है। अगर किया होता तो वह ऐसी बात नहीं उठाते। आजकल के अर्थ शास्त्र के अनुसार जो देश सेविंग करते हैं, वह अपनी ट्रेड और इन्डस्ट्रीज़ को गिरा देते हैं। नए अर्थ शास्त्र के सिद्धांत के मुताबिक जो देश अपनी आय और व्यय को बराबर रखता है वही देश तरक्की कर सकता है और जिस मुल्क में सेविंग की कोशिश की जाती है, वह मुल्क अपनी इंडस्ट्रीज को गिरा देता है और बेरोजगारी बढ़ाता है। सोमानी जी का मतलब सेविंग से यह है कि कुछ पूंजीपतियों के घरों में देश का रुपया पड़ा रहे, अगर पंचवर्षीय योजना के लिए रुपया मिल जाय और हमारी पंचवर्षीय योजना कामयाब हो जाए तो मैं समझता हूं कि उससे देश का अधिक लाभ और किसी में नहीं है। इसी की सफलता पर हमारे उद्योग-धंधों की तरक्की निर्भर है। इसलिए इस बिल का जल्दी से जल्दी पास होना निहायत जरूरी है।

मुझे दुःख है कि प्रवर समिति ने इस बिल की भाषा में कोई सुधार नहीं किया इस बिल की भाषा इतनी कठिन और क्लिष्ट है कि इस का समझना बहुत से लोगों के लिए नामुमकिन है। इस बात को हमारे वित्त मंत्री महोदय ने भी स्वीकार किया है, लेकिन स्वीकार करने मात्र से कोई फायदा नहीं जब तक इसकी भाषा को सरल और समझने लायक न बनाया जाय। यह बिल तो इतना सरल और सीधा होना चाहिये कि हरएक आदमी इसको समझ सके।

मैं तो सरकार से अब भी प्रार्थना करूंगा कि वह कोई न कोई उपाय ऐसा निकाले कि बिल की भाषा इतनी आसान हो जाय कि हर एक आदमी इसको

[श्री एस० सी० सिंघल]

समझ सके ताकि वकीलों को तंग करने की कोई आवश्यकता न पड़े।

मुझे इस बात का भी अफसोस है कि यह बिल पूरा बिल नहीं है। इसमें अधूरापन है। इंग्लैंड में अगर एस्टेट ड्यूटी है तो साथ में सक्सेशन ड्यूटी भी है। इस बिल में भी सक्सेशन ड्यूटी का होना निहायत लाजमी है। जब तक सक्सेशन ड्यूटी नहीं होगी तब तक आप समता और समानता नहीं ला सकते और बगैर इसके सोशियल जस्टिस नहीं हो सकती। इस बिल के अन्दर जरूरी है कि कुछ क्लाजेज सक्सेशन ड्यूटी के लिए और जोड़ दिए जाएं। प्रवर समिति का यह कहना कि सक्सेशन डयूटी इस में नहीं आ सकती है और यह कांस्टिट्यूशन के खिलाफ है यह गलत है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। अगर दो चार क्लाजेज इसमें सक्सेशन के जोड़ दिए जाते तो कोई भी दिक्कत न पड़ती और कोई विधान के खिलाफ बात नही होती।

मैं तो यह भी चाहता हूं कि किसी आदमी को एक बंधी रकम से ज्यादा इन्हेरिट करने का अधिकार नहीं होना चाहिये। साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि अगर कोई आदमी मालदार है और उसके पास रुपया है तो उसको भी प्राप्रटी इनहेरिट करने का कोई अधिकार ही नहीं होना चाहिए। जब तक यह क्लाज नहीं जोड़े जाएंगें तब तक आप समता और समानता नहीं ला सकते। इसलिए इनका होना बहुत लाजमी है। इसके विपरीत प्रवर समिति ने एक नया क्लाज़ ४८ जोड़ दिया है। वह खंड बहुत ही आपत्तिजनक है। सैलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट में नए खंड के लिए यह दलीलें दी गई हैं :

"In practically all countries with a federal structure of Government where inheritance or succession duties are paid in the component States side by side with estate duty, the principle of granting relief in respect of such duties when estate duty comes to be paid is well recognised. The Select Committee feels that a similar relief should be provided in this Bill also within a specified limit."

["जिन देशों में फेडरल सरकारें हैं वहां के राज्यों में जहां संपदा शुल्क के अतिरिक्त दायभाग तथा उत्तराधिकार शुल्क लिया जाता है उन सब में यह सिद्धांत माना जाता है कि जब सम्पदा शुल्क दिया जाय तब अन्य शुल्कों के विषय में अनुतोष दिया जाना चाहिए प्रवर समिति के विचार में ऐसे अनुतोष का उपबन्ध, खास हद तक, इस विधेयक में भी किया जाना चाहिए।"]

यह दलीलें कोई मतलब नहीं रखतीं और इस नए खंड की कोई पुष्टि नहीं करती। मैं समझता हूं कि यह खंड बहुत प्रतिक्रियावादी (रिऐक्शनरी) है। इस नए खंड का बढ़ना बहुत अनुचित है और मेरी यह पक्की राय है कि इस

को यहां पर नहीं आना चाहिए। सरकार को तो यह करना चाहिए कि सक्सेशन ड्यूटी जिस प्रांत और प्रदेशों में नहीं है वहां भी लगवाती और वह इस सिद्धांत को लेकर होती कि जो आदमी मालदार है वह इनहेरिट करने का कोई अधिकार नहीं रखता और अमुक रक़म से ज्यादा कोई इनहेरिट नहीं कर सकता। जब तक इस आधार पर संशोधन नहीं होगा तब तक यह बिल मुकम्मिल नहीं है।

इसके बाद मुझे कुछ मिताक्षर और दायभाग के बारे में कहना है। दायभाग वालों के साथ यह पूरा अन्याय है। उन को इस बिल के मुताबिक टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा और मिताक्षर वालों को कम देना पड़ेगा। अगर कलकत्ते में एक मारवाड़ी और एक बंगाली साथ साथ रहते हों और अगर बंगाली के पास दो लाख का माल है, वह मरता है तो उसको दो लाख पर मृत्यु कर देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई मारवाड़ी मरता है और उसके तीन या चार बच्चे हैं तो उस को एक पैसा भी टैक्स का नहीं देना पड़ेगा। इस तरह से बंगाली को कर का रेट भी ज्यादा देना पड़ेगा और कर भी ज्यादा रुपया पर देना पडेगा लेकिन अगर मारवाड़ी मरता है तो ड्यूटी देने से बच जाता है। यह घोर अन्याय है। टैक्स हर एक के लिये एक सा होना चाहिये। कोई भी पिता मरे चाहे वह दायभाग का मानने वाला हो या मिताक्षर का मानने वाला हो सब को एक सा ही टैक्स देना चाहिये। मिताक्षर और यादभाग के नाते इस कर में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिये।

मुझे एक और अफसोस है कि हमारे वित्त मंत्री ने हमें कर की दर अब तक नहीं बताई कि किस दर से कर लिया जाएगा। अगर यह बता दें तो विचार करने में सुभीता पड़ेगा। हम समझ सकते थे कि कितना रुपया आ सकेगा। साथ में एक और बात है कि जो भी टैक्स लगाया जाय वह गिफ्ट्स पर भी लगाया जाय जिस में बईमानी की नौबत न आये। किसी को भी बेईमानी करने का मौका न मिले, किसी को बेईमानी करने का लालच न हो, हर एक ईमानदारी से काम कर सके। लेकिन इस के लिये सेलेक्ट कमेटी ने दो साल का नियम रख दिया है कि दो साल के पहले जो गिफ्ट्स दी जायेंगी उन पर टैक्स नहीं लिया जायेगा। यह बहुत बेजा बात है। लोगों के पास जो कुछ भी होगा उस को वे दो तीन साल पहले से ही इन्हें रिटर्स या अपने बच्चों के नाम कर देंगे और सरकार को बहुत घाटा पड़ेगा। जो लोग ईमानदार हैं और कर से बचने का कोई ऐसा उपाय नहीं करेंगे उनको पूरा टैक्स देना पड़ेगा और जो बेईमान है वह टैक्स देने से बच जायेंगे। इस बिल में यह संशोधन होना चाहिये कि गिफ्ट्स आठ साल पहले दी गई हों या दस साल पहले, उन सब पर टैक्स होना चाहिए खास तौर से उन गिफ्ट्स पर जो कि सक्सैसर्स (उत्तराधिकारियों) को जायें। सिद्धान्त रूप से तो जीवित व्यक्तियों द्वारा दिए गए दान पर उसी तरह कर लगाना चाहिए जिस तरह कि उस दान पर कर लगाया जाता है जो मरने से पूर्व किसी व्यक्ति ने दिया हो इस के बाद मुझे कुछ ऐपेलेट ट्रिब्यूनल के बारे में कहना है। मैं ने वित्त मंत्री की स्पीच को सुना। वह इस पक्ष में हैं कि डिपार्टमेन्ट के आदमी हमेशा भले होते हैं, शरीफ होते हैं और रू रियायत (लिहाज) कर सकते हैं। लेकिन जहां

[श्री एस० सी० सिंघल]

मामला कचेहरी में पहुंचा वहां रू रियायत नहीं होगी और कानून के अन्दर काम होगा। हमारे वित्त मंत्री आई० सी० एस० आफिसर रहे हैं उन को कभी इनकम टैक्स अधिकारियों के पास जाने का मौका नहीं पड़ा है। इन बातों को मैं जानता हूं मुझ उन अधिकारियों के पास जाने का मौका भी पड़ा है। मैं जानता हूं कि वह कितने भले आदमी होते हैं और कितने बुरे आदमी होते हैं अगर उन में से कोई अफसर भला है तो किसी खास आदमी के लिये भला है, हर एक के लिये नहीं और जो ब होता ह वह ज्यादातर लोगों के लिये बदमाश होता है, सिर्फ अपन दोस्तों के लिये भला हो सकता है। फिर एक बात यह भी है कि इन अधिकारियों पर जनता को विश्वास नहीं है। जनता चाहती है कि उनकी अपील स्वतंत्र अधिकारियों के यहां हो ट्रिब्यूनल से ही लोगों को सन्तोष मिल सकेगा और इन्साफ भी मिल सकेगा जब लोग देखते हैं कि अपील भी उसी अधिकारी के यहां है जो टैक्स इकट्ठा करता है तब उस को इन्साफ की बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं होती है। मेरी राय यह है कि वित्त मंत्री और जनता दोनों की इच्छा पूरी होनी चाहिये। कर दाता को अधिकार होनी चाहिए कि चाहे वह डिपार्टमेन्ट में अपील करे और चाहे तो वह ट्रिब्यूनल में अपील करे। दोनों तरीके खुले होने चाहियें। जो जहां इन्साफ पा सके वहां पहुंच जाये।

एक बात और भी है। एक लिस्ट सरकार के पास उन लोगों की होनी चाहिये जो मरने पर यह कर दें यानी जिन पर यह कर लग सके। यह नहीं कि हर एक अदमी जो मरे चाहे उस के पास रुपया हो या न हो, चाहे वह टैक्स की लिमिट में आ सके या नहीं और मरने पर सब के घर वालों को खटखटाया जाए। सिर्फ उन्हीं लोगों को लिस्ट में रखना चाहिये जो कि टैक्स की लिमिट में आ सकें, ताकि नीचे के लोगों को तंग करने का अवसर अधिकारी न पा सकें।

अंत में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि बीच के आदमी को कुछ सुविधा भी होनी चाहिये। अगर किसी पर कर लगाया जाए और कर लगाते वक्त उसकी मिल्कियत की कीमत भी रक्खी जायगी अगर कर दाता समझे कि उस की मिल्कियत की कीमत बिक सकती है तो कर दाता को अधिकार होना चाहिए कि अपनी मिल्कियत का हिस्सा कर में दे सके। इन्साफ यही कहता है।

मैं प्रार्थना करूंगा कि सरकार मेरे सुझावों पर गौर करे और उनके मुताबिक बिल में संशोधन करें।

श्री झुनझुनवाला (भागलपुर मध्य) : सभापति जी, यह जो विधेयक अभी संसद के सामने रक्खा गया है इस में यह तो सभी की राय है कि इस समय कुछ श्रेणी के आदमियों के पास धन बेशी (अधिक) है और कुछ श्रेणियों के आदमियों के पास बहुत कम है। तथा कई श्रेणी के आदमियों के पास कुछ कम है। अधिकांश के पास कुछ भी नहीं है। यह जो फर्क है उस को हमें मिटाना चाहिये। इस में दोनों बातें हैं। नैतिकता भी है और इस में इस की भी आवश्यकता है कि जो धन एक आदमी के पास है वह उस के पास न रह कर

के इस प्रकार से देश के काम में लगाया जाय जिस से ग़रीब से ग़रीब आदमी को उस का लाभ हो । और जो बड़ा आदमी है वह फिज़ूल खर्ची करता है और उसकी सन्तान बिना समझे बूझे खर्च करती है। वह लोग यह समझते हैं कि हमें अधिकार है हम चाहे जितना और चाहे जिस तरह से खर्च करें । इसमें देश का हित होता है या अहित होता है या इससे देश पर कैसा नैतिक प्रभाव पड़ता है इसकी वह परवाह नहीं करते और मनमाने ढंग से चलते हैं । अब इस बात की बड़ी भारी ज़रूरत है कि यह भावना पैदा हो कि जो धन मैं पैदा करता हूं वह केवल मेरे अपने लड़कों के लिए ही नहीं है, परन्तु अब मनुष्य को अपने मानसिक विचार की सीमा विस्तृत करनी चाहिए और यह समझना चाहिए कि यह सारा देश हमारा है और जितने लोग इसमें रहते हैं वह हमारे भाई हैं और जो हमारा पैसा है वह उनके उपकार के लिए लगे । जिस दिन आदमी की यह वृत्ति हो जायगी उस दिन जो लोग इस बिल का थोड़ा सा भी विरोध अपने मन में करते हैं वह नहीं रहेगा । अतएव यह जो बिल इस समय लाया गया है यह बहुत ज़रूरी है ऐसा सभी लोग मानते हैं।

इस पर, जैसा कि हमारे भाई शाह साहब ने कहा है, दो आपत्तियां उठाई गयी हैं । एक तो हमारे राम राज्य परिषद के नन्द लाल जी शर्मा ने सनातन धर्म की दुहाई देकर के आपत्ति की है । म शास्त्रज्ञ नहीं हूं और न मैं धुलेकर साहब जैसा शास्त्रों का जानने वाला हूं । परन्तु मैं अपने उन सनातन धर्मावलम्बी भाईयों से यह पूछना चाहूंगा कि जब इस समय भारत वर्ष में लोगों को खाना नहीं मिलता ह और यदि हमारी सरकार धनी लोगों से रुपया लेकर उनको खाना और कपड़ा पहुंचाने की चेष्टा करे तो इससे बढ़कर और कौनसा दूसरा सनातन धर्म हो सकता है, यह मेरी समझ में नहीं आता अतः . . . .

बाबू रामनारायण सिंह : सरकार ही यदि रुपया खा जाय तो ?

श्री झुनझुनवाला : यदि सरकार रुपया खा जाय तो जिस समय बजट पेश हो उस समय हम लोग देख सकते हैं और यह हमारा और आप लोगों का काम है कि देखें कि कौन रुपया खा जाता है । यह हर एक सदस्य का कर्त्तव्य है कि वह देख कि ठीक से काम चलता है या नहीं । सरकार के तो थोड़े से आदमी हैं परन्तु आपका भी तो काम है कि देखें। यहां आकर केवल यह कह देना कि सरकार खा जाती है अच्छा तो नहीं लगता ।

दूसरी आपत्ति हमारे भाई सोमानी जी ने की । वह यह है कि इस समय इस बिल के पास हो जाने से हमारे देश में जो हर एक चीज़ की उत्पत्ति है उसमें कमी पड़ जायगी । सरकार की यह नीति है कि इस समय हर एक चीज़ का उत्पादन बढ़ाया जाय । हमारी प्लानिंग कमीशन ने वर्षों तक बैठकर इस बात पर विचार किया है कि किस प्रकार हमारे देश का उत्पादन बढ़े । और जो प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट है वह पार्लियामेंट के सामने रखी गयी है और उसको हम सब लोगों ने मंजूर कर लिया है । तो यह काम तो प्लानिंग कमीशन ने कर दिया और उनकी यह सिफारिश है कि इस प्रकार का बिल लाना चाहिए और इस प्रकार का बिल ला करके कुछ रुपया लेना चाहिए जिससे कि हमारा उत्पादन बढ़े । अब यदि किसी आदमी या किसी संस्था का

[श्री झुनझुनवाला]

उससे मतभेद हो कि इससे उत्पादन नहीं बढ़ेगा, इससे कैपीटल फारमेशन नही होगा, तब तो उसका कोई अन्त ही नहीं आवेगा और न हम कोई राय कायम कर सकेंगे। सरकार ने प्लानिंग कमीशन बिठाई थी और उसने यह राय कायम कर दी और उसने यह कहा कि हमारा उत्पादन बढ़ाने के लिए और जो हमारी डेवेलपमेंट स्कीम्स हैं उनके लिए ऐस्टट ड्यूटी बिल लाना बहुत जरूरी है। इस वास्ते यह लाया गया है। अब अगर हर एक स्टेज पर हम उसमें शंका करते जायं तब तो उसका कोई अन्त ही नहीं आवेगा। इसलिए हमारे भाई सोमानी साहब को इसमें अब शंका नहीं करनी चाहिए और हमारे भाई सोमानी साहब को और उनके साथियों को पूर्ण रूप से इस बिल का समर्थन करना चाहिए और इस प्रकार का संशोधन आदि नहीं लाना चाहिए जिससे इसमें बाधा पड़े। परन्तु हां वह ऐसा अमेंडमेंट ला सकते हैं यदि किसी के ऊपर अनुचित अन्याय हो या सचमुच में देश के उत्पादन में बाधा पड़ती हो।

इतना कहकर जो इस विधेयक की धारायें हैं मैं उनके ऊपर दो तीन बातें कहना चाहता हूं। इसके कहने के पहले मैं एक बात कह देना चाहता हूं। उस बात को मैं अन्त में भी कह सकता था पर पहले ही कह देना चाहता हूं। सभापति जी ने भी जैसा कहा है, सरकार हमसे यह रुपया मरने के बाद ले रही है। जब आदमी जीता होता है तो वह देखता है कि सरकार उसके रुपये से यह यह काम कर रही है। अतएव आपने कहा कि इस रुपये का कुछ हिस्सा शिक्षा के लिए, कुछ हिस्सा इस का और अच्छे कामों के लिए इअरमार्क (विशिष्ट रूप से अलग) कर देना चाहिए ताकि जो आदमी मरे उसको यह संतोष हो कि मेरा जो पैसा जायगा वह इस इस काम में जरूर लगेगा। जब यह बिल पहले पेश हुआ था तब मैं ने उसके ऊपर यह संशोधन दिया था कि इसका रुपया जितना भी आवे वह हमारे देश में जो इस समय बेकारी हो रही है उसको दूर करने में और जो गांवों में लोग भूखों मर रहे हैं उनको खाना देने में खर्च किया जाय और इस काम के लिए इससे आमद की सारी रकम को अलग रख दिया जाय। अतएव जो भी हो किसी न किसी काम के लिए इस रुपये को अलग रख देना चाहिए। जब भी शिक्षा में रुपया देने की बात आती है तो हमारे शिक्षा मंत्री मोलाना साहब कह देते हैं कि हमारी जेब खाली पड़ी है। तो जब एक तरफ जेब खाली है और दूसरी तरफ टैक्स पर आपत्ति होती रहेगी तब हमारे देश का, जो कि वैलफेयर स्टेट कहलाता है, काम कैसे चलेगा। जैसा कि सभापति जी ने कहा था, हमने यह मान लिया है हमारा जो स्टेट है वह वैलफेयर स्टेट है। ऐसी हालत में सबको खुश होकर इसका साथ देना चाहिए और इसको हमें मंजूर करना चाहिए।

कुछ बातें लोगों को अखर रही हैं। एक तो यह है कि जो दायभाग से गवर्न होते हैं वह यह कहते हैं कि मिताक्षरा कानून से गवर्न होने वालों की अपेक्षा उन पर बहुत अधिक बोझा पड़ेगा। इसका जवाब हमारे भाई वेंकट रमण जी ने दिया है। खैर वह एक जवाब है। परन्तु यदि ये दोनों भेद मिटा दिये जायें, यदि ऐसा हो जाये

मैं नहीं जानता कि ऐसा हो सकता है या नहीं, इस प्रकार का संशोधन मैं ने सोचा नहीं है, परन्तु यदि यह हो सके और दायभाग से गवर्न होने वाले भाइयों की आपत्ति मिट जाए और सरकार को पैसा आने में कमी न हो तो इन दोनों का भेद मिटा देना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि धारा ९ में यह प्रावीज़न रखा गया है कि मृत्यु के दो वर्ष पहले जो कोई अपनी जायदाद को दान कर दे और वह बोनाफाइडी हो तो वैसी हालत में उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी कि दो बरस पहले करदे और बोनाफाइडी हो। तो बोनाफाइडी का वहां पर क्या अर्थ है यह ठीक मेरी समझ में नहीं आया। हां यह हो सकता है कि दो बरस पहले करदे, चाहे जैसे भी हो उसने कर दिया इसमें यह क्लाज़ दिये कि जिस वक्त वह दान करे उस वक्त से ही वह उस प्रापर्टी का पुज़ेशन अपने पास न रखे, जिसको दान किया हो उसको दे दें। और उस से जो आमदनी हो उस को वह न भोगे। यदि यही दो बोनाफाइडी के क्राइटीरियन (मापदण्ड) हैं तब तो ठीक है। लेकिन इस के अतिरिक्त यदि और भी कोई क्राइटीरियन है तो वह मेरी समझ में नहीं आया। यह साफ कर देना चाहिए। नहीं तो इस में एक बड़ा भारी मतभेद होने का डर है।

तीसरी बात यह है कि स में ५० हज़ार रुपये और ७५ हज़ार रुपये की छूट दी वह क्लाज ३४ में है। इस में यह कहा गया है कि ५० हज़ार रुपये तक की लिमिट उन को लगेगी जो मिताक्षर से गवर्न होते हैं, अर्थात् जो कोपार्सनरी में हैं। बाकी दूसरों को ७५ हज़ार रुपये तक की छूट दी जायगी, जो लोग कि अपनी कमाई से पैदा करते हैं। परन्तु यह जो क्लाज़ रखा गया है इस से यह कुछ साफ नहीं मालूम होता है कि यदि एक आदमी की इनकम दोनों प्रकार की हो, मिताक्षर ज्वाइंट पैतृक सम्पत्ति से भी कोई आमदनी की हो और उस की अपनी भी आमदनी की हुई हो, इस प्रकार की दो आमदनी हों, तो इस में कुछ डिस्टिंक्शन जो बतलाया गया है वह साफ नहीं मालूम होता है। यहां दो चार अच्छे लायर्स थे, उन से भी मैं ने पूछा। वे भी ठीक ठीक उत्तर नहीं दे सके। इसलिये मतभेद होने का डर है। इसलिये यह साफ कर दिया जाय तो अच्छा होगा। अगर आप यही कर दें कि सभी के लिए ७५ हज़ार रुपये रहें तो यह चीज़ साफ रहेगी। इस समय....

सभापतिजी, मुझे इसी प्रकार से बहुत सी बातें कहनी थीं। परन्तु आप ने अब घन्टी बजा दी, तो मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा था कि उन के मित्र जो उन की बग़ल में बैठे थे, डाक्टर काटजू, उन्होंने कहा कि "वे इस विधान को वकीलों के लिए ईश्वरीय भेंट समझते हैं।"

मैं चाहता हूं कि इस में एसा कोई प्रावीज़न आप न रखें कि जितनी भी आप को ड्यूटी मिले वह तो ठीक है, मिले, आप को मिलेगी तो वह तो अच्छ काम में लगेगी और उसको आप अच्छी तरह से चलावेंगे, परन्तु यह जो गिफ्ट हैं, यदि यह वकीलों के पास चला जाए तो इस में हमें आपत्ति है।

श्री पाटस्कर (जलगांव) : जिस वक़्त आप क़ायदे बनाते हैं तो उसमें शब्द

[श्री पाटस्कर]

लखते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, तो लायर तो आ ही जावेंगे ।

वित्त मन्त्री (श्री सी० डी० देशमुख): उन को ऐस्टेट से भी वसूल किया जायगा ।

श्री झुनझुनवाला : यह ठीक है, यह भी एक तरह से धन का समानीकरण है । लेकिन लायर के पास जो जाना पड़ता है तो उनको फीस देनी पड़ती ही है । कहते हैं कि यह ठीक है, क्योंकि हमारा धन था वह उनको भी मिलता है । यह पाटस्कर साहब बोले उनका कहना ठीक है, क्योंकि वह भी तो इसी क्लास के हैं । परन्तु मेरा कहना यह है कि रुपया देने के अलावा जो परेशानी होती है उस का अन्त नहीं है । परेशानी बहुत बेशी (अधिक) होती है । हम को टेक्स देना हुआ यदि हज़ार रुपया टेक्स देना होता है तो वकीलों के पास घूमते घूमते बहुत परेशान होना पड़ता है । कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है । जैसे मैं ने अभी उदाहरण दिया कि ७५ हज़ार रुपए और ५० हज़ार रुपए में क्या है यह मैं ने तीन चार आदमियों से पूछा तो उन्होंने कहा कि हम तो नहीं समझते। किसी ने एक बात बताई, किसी ने दूसरी बात बताई । तो इस प्रकार के जो प्राविज़न्स हैं इन को आप ठीक कर दें, ताकि लायर के पास न घूमना पड़े और जो मतभेद होने का डर है वह भी दूर हो जाए ।

आप ने अपने व्याख्यान में बहुत सी बातें अच्छी तरह सुलझा कर हम लोगों को समझा दीं और जो पहले समझ में नहीं आई थीं वे समझ में आ गई हैं । अतएव संशोधन रखते समय जहां कहीं कोई शंका की बात हो उस को दूर करने की आप चेष्टा करें । अब समय खतम हो गया है, इतना ही कह कर बैठ जाता हूं ।

दिल्ली सड़क यातायात प्राधिकार (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : अब साढ़े ग्यारह बज चुके हैं और दिल्ली सड़क यातायात प्राधिकार (संशोधन) विधयक पर विचार आरम्भ होगा । श्री अलगेशन ।

रेल तथा यातायात उपमन्त्री (श्री अलगेशन) : मैं प्रस्ताव करता हुं कि :

> "दिल्ली सड़क यातायात प्राधिकार अधिनियम, १९५०, में संशोधन करने वाले राज्य परिषद द्वारा पारित विधेयक पर विचार किया जाए ।"

यह विधेयक मेरे मंत्रालय की कुछ असावधानी के कारण प्रस्तुत करना पड़ा है । वह अधिनियम का धारा १(३) के अन्तर्गत, जिसके द्वारा स्वयं अधिनियम लागू होता है । अधिसूचना जारी नहीं कर सका । जैसा कि सदन को ज्ञात है, यह अधिनियम १९५० में पारित किया गया था। धारा १(३) के अन्तर्गत अधिनियम को लागू करने के लिए और धारा ३(१) के अन्तर्गत स्वयं प्राधिकार को स्थापित करने के लिए दो अधिसूचनाएं एक साथ जारी की जानी चाहिए थीं प्राधिकार स्थापित करने वाली अधिसूचना तो जारी की गई थी, किन्तु दूसरी अधिसूचना गलती से रह गई थी । यही इस विधेयक को प्रस्तुत करने का कारण है । विधेयक के खण्ड ३ में इस अवधि में सरकार तथा प्राधिकार द्वारा की गई सब

कार्रवाइयों को वैध बनाने का उपबन्ध किया गया है। यह एक औपचारिक खंड है। स्वयं विधेयक भी एक औपचारिक विधेयक है और मुझे आशा है कि सदन इसे जल्दी पारित कर देगा।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री नम्बियार (मयूरम्) : इस अधिनियम के अन्तर्गत बहुत सी कार्रवाइयां की गई हैं। मैं उन सब पर आपत्ति नहीं करता केवल कुछ एक की, और विशेषतया कर्मचारी वृन्द अर्थात कन्डक्टरों, ड्राइवरों, मज़दूरों आदि के साथ जो व्यवहार किया गया है, उस की ओर निर्देश करना चाहता हूं। एक मामले में प्राधिकार द्वारा अभिज्ञात एक रजिस्टर्ड संघ के प्रधान सचिव को एक मामूली सी बात पर निकाल दिया गया है। वह कन्डक्टर था और उस पर आरोप यह था कि उस ने एक यात्री को दो आने देने की बजाय एक आना दिया था। वास्तव में उसे संघ का सचिव होने के कारण हटाया गया है। इस पर हड़ताल और प्रदर्शन भी हुआ था किन्तु अभी तक उसे वापस नहीं लिया गया। सरकार और प्राधिकार की अभी संतुष्टि नहीं हुई। उन्हों ने शेड के कार्मिक संघ के ६ सक्रिय सदस्यों को भी विलम्बित कर दिया था। बहुत लम्बी चौड़ी बात चीत के बाद उन्हें वापस लिया गया है। तात्पर्य यह है कि कार्मिक संघ को हर तरह से शिकार बनाया जा रहा है ताकि वह कर्मचारियों के हित में कार्य न करें• बल्कि डी० टी० एस० के प्राधिकारियों का समर्थन करे।

यह तो कर्मचारियों के बारे में था। सर्विस के बारे में, मैं कह सकता हूं कि दिल्ली के जनसाधारण यह समझते हैं कि यह अत्यन्त असन्तोषजनक है। ३०, ४० या ४५ मिनट तक प्रतीक्षा करने के बाद भी लोगों को बस नहीं मिलती। सुबह और शाम सब से अधिक व्यस्त समय पर इतना रश होता है कि लोग इस सर्विस का उपयोग कर ही नहीं सकते। कहा गया है कि कुछ और बसें चालू की गई हैं किन्तु सर्विस में कोई फ़र्क नहीं पड़ा।

कन्डक्टरों और ड्राइवरों ने मुझ बतलाया है कि बहुत सी बसें ऐसी हैं जिन्हें ठीक तरह चलाया नहीं जा सकता। लोग उन्हें आता देखकर डर जाते हैं और हाल में कुछ गम्भीर दुर्घटनाएं भी हुई हैं। इसी लिए मैं कहता हूं कि डी० टी० एस० के भविष्य की ओर अधिक ध्यान देना पड़ेगा।

अब हम इस विधेयक के द्वारा प्राधिकार को कानूनी रूप प्रदान कर रहे हैं और वह भी अनुदर्शी प्रभाव से। इस लिए हमें यह तो ज्ञात होना चाहिए कि डी० टी० एस० के सुधार के बारे में इस सदन के और लोगों को क्या प्रत्याभूतियां दी गई हैं। पहले महाप्रबन्धक को अब बदल दिया गया है और एक नया व्यक्ति नियुक्त किया गया है। मेरा उससे कोई झगड़ा नहीं किन्तु मैं ने सुना है कि कर्मचारी वृन्द उन्हें पसन्द नहीं करता। वह कर्मचारी वृन्द में फूट डालना चाहता है ताकि इस अभिज्ञात तथा प्रतिनिधि संस्था को नज़र अन्दाज़ कर दिया जाए और प्राधिकारियों द्वारा सहायता प्राप्त एक कर्मचारी समिति या परिषद बनाई जाए। इस लिए मैं समझता हूं कि दिल्ली यातायात प्राधिकार में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। यदि संघ और प्राधिकार में परामर्श हो और यदि संघ तथा कर्मचारियों में विश्वास

[श्री नम्बियार]

किया जाये, तो बहुत कुछ सुधार हो सकता है और स्थिति आज से कहीं अच्छी हो जायेंगी।

हम इस विधेयक को पारित तो कर देंगे, परन्तु कर्मचारियों और संघ के विरुद्ध जो अवैध कार्य किए गये हैं, वह ठीक किये जाने चाहियें, प्रभावित व्यक्तियों को पुनः नियुक्त किया जाना चाहिए, और कर्मचारी वृन्द और प्राधिकार के बीच अधिक सहयोग स्थापित करना चाहिए।

श्री दाभी : (कैरा उत्तर) : इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं डी० टी० एस० के संचालन के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा।

मुझ देश के अन्य नगरों अहमदाबाद, पूना, बम्बई आदि की बसों का अनुभव है किन्तु मैंने किसी नगर में ऐसी बस सर्विस नहीं देखी जो इतनी अनियमित, हो समय पर न चलती हो और इतनी अकार्य कुशल हो और जिसके किराये इतने अधिक हों जितने कि इस सर्विस के हैं। अधिकतर रास्तों पर आप आध फर्लांग भी जाईये, किराया दो आने से कम न होगा।

कन्डक्टर और ड्राइवर ऐसे हैं कि कभी किसी यात्री, कम से कम अपरिचित, को कोई जानकारी नहीं देंगे, जिसे देना उनका कर्तव्य है। मैंने स्वयं कई बार उनसे पूछा है कि 'यह बस कब चलेगी' या 'यह कहां जायेगी, तो हर बार मुझे यह उत्तर मिला है कि 'मुझे ज्ञात नहीं'। बसों को चलाने या रोकने में भी कन्डक्टर और ड्राइवर बड़ी असावधानी से काम लेते हैं।

बसों के ठीक समय पर और नियमित रूप से चलने के बारे में मैं यह बतलाना चाहूंगा कि बहुत कम स्थानों पर टाइम टेबल लगे हुए हैं। सचिवालय जैसे स्थान पर जहां से लगभग बारह बसें चलती हैं, अब तक कोई टाइम टेबल नहीं था। अब एक दो लगाये गए हैं परन्तु उनमें भी केवल यह बतलाया गया है कि बस हर १५ या २० या ३० मिनट के बाद चलेगी। यात्री यह नहीं जानते कि बस कब आएगी और कब चलेगी। मैंने कई बार नार्थ एवेन्यू जाने के लिए सचिवालय के स्टाप पर ४० मिनट तक प्रतीक्षा की है, किन्तु अन्त में बस न आने के कारण वर्षा में पैदल जाना पड़ा है। मेरे माननीय मित्र श्री नम्बियार ने कहा है कि केवल उच्चाधिकारी ही लापरवाह हैं। मैं कहता हूं कि कन्डक्टर और ड्राइवर उनसे कम लापरवाह नहीं हैं।

दिल्ली भारत की राजधानी है और यहां की बस सर्विस एक आदर्श बस सर्विस होनी चाहिए। मैं आशा करता हूं कि सरकार इन खराबियों पर ध्यान देगी और इन्हें दूर करेगी।

श्री बोगावत (अहमदनगर दक्षिण) : जो कुछ मेरे मित्र श्री दाभी ने कहा है मैं उसकी पुनरावृति नहीं करना चाहता। किन्तु यह बड़ी शोकजनक बात है कि राजधानी की बस सर्विस इतनी अकार्य कुशल है और लोगों को घंटों प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आप बम्बई की बस सर्विस को देखिए। वह कितनी कार्यकुशल है। मेरे विचार में यहां की स्थिति का कारण कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली उपेक्षा है। वे जनता की परवाह नहीं करते और प्रबन्ध भी उतना कड़ा नहीं जितना कि होना चाहिए। यह उच्चाधिकारियों का कर्तव्य है कि वे जनता की सुविधा का ख्याल रखें। जन साधारण की तो बात

ही क्या ह, संसदसदस्यों को भी तकलीफ उठानी पड़ती है। सरकार के लिए जो इस सर्विस का प्रबन्ध करती है बहुत लज्जा की बात है कि जनता को तकलीफ हो। पदाधिकारियों और कर्मचारियों को उचित व्यवहार करना चाहिये और अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिये। ये लोग जनता की सुविधा का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। मैं माननीय मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे पदाधिकारियों को निदेश दें और इस सर्विस को बम्बई की बस सर्विस की तरह कार्य-कुशल बनायें।

श्री राधा रमण (दिल्ली नगर) : सभापति जी, इस विधयक के सम्बन्ध में मैं चन्द बातों को आपके सामने और सभा के सामने रखना चाहता हूं। देहली रोड ट्रांसपोर्ट के विषय में अभी जिन सदस्यों ने अपने विचार रखे मैं उनसे शब्द व शब्द इत्तफाक करता हूं। लफ्ज व लफ्ज इत्तफाक करता (शब्दशः सहमत) हूं।

मैं जानता हूं कि देहली रोड ट्रान्सपोर्ट की हालत एक दारुलखिलाफा (राजधानी) जैसे शहर में इस कदर खराब है कि कोई भी आदमी उसकी तारीफ तो क्या कोई ऐसा लफ्ज भी नहीं कह सकता जो कि सन्तोषजनक हो। सवारियों की तकलीफ के बारे में, कंन्डक्टर के अपने व्यवहार के बारे में, ड्राइवरों के चलाने के बारे में जितनी भी बातें यहां पर कही गई उस में और भी इजाफा किया जा सकता है। सदन के सामने सवाल भी आये हैं। इन से भी यह बात जाहिर है कि डी० टी० एस० का इन्तजाम निहायत खराब और खस्ता है और जितनी जल्दी इस तरफ तवज्जह दी जाय वह मुनासिब है ऐक्सीडेंटस (दुर्घटनायें) तो हम रोजाना सड़कों पर देखते हैं जिन हमारे सदस्यों को इस तरफ ध्यान देने का मौका मिला होगा वह जान गए होंगे कि बहुत बार यह ड्राइवर लोग इतनी गफलत करते हैं जिससे कि साल के अन्दर बहुत सी जानें भी चली जाती हैं। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में कितनी तकलीफ होती है, कितनी कितनी देर तक हम लोग सड़कों पर खड़े रहते है तब कहीं जाकर बस मिलती है। यह सब बातें सामने आ चुकी हैं। लेकिन मैं एक और बात की तरफ तवज्जह दिलाना चाहता हूं और वह यह कि यह बिल इस बात को ऐमेन्ड(संशोधित) करता है कि २७ मार्च १९५२ को जो काम हो जाना चाहिये था वह नही हुआ और हम चाहते हैं कि वह अब हो जाय। यह छोटी सी बात नहीं है। हम कैपिटल में बसते हैं और यहां पर पार्लियामेन्ट भी है, मिनिस्टर्स भी हैं और हमारी केन्द्रीय सरकार के मातहत यह दिल्ली रोड ट्रान्सपोर्ट है।

तीन साल एक गलत काम को हो जाते हैं और यह बड़ा ताज्जुब मालूम होता है कि तीन साल में न सिर्फ उस आथारिटी के किसी जिम्मेदार आदमी ने न सिर्फ उसकी जो सुपरवाईजरी बाडी है उसने बल्कि मिनिस्ट्री तक ने इस बात का ख्याल नही किया कि इतनी जबरदस्त गलती हमारे डिपार्टमेंट से हो रही है और उसको जल्दी से जल्दी रफा करना चाहिये। तीन साल के अरसे में जितने भी इस गलती के नतीजे के तौर पर काम हुए हैं उनको हमें लाचारी में कानून बनाकर मंजूर करना पड़ेगा या सही करना पड़ेगा यह तो हम करेंगे। इसके लिए हमारे पास कोई चारा नहीं है। मगर जब हमारे सामने ऐसे मौके आते हैं तो हमें यह जरूर देखना चाहिये। और मैं यह चाहता हूं कि हाउस के सामने जब आप यह बिल पेश करते हैं और चाहते हैं कि यह

[श्री राधा रमण]

मंजूर किया जाय तो हमें यह बताया जाय कि तीन साल तक जिन अशखास (व्यक्तियों) की वजह से या जिन अफसरान की वजह से यह गलती हुई है उनके सम्बन्ध में गवर्नमेंट ने या डिपार्टमेंट ने क्या कदम उठाया है। अगर इस शहर में कोई छोटी सी भी बात या गलती होती है तो उसका एक बड़ा भारी खमियाजा आपको उठाना पड़ता है और उससे सरकार का प्रेस्टिज (प्रतिष्ठा) कमजोर होता है। उससे जो लोगों को गवर्नमेंट पर भरोसा है वह कम हो जाता है और आम लोगों का असंतोष बढ़ जाता है। अगर वह कोई दो चार दस पांच रोज की गलती हो तो यह समझा जा सकता है कि यह एक मामूली बात है जिसको नज़रअन्दाज किया जा सकता है। इसको चन्द दिन पहले आ जाना चाहिए था। लेकिन एक चीज़ को तीन साल गुज़र जायें जहां पर कि सेंटर हो, जहां पर एक मिनिस्ट्री भी हो, सुपरवाइजरी बाडी भी हो और एक इंडिपेडेंन्ट स्टेट्यूटरी आथारिटी (स्वतन्त्रभ अनुविहित अधिकारी) भी हो और फिर भी उनके जरिये एक गलती हो बड़ा ताज्जुब होता है किसी आदमी के दिमाग में और वह उसको मंजूर नहीं करना चाहता। इससे गवर्नमेंट के प्रेस्टिज का बहुत लास होता है और आम लोगों को बड़ा असंतोष होता है कि जब हुकूमत इन छोटी छोटी चीजों में इतनी बड़ी बड़ी बातों का ख्याल नहीं रख सकती तो एक बड़ी हुकूमत को कैसे इंसाफ और एफीशेंसी के साथ चला सकेगी। तो मैं अपने मंत्री महोदय से और सरकार से यह अर्ज़ करना चाहता हूं कि जो आप यह बिल यहां लाये हैं हम इसे जरूर पास करेंगे और जो कुछ भी इस असना के अन्दर कार्रवाइयां हुई हों उनको मंजूर भी करेंगे उन्हें कानूनी तरीके पर ठीक करने के लिए यह बिल पास करेंगे, लेकिन हमें संतोष होना चाहिए कि इस किस्म की कार्रवाइयां आयन्दा कतई बन्द हो जायेंगी और जो लोग इस किस्म की गलती के जिम्मेदार हैं उनको ऐसी इबरतअंगेज सजा मिलेगी ताकि आयन्दा गवर्नमेंट को इस किस्म की तकलीफ न उठानी पड़े कि वह इस किस्म की गलतियों को यहां लाकर मंजूर कराये मैं जो एक बात अर्ज करना चाहता था वह मैंने कह दी। बाकी इसके अलावा मैं यह जरूर समझता हूं कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट आथारिटी के इन्तिज़ाम के मुताल्लिक हमारी सरकार का ध्यान बहुत जल्दी खिंचना चाहिए। हमें यह बतलाया गया है कि दिल्ली की ट्रांसपोर्ट की समस्या रेल के ज़रिये नहीं बल्कि बस के ज़रिये बहुत जल्द दुरुस्त होगी और एक स्कीम भी सामने रखी गई है कि जिसके जरिये यह कहा जाता है कि जितनी भी कठिनाइयां इसके मुताल्लिक नज़र आ रही हैं यह बहुत जल्दी दूर हो जायेंगी। लेकिन जिस तरीके पर यह चीज़ तरक्की कर रही है उससे हमें यह भरोसा नहीं होता है कि जितने असना में यह काम हो जाना चाहिए उतने असना में हो जायेगा। इसलिए मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि यह सैंटर है, यहां आपकी सैंट्रल सरकार रहती है। यहां पर लोगों का ध्यान खास कर लगा रहता है। इसलिए ज़रूरत है कि कम से कम वक्त में दिल्ली ट्रांसपोर्ट आथारिटी के उन तमाम इन्तिजामों को जो खराब नज़र आते हैं दूर किया जाय और यहां की बस सर्विस को एक ऐसी बस सर्विस बनाया जाय कि जो दूसरे शहरों के लिए एक नमूना हो। जब हम

बम्बई, कलकत्ता और दूसरे बड़े शहरों की बस सर्विस का ध्यान करते हैं तो हमें दिल्ली पर शर्म आती है। दिल्ली की बसों की हालत और टाइमटेबिल वगैरह की हालत, और यहां के कंडक्टरों और ड्राइवरों का जो रवैया है यह सब चीजें दूसरे शहरों से नीची और पिछड़ी हुई नजर आती हैं। इसलिए इस बात की बड़ी भारी जरूरत है कि जब हम यहां रहते हुए इतने बड़े तमाम मुल्क की आंखें अपने पर लगाये हुए हैं तो हम इस बात को जिम्मेदारी को महसूस करें कि जल्दी से जल्दी इस इन्तिजाम को ठीक किया जाय और खास तौर पर उन अफसरान की गलतियों को किसी तरह भी नजरन्दाज न किया जाय जिनकी जिम्मेदारी पर यह बस सर्विस चल रही है, क्योंकि यह हमारी इनएफिसेंशी को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा जरिया बन जाता है इन अल्फाज के साथ मैं इस बिल को जो कि आपके सामने रखा गया है सपोर्ट समर्थन करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि तमाम साहिबान जो इस सदन में हैं वह यह जानते हुए कि तीन साल पहले यह गलती हुई थी और इस गलती को ठीक करना ही हमारे लिए मुनासिब है इस बिल को मंजूर करेंगे।

श्री रघवय्या (ओंगोल): दिल्ली यातायात सेवा का प्रशासन बिल्कुल बिगड़ गया है। अकार्यकुशलता इतनी बढ़ गई है कि जनता उसे अधिक सहन नहीं कर सकती है। देखा जाय तो इसका कारण कुछ सीमा तक कर्मचारियों को दिया जाने वाला वेतन है। उनको इतना थोड़ा वेतन मिलता है कि उन के लिए अपना काम कुशलता के साथ करना लगभग कठिन सा हो जाता है। और तो और माननीय रेल तथा यातायात मंत्री ने यह भी स्वीकार नहीं किया है कि कर्मचारियों से आठ घन्टे से अधिक काम नहीं लिया जायेगा।

यातायात सेवा में सुधार करने के लिये मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। बसें छूटने के स्थान पर टाइमटेबिल लगा दिया जाये जिससे लोगों को बार बार बस का समय पूछने की आवश्यकता न पड़े। बसें समय पर चलाई जायें। बसों को पांच या दस मिन्ट के अन्तर पर चलाया जाये। टिकट देने का कुछ ऐसा प्रबन्ध हो जिससे लोगों को लाइन लगा कर घन्टों खड़े रहने की आवश्यकता न पड़े। बसों में रोशनी आदि का पूरा पूरा प्रबन्ध होना चाहिये। कर्मचारियों के लिए अधिक सुविधाओं का प्रबन्ध होना चाहिये। अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर दिया जाना चाहिये विशेष मार्गों पर बसों की संख्या में वृद्धि कर देनी चाहिये।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर): यद्यपि यह अधिनियम १९५० में पारित कर दिया गया था किन्तु सरकार का कहना है कि गलती से वह इसे कार्यान्वित न कर सकी। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार ने गलतियां करने का निश्चय कर लिया है। अनेक सदस्यों ने कई बार सदन में राय प्रकट की है कि वर्तमान सरकार बहुत ही अकार्यकुशल है और उसकी यह अकार्यकुशलता दिल्ली यातायात सेवा के सम्बन्ध में पूर्णरूप से प्रगट हो जाती है। अतः मैं इस सेवा में सुधार करने के सम्बन्ध में कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। दिल्ली यातायात सेवा के कर्मचारियों के लिये सुविधाओं का प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

[श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी]

यदि आप कार्यकुशलता चाहते हैं तो उन्हें उतनी ही सुविधाएं भी दीजिये। बसों में भीड़ भाड़ कम करने के लिए बसों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये। इसके बारे में योजना बना कर संगठन का कार्य नये ढंग पर आरम्भ किया जाना चाहिये।

श्री के० के० बसु (डायमण्ड हार्बर) : मैं माननीय मंत्री से केवल इतना जानना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अधिकार से की गई संविदाओं के सम्बन्ध में वैधानिक स्थिति क्या है। मान लीजिये यातायात निकाय से सम्बन्ध रखने वाले कुछ व्यक्ति राष्ट्रपति के प्राधिकार से जो कि उन्हें प्रत्यायोजन कर दिया गया है, एक तीसरे पक्ष से संविदा कर लेते हैं तो स्थिति क्या होंगी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस अधिनियम की धारा ३, राष्ट्रपति के प्राधिकार के अन्तर्गत की गई समस्त कार्यवाहियों को न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त है ?

रेल तथा यातायात उपमंत्री (श्री अलगेशन) : मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस बहस में भाग लिया तथा अनेक उपयोगी सुझाव रखे। मैं अन्त में उठाई गई बात को पहले लेता हूं। विधि मंत्रालय ने हमें इस बात का अश्वासन दिया है कि खण्ड ३, जो हम इस में शामिल कर रहे हैं, उन समस्त कार्यवाहियों को, जो की गई हैं, जिनमें संविदाओं का किया जाना तथा अन्य बहुत सी ऐसी बातें भी आ जाती हैं जो कि केन्द्रीय सरकार तथा प्राधिकार दोनों के आभारों को पूरा करने के लिए की गई हैं न्यायोचित ठहराने के लिए पर्याप्त हैं। उन समस्त बातों को न्यायोचित ठहराने के लिए यह खंड पर्याप्त है मैं माननीय सदस्य को विश्वास दिला सकता हूं कि इस मामले के सम्बन्ध में और कोई वैधानिक कठिनाई नहीं है।

एक तरह से इस विधेयक का प्रस्तुत किया जाना बहुत ही अच्छा रहा है। सदन के सदस्यों को दिल्ली यातायात सेवा के कार्य-संचालन पर ध्यान देने का अवसर मिल गया। मैं आरम्भ ही में यह कह देना चाहता हूं कि दिल्ली यातायात सेवा जिस प्रकार कार्य कर रही है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। हम अधिक सुविधाएं देना चाहते हैं, वर्तमान अनियमितताओं तथा समयनिष्ठता के सम्बन्ध में शिकायतों को दूर करना चाहते हैं। हम इस सेवा का पुनः संगठन करना चाहते हैं। मैं उन सदस्यों से पूर्णतः सहमत हूं जिन्होंने कहा था कि राजधानी में राजधानी वाली बस सेवा होनी चाहिये जिससे अन्य शहरों की यातायात सेवाएं उसे अपना आदर्श मान कर उसका अनुसरण करें। वर्तमान परिस्थितियों में हम वैसा दावा तो नहीं कर सकते फिर भी, मैं इनमें सुधार करने का पूरा पूरा प्रयत्न करूंगा। इसका यह अर्थ नहीं है कि अब तक सुधार किये ही नहीं गये हैं।

अनेक सदस्य को यह बात भलीभांति मालूम होगी कि शहर में पहले जी० एन० आई० टी० कम्पनी कैसी पुरानी और भद्दी बसें चलती थी। जो सदस्य जी० एन० आई० टी० की बसों में बैठ चुके हैं और जो अब दिल्ली यातायात सेवा की बसों में बैठते हैं वे आवश्य ही दोनों में अन्तर समझ गये होंगे तथा

यह भी जान गये होंगे कि हम ने क्या क्या सुधार किया है ।

इस सम्बन्ध में मैं सदन को बतला देना चाहता हूं कि जनता के अनेक व्यक्तियों, इस सदन तथा दूसरे सदन के अनेक सदस्यों ने इस सेवा के सम्बन्ध में व्यक्तिगत रूप से मुझ से शिकायतें की थीं । मैं चाहता हूं कि मेरे वे मित्र जो श्रमिकों में दिलचस्पी रखते हैं इस बात पर विशेष ध्यान दें । विशेषकर कन्डक्टर और ड्राइवरों के विनम्रता पहलू पर । वास्तव में इस सदन के एक माननीय सदस्य ने मुझ से शिकायत की कि एक बच्चा बस से गिर कर घायल हो गया क्योंकि बस को इतनी देर तक नहीं रोक रखा गया जिस से वह बच्चा या अन्य व्यक्ति बस से उत्तर जाते मुझ अनेक मामलों का पता लगा है किन्तु मैं उन का वर्णन करके सदन का समय नहीं लेना चाहता। हम इन सब बातों पर विचार कर रहे हैं । वास्तव में कर्मचारियों को विनम्रता तथा अन्य बातों में प्रशिक्षित करने के लिये एक स्कूल भी खोल दिया गया है किन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि कर्मचारियों का संघ इस के पक्ष में दिखलाई नहीं पड़ता । मैं आशा करता हूं इस सम्बन्ध में संघ अपना सहयोग देगा तथा यात्रियों से नम्रता का व्यवहार करेगा । आखिरकार, हमें कार्यकर्त्ताओं तथा अन्य लोगों में एक नये दर्शन का विकास करना है । दिल्ली सड़क यातायात प्राधिकार या केन्द्रीय सरकार इस बस सेवा की मालिक नहीं है । वास्तव में, मालिक तो वे यात्री है जो किराया देकर इसका उपयोग करते हैं । ड्राइवरों तथा कन्डक्टरों को अपने मालिकों के प्रति नम्रता दिखलानी चाहिये तथा उनकी सहायता करनी चाहिये । मैं चाहता हूं कि वे मित्र, जो श्रमिकों के कल्याण में अधिक दिलचस्पी रखते हैं, इस बात पर ध्यान दें तथा इस ओर उचित कदम भी उठायें ।

जहां तक जनता को सुविधायें देने में वृद्धि करने का सम्बन्ध है, हम फरवरी में पहले ही ३४ बसें प्राप्त कर चुके हैं तथा उन्हें सड़कों पर चलाना भी आरम्भ कर दिया है । परन्तु उन में से अधिकतर प्रतिस्थापन के लिये आई हैं । जुलाई के अन्त तक हमें ३० बसें और मिलने की आशा है । वित्तीय वर्ष समाप्त होने के पहले ही हमें ७० बसों के और मिलने की आशा है इन में से अधिकतर पुरानी बसों का स्थान ले लेंगी । फिर भी, इस समय जितनी बसें चल रही हैं उनसे उन की संख्या अधिक होगी तथा नियमितता, समयनिष्ठता आदि के सम्बन्ध में वे जनता को काफी सीमा तक संतुष्ट कर सकेंगी ।

मेरे माननीय मित्र श्री नम्बियार ने कहा था कि बसों की हालत ठीक नहीं है तथा कर्मचारी उन्हें सड़क पर ले जाने में डरते हैं । यह सत्य है कि प्रतिदिन अनेक बसें अनुसूचित समय के अनुसार नहीं चल पाती हैं । इसका कारण यह होता है । यद्यपि शेडों में बसें तैयार खड़ी रहती हैं फिर भी, ड्राइवर और कन्डक्टर अन्तिम समय तक नहीं पहुंचते । बसें अच्छी हालत में हैं; किंतु वे बसों को सड़क पर नहीं ला पाते हैं जिसके कारण अनेक मार्गों पर बहुत सी बसें नहीं चल पाती हैं और जनता को असुविधा उठानी पड़ती है । इस बात को दूर करने के लिए प्राधिकार को अनिवार्य रूप से प्रतिदिन मजदूरी पाने वाले कर्मचारी रखने पड़ते हैं । यहां मैं यह बतला दूं कि प्रतिदिन

[श्री अलगेशन]

मज़दूरी पाने वाले कर्मचारियों में से अधिकतर कर्मचारियों का मासिक वेतन कर दिया गया है। इस पर भी, जब मासिक वेतन पाने वाले कर्मचारी सेवा पर नहीं आते तो प्राधिकार को विवश होकर प्रतिदिन मज़दूरी पाने वाले व्यक्तियों को काम पर लगाना पड़ता है जिस से वे बसें शेड ही में न खड़ी रह जायें जो अच्छी हालत में हैं। इस समय दो डिपो हैं। हम उनकी संख्या चार तक बढ़ा देना चाहते हैं और इस सम्बन्ध में काम जारी है। एक पक्का कारखाना भी बनाया जा रहा है। हमें आशा है कि तब हम बसों को और अच्छी हालत में रख सकेंगे। मेरे विचार में जहां तक जनता का सम्बन्ध है मैंने सब कुछ कह दिया है।

मेरे माननीय मित्र श्री नम्बियार बस सेवा में काम करने वाले कर्मचारियों, जैसे ड्राइवर, कन्डक्टर आदि, के साथ उचित व्यवहार करने की दलीलें दे रहे थे। मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करता हूं जिन से पता लग जायगा कि उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाता है——पहले से अच्छा अथवा नहीं एक ड्राइवर का औसत वेतन——जिसमें वेतन तथा अन्य भत्ते भी शामिल हैं——लगभग १२७ रुपय होता है जब कि उसे पहले ८५ रुपये से अधिक नहीं मिला करते थे। आज कल एक कन्डक्टर को लगभग १०४ रुपये मिलते हैं जब कि पहले उसे लगभग ८० रुपय मिला करते थे। इस समय चलने वाली बसों की संख्या १९३ है जब कि पुरानी सेवा में केवल १२० बसें थीं। पुरानी जी० एन० आई० टी० कम्पनी में मोटे तौर पर १२०० कर्मचारी कार्य करते थे जब कि इस समय १७६० कर्मचारी कार्य कर रहे हैं।

अतः कर्मचारियों की संख्या में ४७ प्रतिशत वृद्धि हुई। अब उनके वेतन को भी देखें। वेतन की कुल राशि जो पहले १० लाख रुपए के लगभग थी अब २८·४ लाख रुपये के लगभग है अर्थात कर्मचारियों की संख्या में ४७ प्रतिशत की वृद्धि पर वेतन राशि में १५० प्रतिशत वृद्धि हुई। इन आंकड़ों से मालूम पड़ जायेगा कि मज़दूरों की हालत अच्छी है या नहीं। दैनिक मज़दूरी पाने वाले मज़दूरों की एक बड़ी संख्या मासिक वेतन पाने वालों की संख्या में सम्मिलित कर ली गई। विश्रामगृह तथा कैंटीन की सुविधायें भी दी गई। एक डाक्टर भी नियुक्त किया गया है जो कि मज़दूरों के परिवारों का भी इलाज करता है। एक मनोरंजन निधि भी चलाई गई। एक श्रमिक कल्याण अधिकारी भी नियुक्त किया गया है और इसी प्रकार के अन्य कार्य किये गये। मज़दूर संस्था का एक प्रतिनिधि भी दिल्ली सड़क यातायात प्राधिकार परामर्श समिति में ले लिया गया है। मज़दूरों के साथ व्यवहार के प्रश्न के सम्बन्ध में ये कार्य किये गये हैं।

श्री नम्बियार ने एक कर्मचारी का प्रश्न उठाया। मैं उसकी कुछ बातें सदन के सामने रखता हूं। यह कन्डक्टर जिसका नाम सुरेश शर्मा है, १५ अगस्त १९४८ से नौकरी में था। उसकी सेवा का रिकार्ड बहुत ही अधिक खराब रहा है। उसे कई बार चेतावनी दी जा चुकी हैं और तीन बार उसका बोनस रोका जा चुका है। मार्च १९५१ से यह दिल्ली यातायात सेवा (डी० टी० एस०) मज़दूर संघ का प्रधान सचिव है। उसके इन अनियमितताओं के मामले में अधिकारियों ने बड़ी नरमी से काम लिया। २९

अक्टूबर १९५२ में उस पर धन का दुरुपयोग करने तथा दुर्व्यवहार करने के आरोप लगाये गये । विभागीय समिति ने उसके मामले पर विचार किया । जब उसके मामले की जांच हो रही थी तो इस संघ का उप-प्रधान ड्राइवर बालकराम भी उपस्थित था । कहा जाता है कि बालकराम ने भी वे आरोप ठीक मान लिये थे किंतु वह चाहता था कि सुरेश शर्मा को एक अन्तिम चेतावनी दी जाय। उस समिति ने यह सिफारिश की कि २८ नवम्बर १९५२ से उसे नौकरी से हटा दिया जाय ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन हुए]

सुरेश शर्मा ने इस सिफारिश के विरुद्ध अपील की, किन्तु दिल्ली सड़क यातायात प्राधिकार ने उस की नौकरी खत्म कर दी। इस व्यक्ति का संक्षेप में यह इतिहास है। इस बात का निर्णय अब सदन करे कि उसके साथ उचित व्यवहार किया गया या नहीं ।

मुझे खेद है कि इस विधेयक की अधिसचना जारी नहीं की गई और मैं इस गलती के लिये सदन से क्षमा चाहता हूं । मैं आशा करता हूं कि यह विधयक बिना विलम्ब के पारित कर दिया जायगा ।

श्री नम्बियार : माननीय मंत्री ने वेतन और भत्ते आदि के विषय में बताया। किन्तु मैं यह जानना चाहता हूं कि मजदूर आठ घंटे काम करते हैं या उस से अधिक । क्या किसी कर्मचारी को शहर में मकान दिया गया है या नहीं, अथवा क्या उनके लिये मकान बनाये जायेंगे या नहीं ? कहा जाता है कि दिल्ली यातायात सेवा को स्थायी कर दिया जायगा । क्या इन बातों पर विचार हो रहा है । मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जिन ड्राइवरों को सबेरे पांच बजे आना पड़ता है क्या उन्हें बस लाती है अथवा उन्हें कोई साइकिल या अन्य कोई सुविधा दी जाती है क्योंकि · ·

श्री अलगेशन : माननीय सदस्य इस विधेयक पर एक अनुपूरक भाषण दे रहे हैं । कर्मचारियों को नौ घंटे काम करना पड़ता है; इस में एक घंटा विश्राम करने के लिये मिलता है । उनके मकान की समस्या का भी यहीं उल्लेख कर दिया है । वे सब इसी शहर के निवासी हैं और वे साइकिलों या दूसरी सवारियों से आते हैं । मुझे कुछ और नहीं कहना ।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ तथा स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : खण्डों के लिये कोई संशोधन नहीं हैं ।

खण्ड १ से ३ तक,नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक के अंग बना लिये गये ।

श्री अलगेशन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को पारित किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"विधेयक को पारित किया जाये ।"

श्री बी० एस० मूर्त्ति : मैं जान सकता हूं कि मंत्री महोदय को यह मालूम है कि ड्राइवरों तथा कंडक्टरों ने कई बार यह प्रार्थना की है कि उन्हें अपने मकानों से बस के अड्डे तक आने के लिय सवारी की सुविधा दी जाये? क्या मंत्री महोदय इस बात का ध्यान रखेंगे कि उन्हें सबेरे चार या पांच बजे लाने के लिये बस का प्रबन्ध कर दिया जाय जिस से उन की कठिनाई दूर हो जाय ?

श्री अलगेशन : मैं यह सूचित कर दूं कि बसों में काम करने वाले कर्मचारियों को उनके स्थान से लाने के लिये बसों का प्रबन्ध है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को पारित किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सदन का कार्यक्रम

उपाध्यक्ष महोदय : अब आध घंटे तक चर्चा होगी।

श्री एम० सी० शाह : अभी वित्तमंत्री उत्तर देंगे। तब तक हम यह चर्चा कर सकते हैं।

मद्रास में अकाल तथा अनावृष्टि

श्री वल्लाथरास (पुदुकोटै) : मद्रास विधान सभा में मार्च में मद्रास के मुख्य मंत्री ने यह वक्तव्य दिया था कि वहां अकाल बहुत बढ़ गया था और मद्रास सरकार उस स्थिति पर काबू नहीं पा सकती थी। उसी सम्बन्ध में मैंने १६ अप्रैल १९५३ को एक प्रश्न पूछा था। मैंने यह सूचना मांगी थी कि वहां अकाल तथा अनावृष्टि की क्या हालत थी और उसे दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई थी। खाद्य मंत्री ने केवल अकाल पीड़ित जिलों और स्थानों का ही उल्लेख किया। उस से यह चर्चा पैदा हुई।

यह तो सर्वविदित है कि इस समय तामिलनाड के १३ जिलों में अकाल फैला हुआ है। इनमें तिरुचिरपल्ली तथा रामनाड में यह बहुत जोरों से फैला हुआ है और तिरुचिरपल्ली में मेरे निर्वाचन क्षेत्र पुदुकोटै में तो यह सब से भयंकर रूप में है। पिछले महीने वित्त विधेयक की चर्चा के दौरान में मैंने अपने भाषण में वहां व्याप्त स्थिति का विस्तृत वर्णन किया था और मैंने खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया था। मैंने कहा था कि पीने के लिये तथा जमीन की सिंचाई के लिये पानी का स्थायी रूप से प्रबन्ध किया जाय और नई जमीन का मशीनों से सुधार करने की अपेक्षा पहले जहां खेती होती थी और जो जमीन अब बेकार पड़ी है उसके लिये सिंचाई की सुविधायें दी जायें। यह अकाल दस वर्ष पहिले पड़ा था। तब से यह बढ़ता ही गया और १९५२ के अन्त में तो बहुत ही अधिक बढ़ गया।

यह एक खेदजनक बात है कि इस मामले पर राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या मुख्य राजनैतिक दल ने बहुत कम ध्यान दिया। और इन्होंने जो कुछ थोड़ा काम किया उससे कोई विशेष लाभ नहीं हुआ और वह सब धन व्यर्थ ही गया। १९५० से ही राज्य मंत्रियों, अर्थ-शास्त्र विशेषज्ञों तथा केन्द्र के बड़े अधिकारियों ने अकाल की भयंकर स्थिति को माना किन्तु उनके वचन केवल शब्द मात्र ही थे। मद्रास के मुख्य मंत्री के वक्तव्य के बाद से न तो केन्द्र ने और न राज्य ने इस समस्या को सुलझाने का प्रयत्न किया। राजस्व मंत्री ने यह स्वीकार किया कि वहां गत छः वर्षों से वर्षा नहीं हुई और लोगों को भुखमरी से बचाने के लिये २,००० खाद्य वितरक केन्द्र खोले गये। मद्रास के वित्त मंत्री ने कहा था कि अकाल में सहायता कार्यों पर जो व्यय किया जाना था उसका निर्धारण करने में हम से गलती हुई और अनुमानित छः करोड़ रुपयों की अपेक्षा १० करोड़ रुपये व्यय हुए और इस पर खर्च अभी हो रहा है। मैंने वित्त विधेयक की चर्चा के दौरान में कहा था कि खाद्य तथा कृषि मंत्री को वहां जाकर सब बातें खुद देखना और समझना चाहिये और उन्हें ऐसे कार्य करने

चाहियें जिससे यह स्थिति दूर हो जायें। गत सप्ताह वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री तामिल नाड के दौरे पर गये। किन्तु मुझे यह पढ़ कर दुख हुआ कि वह तामिल नाड कांग्रेस दल के नेताओं के साथ तय हुई बातों के परिणामस्वरूप वहां गये थे। उन्होंने कहा कि वह वहां लोगों की कठिनाइयां जानने के लिये गये थे उन्होंने कहा कि राज्य ने जितनी सहायता मांगी थी केन्द्र ने उतनी सहायता दी। उन्होंने यह भी कहा कि वहां जनता की सर्व-सम्मति यह है कि तिरुचर पल्ली और पुदुकोटै में आकाल सब से अधिक फैला हुआ था और उसकी केन्द्र तथा राज्य ने उपेक्षा की। इन दस करोड़ रुपयों से भी अधिक लाभ नहीं हुआ। ऐसी लोगों की धारणा थी। उन्होंने यह भी कहा कि वहां अधिकारी-गण अच्छा कार्य कर रहे हैं और उन्हें यह पता लगाना है कि केन्द्रीय सरकार और क्या सहायता दे सकती है और वहां किये जाने वाले कार्यों में क्या त्रुटि है। वहां हजारों एकड़ जमीन बेकार पड़ी हुई है, फसल की हालत अच्छी नहीं है और पीने वाले पानी की बड़ी कमी है। उन्होंने यह भी कहा कि वह वहां की स्थिति के विषय में प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री को बतायेंगे। अन्त में उन्होंने कहा कि अकाल तो दैवी प्रकोप है यह आदमी का बनाया हुआ नहीं है अतः सरकार पर क्रोध करने की आवश्यकता नहीं।

वहां के प्रशासन ने दस करोड़ रुपये व्यय करने में कोई गलती की है, जिस से वहां स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। या तो वह रुपया गलत जगहों पर खर्च किया गया या किसी गलत नीति का अनुसरण किया गया। गत दो वर्षों में वहां न केवल कोई सुधार ही नहीं हुआ है अपितु पिछले चार महीनों में सरकार ने अपने कर्त्तव्यों का पालन भी नहीं किया। जब वहां सैकड़ों आदमी मर गए तब यह सोचने से कोई लाभ नहीं कि हम भविष्य में ये ये काम करेंगे। इस सम्बन्ध में कोई शीघ्र कार्य करना चाहिए। मद्रास सरकार के पास रुपया नहीं है और यह उस स्थिति पर काबू नहीं पा सकती। अतः केन्द्र कुछ महीनों के लिए उस राज्य के कार्य भार को अपने हाथ में ले ले। वह धनाभाव के कारण कुछ नहीं कर सकती।

मुझे दो सुझाव देने हैं। केन्द्र के खाद्य मंत्री या वाणिज्य मंत्री के नियंत्रण में प्रत्येक जिले में एक समिति बनाई जाय जिस में वहां के संसद सदस्य, विधान मंडलों के सदस्य तथा कलैक्टर सदस्य हों। और वहां कुछ आवश्यक कार्य शीघ्र करने चाहिएं। हम वहां सरकार के साथ सहयोग करने को तय्यार थे और पुदुकोटै तथा मनप्पाराय तालुक में सिंचाई के लिए कावेरी नदी से नाले खोदने के लिए तय्यार थे। मैं ने कृषि मंत्री से यह भी कहा था कि यदि केन्द्रीय सरकार को धन की कमी हो तो हम इस पूरे खर्च को बर्दाश्त करने को तय्यार हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री के वक्तव्य से यह स्पष्ट है कि लोगों में यह तीव्र भावना ह कि केन्द्रीय सरकार वहां के उत्तरदायित्व को अपने ऊपर ले ले और वहां सहायता कार्य करे। अतः मेरा सुझाव है कि लोगों से सरकार को जहां भी धन अथवा श्रम के रूप सहयोग प्राप्त हो वह उससे सिंचाई सम्बन्धी कार्य करने आरम्भ कर दे।

दूसरी बात देहाती कृषि सेवा योजना के सम्बन्ध में है। बेरोज़गारी को इस प्रकार दूर किया जाना चाहिए जिस से न केवल लोगों की क्रय शक्ति ही बढ़े

[श्री वल्लाथरास]

अपितु उनकी स्थायी आवश्यकता की कोई चीज़ बन जाये। इसके लिए मेरा सुझाव है कि मंत्रिमंडल का कोई मंत्री नियुक्त किया जाय अथवा मद्रास राज्य सरकार का प्रबन्ध केन्द्र अपने हाथों में ले ले। माननीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री स्वयं दक्षिण निवासी हैं अतः उनको प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री को दक्षिण की सहायता करने का परामर्श देना चाहिए।

वित्त मंत्री को अपनी पंच वर्षीय योजना के लिए धन चाहिए। श्री राजगोपालाचार्य के कथनानुसार जहां तक मद्रास राज्य का सम्बन्ध है पंच वर्षीय योजना एक दम असफल रही है। अतः केन्द्र को अविलम्ब सहायता देनी चाहिए अन्यथा ५० लाख व्यक्ति बहुत शोचनीय स्थिति में पड़ जायेंगे।

श्री एन० पी० दामोदरन (तेलिचेरी): मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार को ज्ञात है कि मालाबार के तटीय भागों में दुर्भिक्ष फैला हुआ है और तेलिचेरी और कन्नानूर की नगरपालिका समितियों ने अविलम्ब सहायता दिए जाने की मांग की है? क्या सरकार को जिला अधिकारियों या मद्रास राज्य सरकार से मालाबार में दुर्भिक्ष होने की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है? क्या सरकार को ज्ञात है कि वहां का मलयालम 'मातृभूमि' लगातार सरकार से सहायता दिए जाने की प्रार्थना कर रहा है।

श्री नम्बियार (मयूरम): मैं ज्ञात कर सकता हूं कि क्या सरकार ने वह कारण ज्ञात किये हैं जिन के आधार पर खिचड़ी केन्द्रों की संख्या गत कुछ मास में २००० से घटा कर ८०० कर दी गई है? मद्रास राज्य में पंचवर्षीय योजना कितनी लागू की गई है और अभाव की स्थिति को दूर करने के लिए कौन से सिंचाई साधन अपनाये गए हैं और गत पांच वर्ष से मानसून न आने के कारण जो कठिनाई हो गई है उसे दूर करने के लिए क्या कुछ किया गया है?

श्री बी० एस० मूर्ति (इलूरू): रायलासीमा के अपने पिछले दौरे के समय माननीय प्रधान मंत्री ने कुछ वायदे किये थे। महाचार्य समिति ने भी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। पर अभी तक हुआ कुछ भी नहीं है। क्या सरकार रायलासीमा के पीड़ितों को सहायता पहुंचाने की वास्तव में इच्छुक है।

कृषि मंत्री (डा० पी० एस० देशमुख): आज की चर्चा का अधिकांश विषय राज्य सरकार से सम्बन्ध रखता है केन्द्रीय सरकार से नहीं। अतः इस सदन को मद्रास विधान सभा का स्थानापन्न मान कर कार्य करना ठीक नहीं होगा। केन्द्र का सम्बन्ध तो केवल मात्र व्यय की कुछ मदों से है। यदि कभी अन्न का अभाव होता है तो कृषि मंत्रालय वहां अविलम्ब ही खाद्य-पदार्थ पहुंचा सकता है। अधिक से अधिक हम उस अन्न की क़ीमत कम कर सकते हैं। हम वित्त मंत्रालय से उसे ५० प्रतिशत तक की अनुदान सहायता देने की सिफारिश कर सकते हैं।

इसी सम्बन्ध में माननीय मित्र ने १६ अप्रैल को एक प्रश्न पूछा था और उस का विस्तार से उत्तर दे दिया गया था। यह शिकायत की गई है कि कुछ खिचड़ी केन्द्र बन्द कर दिए गए हैं। मेरा यह निवेदन है कि मानवता के नाते हम राज्य सरकार की सहायता करने की चेष्ठा करें परन्तु तो भी हमें कुछ मामलों में उपवाद करना ही होगा। संभव है

कि किसी राज्य में अभाव बहुत अधिक हो और कुछ विशेष कार्यवाही करनी अपेक्षित हो, परन्तु तो भी हमें प्रत्येक राज्य के साथ समता का व्यवहार करना है और मैं सदन को यह आश्वासन दिला सकता हूं कि जितना कुछ भी करना संभव हो सकता था वह सभी कुछ मद्रास राज्य के लिए किया गया है ।

कुछ शिकायतें एक दूसरे के बिल्कुल प्रतिकूल हैं । एक ओर यह कहा जाता है कि मद्रास के मुख्य मंत्री का यह कथन है कि यह सहायता उन की सामर्थ्य से परे हैं । यदि यह बात है तो इस से यह निष्कर्ष निकलता है कि मद्रास राज्य का मंत्रिमंडल परिस्थिति की ओर से पूर्णरूप से सचेत है । दूसरी ओर यह शिकायत की जाती है कि मद्रास राज्य सरकार हृदयहीन और अयोग्य है और इस ओर तनिक भी ध्यान नहीं दे रही है और उसे केन्द्र के नियन्त्रण में ले लिया जाना चाहिए । मद्रास सरकार की इन शब्दों में आलोचना करना ठीक नहीं है ।

मैं आंकड़े देकर सदन का समय नष्ट नहीं करना चाहता हूं । मेरे मित्र का कथन है कि मद्रास सरकार ने केन्द्र से रुपया ले कर उसका दुरुपयोग किया है । केन्द्र इस आक्षेप का निर्णय करने में असमर्थ है । माननीय सदस्य की भावनाओं का समादर अवश्य किया जाना चाहिए परन्तु साथ ही हम उन की बात को स्वीकार कर के मद्रास राज्य सरकार की अवगणना तो कर नहीं सकते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या कोई भुखमरी की घटनाऐं हुई हैं ? माननीय सदस्य ने उन की संख्या काफी बताई थी ।

डा० पी० एस० देशमुख : जी नहीं, श्रीमान, भुखमरी के कारण एक की मृत्यु नहीं हुई है । मैं सदन को आश्वासन दिला देना चाहता हूं कि हम तथा मद्रास राज्य सरकार इस बात की कोशिश करने की भरसक चेष्ठा करेंगे कि भुखमरी न फैलने पाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : कितना धन व्यय हुआ है, जनता तथा सरकार उसके आंकड़े जानना चाहेगी ।

डा० पी० एस० देशमुख : भारत सरकार ने खिचड़ी केन्द्रों के व्यय के ५० प्रतिशत भाग तक को, जो अधिक से अधिक ४८ लाख हो सकता है, देना स्वीकार किया है, और इस धन राशि में से ४७ लाख रुपया राज्य सरकार को देना किया गया है । केन्द्र ने राज्य सरकार को दो करोड़ का ऋण दिया है और दुर्भिक्ष-सहायता तथा पूंजी व्यय पर व्यय करने के लिए १४·३८ करोड़ की प्रत्याभूतियां भी स्वीकृत की हैं ।

अभाव ग्रस्त जनता को सहायता पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में ३३०६ उचित मूल्य दूकानें खोली हैं, यह ७४ लाख व्यक्तियों की सेवा कर रही हैं । राज्य सरकार ५१८४ सहायता कार्यों को चला रही है और इस में ३·२ लाख व्यक्ति काम करते हैं । राज्य सरकार ने १५ मार्च, १९५३ तक ३२६,०१,०७८ रुपये सहायता कार्यों पर व्यय किए हैं और २०३,६५,८६९ रुपये ए० जी० एल० तथा मिल अधिनियमों के अन्तर्गत वितरित किये हैं, २१,६१,५१५ रुपये निर्वाह भत्ते के रूप में दिए हैं, २८,५०,६१६ रुपये कुंओं को गहरा करने पर व्यय किय हैं और १६,८५,२८७ रुपये पानी पम्प करने के इंजनों पर व्यय किये है । इस के अतिरिक्त राज्य सरकार ने ९०,९६,१४१

[डा० पी० एस० देशमुख]

रुपये खिचड़ी केन्द्रों पर और १,७६,२६५ रुपये चारे की प्रदाय पर व्यय किए हैं और ४,२२,४९३ रुपये लोक स्वास्थ्य कार्यों के लिए और २८ लाख रुपये पीने का पानी की व्यवस्था करने के लिए स्वीकृत किए हैं ।

सन् १९५१ के अक्तूबर मास में दो करोड़ रुपये का ऋण वित्त मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया था और ४७ लाख रुपये का अनुदान फरवरी तथा मार्च १९५३ में दे दिया गया था । इसके अतिरिक्त जैसा कि मैं पहले ही निवेदन कर चुका हूं, केन्द्र ने १४·३९ करोड़ रुपये की प्रत्याभूतियां भी खरीदी हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय वित्त मंत्री ।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : मैं उन सिद्धांतों को बताना चाहता हूं जिन के अन्तर्गत दुर्भिक्ष अथवा अभाव सम्बन्धी सहायता देने के लिए राज्यों को केन्द्र से सहायता दी जाती है । यह तो स्पष्ट है कि विस्तृत सूचना के लिए हमें राज्य सरकारों पर ही निर्भर रहना होता है । हमें जो सूचनाएं मिली हैं उन को हमें मद्रास राज्य सरकार के पास भेजना होता है । हमारे एक सहयोगी ने उस क्षेत्र का जो दौरा किया था उस से भी कुछ सूचना मिली थी । राज्य सरकार की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर हम इस स्थिति में होंगे कि यह अनुमान कर सकें कि कितना अभाव है और राज्य के किन किन ज़िलों में है । जहां तक मद्रास राज्य के उत्तरी ज़िलों का सम्बंध है स्थिति कछ विभिन्न है, अतः उस पर मैं बाद को चर्चा करूंगा ।

जहां तक वास्तविक सहायता सम्बन्धी कार्यों का सम्बन्ध है यह कहना, कि मद्रास राज्य सरकार एक दम निष्क्रय रही है, एक अन्याय होगा । मेरा विचार यह है कि केवल मात्र यह धारणा कि उनके संसाधन इस प्राथमिक दायित्व को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, ही उसे अपेक्षित कार्य-वाही करने से रोकेगी नहीं । जो कुछ सहायता सम्बन्धी कार्य किये गए हैं उनका वर्णन मेरे कार्य बन्धु ने किया । कितना कार्य किया जाना चाहिए था इस के संबंध में भी मतभेद हो सकता है, और इस प्रश्न पर हम उस समय चर्चा करेंगे जब हमें यह सूचना प्राप्त हो जायेगी कि अभी कितना कार्य करना शेष है । मुझे विश्वास है कि परिस्थिति की कुछ और अधिक मांग नहीं होगी और राज्य सरकार स्वयं कोई बहुत बड़ी आर्थिक समस्या प्रस्तुत नहीं करेगी ।

जैसा कि मैं आज प्रातः कह चुका हूं, जहां तक राज्य के उत्तरी भाग का सम्बन्ध है, मेरे विचार में वहां की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा किया जा चुका है । अब सवाल केवल इस बात का है कि बार बार पड़ने वाले अकालों तथा कमी की परिस्थितियों को किस प्रकार दूर किया जाये और यह एक दीर्घकालीन सवाल है । यह सवाल राज्य के उत्तरी भाग के सम्बन्ध में उत्पन्न हो सकता है जैसे रायलसीमा क्षेत्र के सम्बन्ध में यह सवाल दक्षिणी भाग में भी उत्पन्न हो सकता है । मेरे लिये यह बतलाना सम्भव नहीं है कि इन दोनों क्षेत्रों में से किसी एक में यह सवाल किस सीमा तक उत्पन्न होगा किन्तु मैं केवल यह कह सकता हूं कि हम इस समय कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमें दीर्घकालीन परिस्थिति का सामना करने में सहायता मिल सकती

है । जैसा कि मैं पहले भी बतला चुका हूं ऐसा केवल आवश्यक निर्माण-कार्यों को योजना में शामिल करने से हो सकता है तथा यदि सम्भव हुआ तो उनके सम्बन्ध में योजना में प्राथमिकता की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी । ऐसा करने में राज्य सरकार को फिर सहायता लेनी पड़ेगी । क्योंकि जब तक राज्य सरकार हमें इस बात का संकेत नहीं दे देती है कि मामले पर पुनः विचार करने के पश्चात् वह निर्माण-कार्यों के संबंध में दी जाने वाली प्राथमिकताओं में परिवर्त्तन करने के लिए तैयार है तब तक केन्द्र, चाहते हुए भी, कोई परिवर्त्तन नहीं कर सकता है । आखिरकार, जब योजना आयोग योजना तैयार करता है तो वह केवल आंकड़े बतला देता है । केन्द्र समस्त धन की व्यवस्था नहीं करता है । केन्द्र समस्त राज्यों को सुयोजित आधार पर सहायता देता है । जहां तक मद्रास राज्य का सम्बन्ध है उसे पहले ही बतला दिया गया है कि उसे कितनी सहायता दी जायेगी । जिस सीमा तक उसे केन्द्र से सहायता नहीं मिलती है उस सीमा तक उसे एक निर्माण-कार्य के स्थान पर दूसरे निर्माण-कार्य की व्यवस्था करनी होगी । अतः अन्य साधनों का स्वयं राज्य को प्रबन्ध करना पड़ता है या फिर उसे केन्द्र से प्राप्त होने वाली सहायता के अनुसार पुनः प्रबन्ध करना पड़ता है तथा उस धन को अन्य निर्माण-कार्यों पर खर्च करना पड़ता है । अतः हमें यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि हम यह कह सकें कि हम केवल अमुक निर्माण-कार्य के लिए ही धन देंगे, किसी दूसरे निर्माण-कार्य के लिए नहीं, क्योंकि ऐसा करने से तुरन्त ही गतिरोध उत्पन्न हो जायेगा । यदि हम अमुक-अमुक निर्माण-कार्य के लिए धन की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो हम राज्य सरकार से उन पर ही कार्य आरम्भ करने के लिये भी नहीं कह सकते हैं । अतः सवाल योजना में दी गई प्राथमिकताओं के सम्बन्ध में परिवर्त्तन करने का होता है और इस मामले को राज्य सरकार तथा योजना आयोग आपस में तय कर सकते हैं । जहां तक ऐसे मामलों का सम्बन्ध है मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है कि केन्द्र द्वारा दी जाने वाली सहायता का अन्य स्थानों के छोटे मोटे निर्माण-कार्यों की अपेक्षा रायलसीमा में होने वाले निर्माण-कार्यों में उपयोग किया जाये । यह सामान्य स्थिति है, किन्तु राज्य के सम्भावित विभाजन के फलस्वरूप इस वर्ष यह मामला पेचीदा हो गया है । यह एक ऐसी बात है जिस पर माननीय सदस्यों को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए । आखिरकार, रायलसीमा के सदस्य मुझ से यह क्यों जानना चाहते हैं कि ठीक ठीक क्या किया जाना है । और वह भी किसके द्वारा ? क्योंकि सारा सवाल.....

श्री बी० एस० मूर्ति : सम्बद्ध व्यक्तियों द्वारा ।

श्री सी० डी० देशमुख : यही तो बात है जिसके कारण गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है । यदि आप हर एक बात के लिये केन्द्र को ही जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं तो एकात्मक संविधान बनाइये । ऐसा वर्तमान संविधान के अन्तर्गत नहीं किया जा सकता है । हम अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं तथा कुछ सीमा तक सीधे ही या योजना आयोग द्वारा उनका पथप्रदर्शन करने के लिये भी तैयार हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : यदि आप अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लें और मद्रास सरकार अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ ले तो लोगों का क्या होगा ?

श्री सी० डी० दशमुख : यह जिम्मेदारी से मुंह मोड़ने का सवाल नहीं है ।

[श्री सी० डी० देशमुख]

यह उचित राज्य प्राधिकार द्वारा अपनी ज़िम्मेदारी को निभाने का सवाल है । जहां तक मद्रास का सम्बन्ध है, इस वर्ष के अन्त तक नये राज्य प्राधिकारों के स्थापित होने की सम्भावना है । जब तक वे स्थापित नहीं कर दिये जाते जब तक मेरे विचार में किसी के लिये भी चाहे वह केन्द्रीय सरकार हो या वर्तमान मद्रास राज्य सरकार हो, यह कहना सम्भव नहीं है कि अमुक अमुक निर्माण-कार्य, जो योजना में शामिल नहीं किये गय हैं, आरम्भ कर दिये जायेंगे । इस सम्बन्ध में केवल इतना ही कहा जा सकता है ।

श्री लक्ष्मय्या (अनन्तपुर) : क्या पंच-वर्षीय योजना में तुंगभद्रा परियोजना की उच्चस्तर नहर के शामिल किये जाने की सम्भावना है, जिस के सम्बन्ध में माननीय प्रधान मंत्री ने वायदा किया था, और विशषकर जिससे रायलसीमा तथा आस-पास के क्षेत्रों को लाभ पहुंच सकता है ?

श्री सी० डी० देशमुख : मुझे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : उन्होंने वायदा किया था ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं केवल योजना आयोग की रिपोर्ट में दी गई बातों को जानता हूं । ऐसा मालूम होता है कि माननीय सदस्य मेरी बातों को नहीं सुन रह थे । मुझे इस से कोई सम्बन्ध नहीं है कि किसे शामिल किया जाना चाहिये और किसे नहीं या किसे आरम्भ किया जाना चाहिये और किसे नहीं । मुझे इस में कोई विशेष अंतर दिखलाई नहीं पड़ता—इसका सम्बन्ध वित्त मंत्रालय या योजना आयोग से है । मैं यह बातें इस बात की परीक्षा करने के पश्चात कह रहा हूं कि योजना आयोग के ऐसे मामलों में क्या विचार होंगे । यदि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है तथा वे इस पर विचार करते है कि अकाल और कमी की परिस्थितियों को दूर करना अत्यन्त आवश्यक हो गया है तो मेरे विचार में वह कुछ निर्माण-कार्यों के स्थान पर अन्य निर्माण-कार्य खुशी से स्वीकार कर लेंगे । ऐसा किया जा सकता है या नहीं, यह मैं नहीं बतला सकता और न मैं यही बतला सकता हूं कि सिंचाई के क्षेत्र ही में अन्य निर्माण-कार्य रखे जायेंगे । हो सकता है शिक्षा, यातायात या सड़कों पर कोलतार डालने या अन्य मदों पर होने वाले व्यय में कमी करके अतिरिक्त सिंचाई कार्यों के लिये धन प्राप्त हो जाये । जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं नई राज्य सरकारों को, जो कि स्थापित होती हैं, यह पता लगाना है कि योजना में उनका कितना भाग है तथा उस मामले के सम्बन्ध में किन किन बातों की आवश्यकता है, अर्थात्, कमी की परिस्थितियों को हमेशा के लिए दूर करना । अतः यदि माननीय सदस्य कुछ धैर्य्य से काम लें तो मेरे विचार में वे बनाई जाने वाली नई सरकारों को अच्छा अवसर देंगे जिसमें वे इन मामलों पर शान्तिपूर्वक विचार कर सकेंगी । परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि इस प्रकार जनता के कष्टों की ओर से आंखें बन्द कर ली गई हैं, जैसा कि मैं पहले ही बतला चुका हूं, जहां तक परिस्थिति की तत्काल आवश्यकताओं का सम्बन्ध है, यदि कोई कार्य करने से रह गया होगा, तो केन्द्रीय सरकार तथा मद्रास सरकार का यह कर्त्तव्य होगा कि वे उसे पूरा करने का उपाय ढूढ निकालें । जहां तक दीर्घकालीन

योजनाओं का सम्बन्ध है, उनके सम्बन्ध में उस समय तक बहुत कुछ नहीं किया जा सकता है जब तक कि नई सरकारें स्थापित नहीं हो जाती हैं ।

श्री एन० पी० दामोदरन : मैं ने आज प्रातः मालाबार के अकाल के सम्बन्ध में प्रश्न पूछा था । उस का उत्तर नहीं दिया गया है ।

डा० पी० एस० देशमुख : इस सम्बन्ध में, मेरे पास कोई सूचना नहीं है । हमें कोई अभिवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं । कम से कम जहां तक मेरा सम्बन्ध है मैंने नगरपालिका कमेटी का कोई अभिवेदन नहीं देखा है । सबसे पहले तो इसका सम्बन्ध राज्य सरकार से है ।

श्री सी० डी० देशमुख : क्या यह वही प्रश्न है जिसका प्रातः उत्तर दिया जा चुका है ?

श्री एन० पी० दामोदरन : जी हां ।

श्री सी० डी० देशमुख : मालाबार में मछुओं पर क्या विपत्ति है इसका पता लगाने का काम मैंने अपने हाथों में ले लिया है ।

श्री नम्बियार : जो दलिया केन्द्र बन्द कर दिये गये हैं क्या उनके फिर से खोले जाने की सम्भावना है ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों ने लम्बा भाषण सुना है । यदि स्थानीय सरकार दलिया केन्द्र खोलती है तो उस का आधा खर्च केन्द्र सहन करेगा । आप को इतनें ही से संतुष्ट हो जाना चाहिये ।

राज्य परिषद् से सन्देश

सचिव : मुझे सूचना देनी है कि राज्य परिषद् को लोक सभा से निम्नलिखित विधेयकों के सम्बन्ध में कोई सिफारिश नहीं करनी है :—

१. वायु निगम विधेयक, १९५३.

२. चाय विधेयक, १९५२.

उपाध्यक्ष महोदय : अब सदन की बैठक अनिश्चित तिथि के लिये स्थगित की जाती है ।

इस के पश्चात् सदन की बैठक अनिश्चित तिथि के लिये स्थगित हो गई ।